छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष–2009–2010

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2009–2010

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2009–10'' नामक प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन का यह दसवॉं अंक है ।

इस प्रकाशन के दो भाग है । प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है । भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाएॅं प्रस्तुत की गई हैं । इस प्रकाशन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम उनके आभारी है । संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं ।

आशा है, प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान सामाजार्थिक स्थिति एवं विकास की गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहर्ष स्वागत है ।

रायपुर,
दिनांक : फरवरी, 2010

(विजयेन्द्र)
(आई.ए.एस.)
आयुक्त, सह–संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

प्रकाशन तैयार करने में सहयोगी अधिकारी/कर्मचारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	**श्री उमेश ओगरे**	**संयुक्त संचालक**
2.	**श्री आर. जी. एस. चौहान**	**सहायक संचालक**
3.	**श्री एस. के. चन्द्राकर**	**सहायक संचालक**
4.	**श्री विजेन्द्र पॉल**	**सहायक सांख्यिकी अधिकारी**

कम्प्यूटीकरण में विशेष सहयोग

1.	**श्री हर्षनारायण मिश्रा**	**डाटा एन्ट्री आपरेटर**

भाग–एक

आर्थिक विवेचना

–:: विषय सूची ::–

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	1–4
2	राज्यीय आय	5–8
3	कृषि	9–24
4	भाव स्थिति	25–29
5.	पशुपालन एवं डेयरी विकास	30–33
6.	मत्स्य विकास	34–36
7.	वानिकी	37–42
8.	जल संसाधन	43–47
9.	विद्युत उर्जा	48–62
10.	उद्योग	63–79
11.	खनिज	80–82
12	परिवहन सुविधायें	83–86
13.	श्रम एवं रोजगार	87–93
14	सामाजिक सेवायें	94–122
15.	सहकारिता	123–123
16.	बचत एवं विनियोजन	124–129
17.	संस्कृति एवं पर्यटन	130–136
18.	नगरीय निकाय	137–141
19.	पंचवर्षीय योजना	142–145

अध्याय–1

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

वर्ष 2007–2008 में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 7941850 लाख रू. था जिसमें 19.88 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2008–09 में 9520419 लाख रू. अनुमानित है । कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें, खनिज (प्राथमिक) क्षेत्र में वृद्धि दर 2007–08 की तुलना में वर्ष 2008–09 में 8.24 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में 30.76 एवं तृतीयक में 19.10 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है ।

1P इसी प्रकार स्थिर भावों में वर्ष 2007–08 में सकल घरेलू उत्पाद 5045144 लाख रू. था जो 6.81 वृद्धि के साथ वर्ष 2008–09 में 5388617 लाख अनुमानित है । इस तरह क्षेत्रवार वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में (–) 3.39 द्वितीयक क्षेत्र में 11.86 एवं तृतीयक क्षेत्र में 11.55 प्रतिशत है ।

बाक्स नं–1.1

प्रगति की संभावनायें

- कृषि क्षेत्र में प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की 2724969 लाख रूपये से वृद्धि होकर वर्ष 2009–10 में 2935248 लाख रूपये संभावित है ।
- यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष के 4978570 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 5636724 लाख रूपये होने की संभावना है ।
- अनुमान किया गया है कि वर्ष 2008–09 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर लगभग 13.28 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष 2009–10 में 10784823 लाख रूपये होने की संभावना है प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2008–09 में रू. 34483 से बढ़कर वर्ष 2009–10 में रू. 38534 हो जाने की संभावना है ।

2. मौसम प्रतिकूल रहने के कारण खरीफ की बोनी देर से हुई फिर भी वर्ष 2008–09 खरीफ में 4781.07 हजार हेक्टर में एवं 1614.69 हजार हेक्टर में रबी की बोनी हुई जो गत वर्ष 2007–08 से 0.25 प्रतिशत अधिक खरीफ में एवं (–)9.48 प्रतिशत रबी में कम हुई है ।

वर्ष 2008–09 में 6227.67 हजार मे.टन खरीफ एवं 1475.97 हजार मे.टन का उत्पादन रबी में हुआ जो गत वर्ष से 3.82 प्रतिशत खरीफ एवं 7.04 प्रतिशत रबी में वृद्धि परिलक्षित करता है ।

वर्ष 2009–10 में जिलों से प्राप्त खरीफ फसल आनावारी के आधार पर राज्य के 12 जिलों के 66 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत कार्य संचालित करने हेतु 1354.00 लाख रू., सूखा प्रभावित क्षेत्रों में निस्तारी एवं पेयजल हेतु 1150.00 लाख रू, एवं अतिवृष्टि तथा अन्य आपदा प्रबंधन में उपयोग आने वाले उपकरणों की खरीद हेतु 1133.84 लाख रू. उपलब्ध कराये गये ।

3. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [2001=100 पर आधारित (भिलाई केन्द्र)] में खाद्य समूह सूचकॉक में 157 तथा सामान्य सूचकांक में 151 अंक प्रतिवेदित है । वर्ष 2009–10 में 5 माह के औसत दर पर खाद्य 182 (13.34 वृद्धि) एवं सामान्य सूचकॉक 168 (10.12 प्रतिशत वृद्धि) दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर सूचकॉक 2001=100 पर आधारित वर्ष 2009 में सामान्य समूह सूचकांक 148 पाया गया, वहीं खाद्य समूह सूचकांक में 156 दर्ज किया गया।

4. वर्ष 2008–09 में प्रान्तीय कर अधिनियम के अन्तर्गत करों के संग्रहण लक्ष्य 3100.00 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2009 तक 2993.23 करोड़ रू प्राप्त हुआ । जिसका कारण डीजल पेट्रोल के दर में कमी एवं एल.पी.जी. को टैक्स फ्री करने से राजस्व में कमी आना है । केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य 400.00 करोड़ के विरूद्ध 638.28 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ यह परिवर्तन लोहे के भाव में असमान्य वृद्धि होने के कारण हुआ । प्रवेश कर में 485. 00 करोड़ के विरूद्ध 400.43 करोड़ रू. का राजस्व, वृत्तिकर बजट लक्ष्य 3.15 करोड़ के विरूद्ध 6.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ एवं होटल कर बजट लक्ष्य 0.70 करोड़ के विरूद्ध 0.67 (95.71 प्रतिशत) राजस्व वसूली की गई ।

5. राज्य गठन के पश्चात 174 बृहद/मध्यम तथा 558 लघु/कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई इसमें क्रमशः 7517433.00 लाख एवं 7543.01 लाख रूपयों का पूंजी निवेश हुआ एवं 98276 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । वर्ष 2008–09 में 05 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा 8062.87 लाख पूंजीनिवेश से स्थापित किए गए इनमें 271 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह से 04 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा 36.00 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किए गए इसमें 25 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई

इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2008–2009 में 5.3 मिलियन टन हाट मेटल, 5.18 मिलियन टन क्रूड स्टील, 4.49 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, पिछले वर्ष के उत्पादन से क्रमशः 21.1, 32.1 एवं 42.5 प्रतिशत अधिक है । संयत्र ने वर्ष 2008–2009 में 4965.45 करोड़ रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जोकि वैश्विक मंदी के पश्चात भी संयत्र का लाभार्जन का प्रशंसनीय कीर्तिमान है । वर्ष 2008–2009 में भारत एल्युमीनियम कम्पनी, कोरबा द्वारा 172342 में. टन एल्युमिना हाईड्रेट एवं 184417 मे. टन केल्सिनेटेड एल्यूमीनिया का रिकार्ड उत्पादन किया गया ।

6. तेजी से औद्योगीकरण के कारण विद्युत की मांग 1686 मेगावाट से बढ़कर 2651 मेगावाट हो गई । सभी स्त्रोंतों से औसत विद्युत आपूर्ति 1952 मेगावाट की गई जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 1681 मेगावाट रही । इस प्रकार वर्ष अवधि में राज्य की औसम मांग से आपूर्ति अधिक रही तथा कोई लोडशेडिंग नही की गई । इस प्रकार छत्तीसगढ़ देश का पहला शून्य पॉवर कट राज्य बन गया है। वर्ष 2008–09 में अधिस्थापित विद्युत क्षमता 1923.85 मेगावाट थी एवं विद्युत का उत्पादन 13515.90 मिलियन यूनिट हुआ है । जिसके सापेक्ष्य में विद्युत उपभोग 12021436.09 (KWH) हुआ है । राज्य में कुल उपभोक्ता 2822 हजार एवं प्रति उपभोक्ता विद्युत उपभोग 4259.9 यूनिट रहा है ।

7. वर्ष 2008–09 में 19 ग्रामों का विद्युतीकरण, परम्परागत तरीके से एवं 65 ग्रामों का विद्युतीकरण, गैर परम्परागत तरीके से किया जा चुका है, इस तरह प्रदेश में 19077 ग्राम विद्युतीकृत हैं, जो कुल आबाद ग्रामों का 96.62 प्रतिशत है । वर्ष 2009 तक कुल 209917 पंप उर्जीकृत एवं 5611 अर्द्धस्थायी पंप कनेक्शन किए गए ।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में कुल उपलब्ध 1973.52 करोड़ रू. आवंटन में से 1434.30 करोड़ रू. व्यय किया जा कर 1243.48 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया जिसमें कुल स्वीकृत 53691 कार्य पूर्ण किए गए तथा 46859 कार्य प्रगति पर रहे । प्रावधान अुनसार 28.76 लाख रोजगार मांग के विरूद्ध 22.70 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

9. प्रदेश में न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष 2008 में जन्म दर 26.1 और मृत्यु दर 8.1 तथा शिशु मृत्यु दर 57 प्रति हजार आंकी गई है । न्यादर्श पंजीयन प्रणाली के वर्ष 2008 को आधार माने तो राज्य में वर्ष 2008 में प्राविधिक रूप से जन्म पंजीयन का स्तर 72.75 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन का स्तर 88.40 तथा शिशु मृत्यु का स्तर 12.95 प्रतिशत निर्धारित होता है । स्थानीय स्तर पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में

पुलिस थाना के स्थान पर पंचायत प्रणाली 1 जनवरी, 2008 से कर रही है । नगरीय क्षेत्र में यह कार्य नगरीय निकायों द्वारा पूर्ववत जारी है ।

10. दिसम्बर 2008 की स्थिति में संपूर्ण राज्य में पूर्व/प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः 44680, 24156 एवं 5085 है, तथा इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 54.4 लाख है जिसमें 29.07 लाख छात्र एवं 25.42 लाख छात्रायें अध्ययनरत हैं ।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में 159 शासकीय 203 अशासकीय अनुदान अप्राप्त एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं । संचालित महाविद्यालयों में 95903 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । जिसमे 13831 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति 21120 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 41957 छात्र है ।

11. राज्य में 03 शासकीय 02 स्व–शासी एवं 33 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिसकी प्रवेश क्षमता 11880 है । राज्य में 15 पालिटेक्निक संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 2385 है । इसके साथ 06 फार्मेसी, 08 एम.बी.ए, एक आर्किटेक्चर एवं 06 एम. सी.ए. पाठ्यक्रम निजी क्षेत्र में संचालित हैं । राज्य में शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर में स्थापित है जिसकी प्रवेश क्षमता 300 है इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों में एक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 02 पालिटेक्निक एवं 01 कन्या पालिटेक्निक क्रमशः अंबिकापुर, कोरबा एवं जगदलपुर में स्थित है ।

12. राज्य की स्त्रोतविहीन बसाहटों एवं आंशिक पूर्ण बसाहटों में सितम्बर 2009 तक 72775 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध 72731 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया एवं 35320 शालाओं में भारत निर्माण योजनान्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया । संपूर्ण स्वछता कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित निजी शौचालय, बी. पी.एल. 702745 ए.पी.एल. 633683 तथा स्कूल सेनेटरी काम्पलेक्स संख्या 44545 के साथ–साथ 7648 आंगनबाड़ी केन्द्रो में भी स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया । राज्य में कुल 200861 स्थापित हैण्डपम्पों से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष के दौरान 5141 हैण्डपंपों की स्थापना की गई । निर्मल ग्राम के पुरूस्कारों हेतु 1500 ग्राम पंचायतों के आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

अध्याय– 2

राज्यीय आय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2007–08 में 7941850 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें 19.88% की वृद्धि होकर वर्ष 2008–09 के त्वरित अनुमान 9520419 लाख रू. आंकलित किये गये । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08 (प्रा.)	2008–09 (त्व.)	2008–09 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1777150	1988391	2517626	2724969	8.24
2	द्वितीयक क्षेत्र	1504261	2333917	2874986	3759203	30.76
3	तृतीयक क्षेत्र	1818474	2148320	2549238	3036247	19.10
	सकल रा.घ.उ.	**5099885**	**6470628**	**7941850**	**9520419**	**19.88**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू)	22466	27891	33652	39504	17.39

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2007–08 में 5045144 लाख रू. अनुमानित किया गया । जिसमें 6.81% की वृद्धि होकर वर्ष 2008–09 में यह 5388617 लाख रू. आकलित किया गया ।

स्थिर (1999–2000) भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08(प्रा.)	2008–09 (त्व.)	2008–09 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1436483	1519297	1634321	1578990	–3.39
2	द्वितीयक क्षेत्र	922047	1343498	1560381	1745419	11.86
3	तृतीयक क्षेत्र	1484847	1653633	1850443	2064208	11.55
	सकल रा.घ.उ.	**3843378**	**4516428**	**5045144**	**5388617**	**6.81**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	16931	19467	21378	22359	4.59

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2008–09 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में **प्रतिशत वितरण** क्रमशः 28.62, 39.49 एवं 31.89 रहा जबकि इसी अवधि में स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर उपरोक्त क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण क्रमशः 29.30, 32.39 तथा 38.31 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2007–08 (प्रा.)		2008–09(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	31.70	32.39	28.62	29.30
द्वितीयक क्षेत्र	36.20	30.93	39.49	32.39
तृतीयक क्षेत्र	32.10	36.68	31.89	38.31
सकल रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान.

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2007–08 में 7027249 लाख रू. अनुमानित है, जिसमें 18.26% की वृद्धि होकर वर्ष 2008–09 के त्वरित अनुमान 8310360 लाख रू. आंकलित किये गये । प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2007–08 में 29776 रू. अनुमानित है, जो वर्ष 2008–09 में 34483 रू. प्रतिवेदित किया गया । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08 (प्रा.)	2008–09 (त्व.)	2008–09 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1599369	1794222	2290009	2485659	8.54
2	द्वितीयक क्षेत्र	1151024	1916176	2371360	3010362	26.95
3	तृतीयक क्षेत्र	1676387	1986687	2365881	2814338	18.96
	शुद्ध रा.घ.उ.	**4426779**	**5697085**	**7027249**	**8310360**	**18.26**
	प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) (रू. में)	19501	24556	29776	34483	15.81

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2007–08 में 4429690 लाख रू. अनुमानित किया गया जिसमें 6.20% की वृद्धि होकर वर्ष 2008–09 में यह 4704492 लाख रू. अनुमानित किया गया है । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख़ रू. में)

क्र	क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08 (प्रा.)	2008–09 (त्व.)	2008–09 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1301727	1378676	1486615	1422682	(–)4.30
2	द्वितीयक क्षेत्र	652734	1038809	1216848	1360383	11.80
3	तृतीयक क्षेत्र	1381165	1540173	1726228	1921426	11.31
	शुद्ध रा.घ.उ.	**3335627**	**3957658**	**4429690**	**4704492**	**6.20**
	प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	14694	17059	18770	19521	4.00

वर्ष 2008–09 में स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद 19521 रू. रहा ।

छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का स्थिर भावों के आधार पर वर्ष 2008–09 में प्रतिशत वितरण प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 30.24, 28.92 एवं 40.84 रहा जबकि इसी वर्ष में प्रचलित भावों के आधार पर यह प्रतिशत क्रमशः 29.91, 36.22 तथा 33.87 है ।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2007–08 (प्रा.)		2008–09 (त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	32.59	33.56	29.91	30.24
द्वितीयक क्षेत्र	33.75	27.47	36.22	28.92
तृतीयक क्षेत्र	33.67	38.97	33.87	40.84
शुद्ध रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

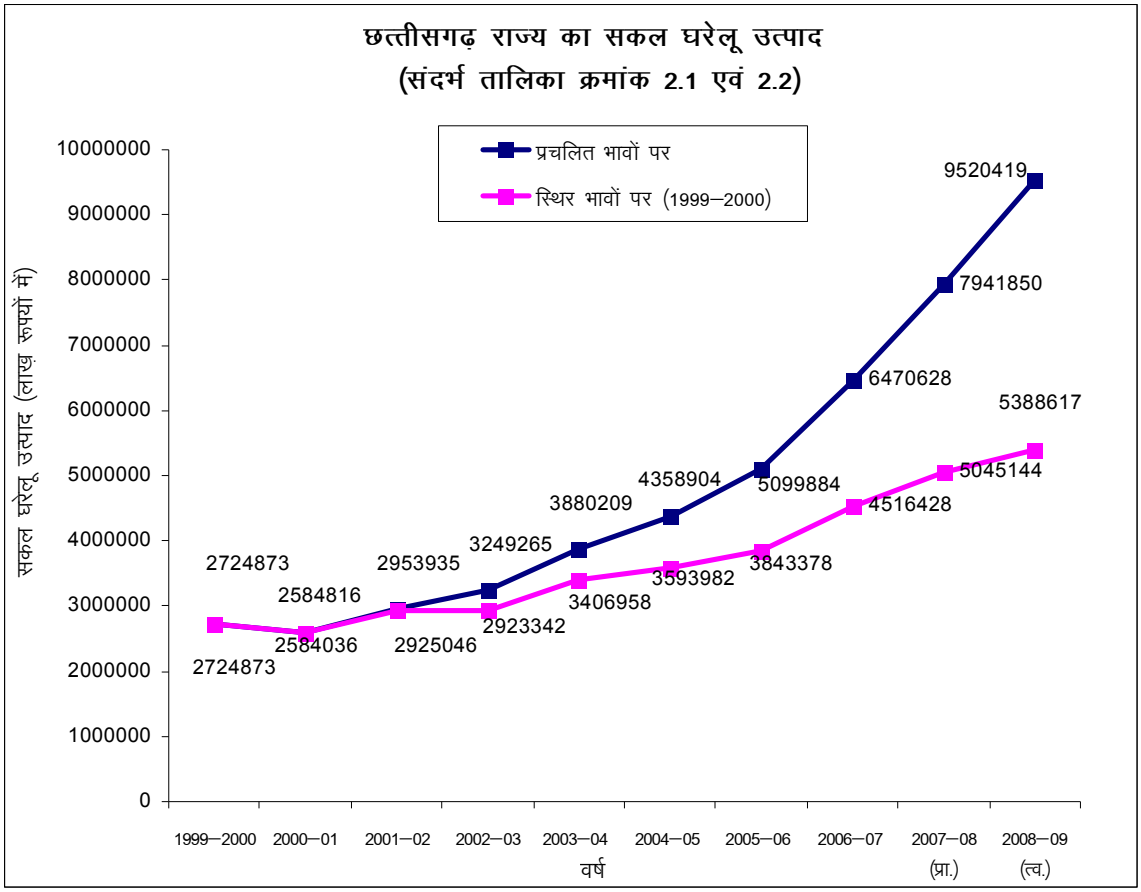
छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.1 एवं 2.2)
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर (1999–2000)
सकल घरेलू उत्पाद (लाख़ रूपयों में)
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2724873
2584816
2953935
3249265
3880209
4358904
5099884
6470628
7941850
9520419
2724873
2584036
2925046
2923342
3406958
3593982
3843378
4516428
5045144
5388617
1999–2000
2000–01
2001–02
2002–03
2003–04
2004–05
2005–06
2006–07
2007–08 (प्रा.)
2008–09 (त्व.)
वर्ष

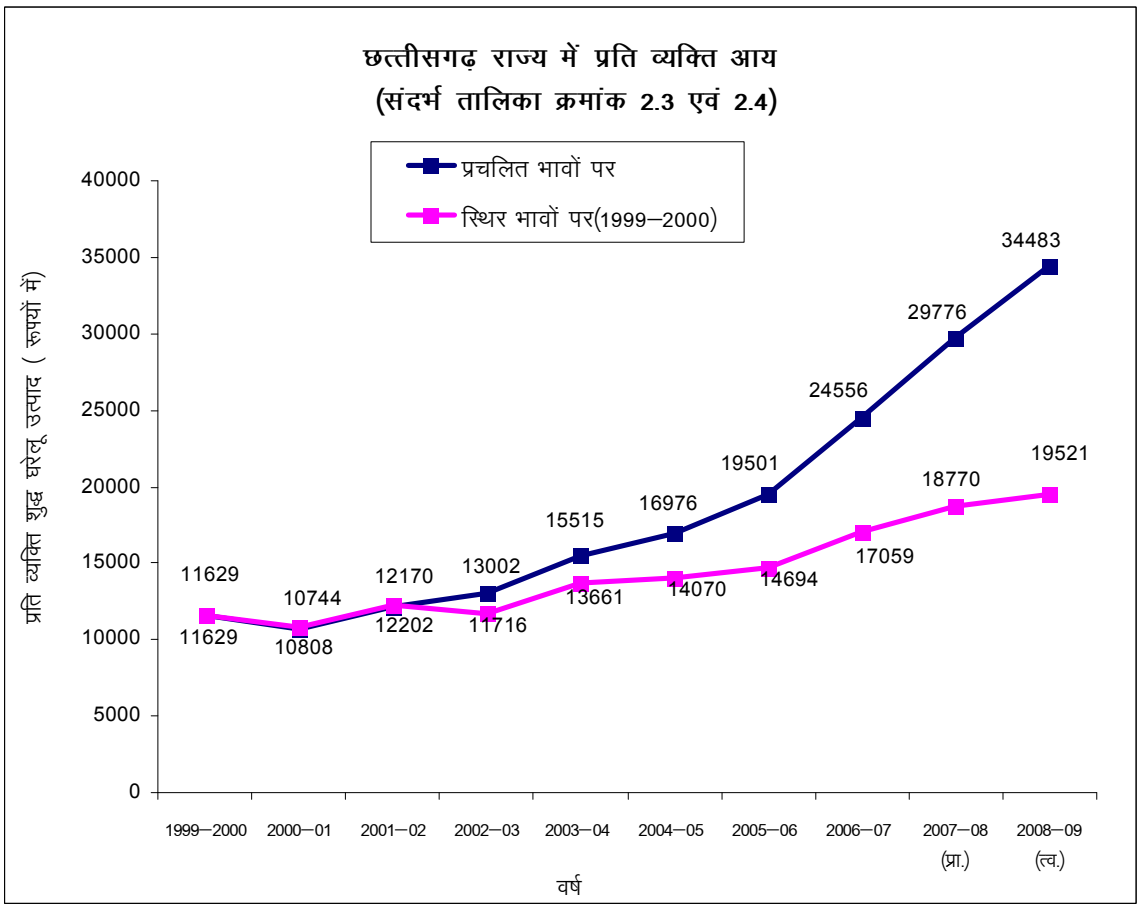
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.3 एवं 2.4)
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर(1999–2000)
प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
11629
10744
12170
13002
15515
16976
19501
24556
29776
34483
11629
10808
12202
11716
13661
14070
14694
17059
18770
19521
1999–2000
2000–01
2001–02
2002–03
2003–04
2004–05
2005–06
2006–07
2007–08 (प्रा.)
2008–09 (त्व.)
वर्ष

अध्याय–3

कृषि

राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है । यहां कृषि योग्य सकल कृषि क्षेत्र 55.23 लाख हेक्टर है जिसमें 17.46 लाख सीमांत 7.16 लाख लघु एवं 7.93 लाख मध्यम एवं दीर्घ इस प्रकार कुल 32.55 लाख कृषक परिवार कृषि कार्य में संलग्न है ।

कृषि उत्पादन :– वर्ष 2008–09 में खरीफ फसलों की 4781.07 हजार हेक्टर में एवं रबी 1614.69 हजार हेक्टर में बोनी हुई है । खरीफ एवं रबी मौसम में उत्पादन क्रमशः धान 5477.08, ज्वार 5.34, मक्का 268.58, कोदो–कुटकी 21.45, अरहर 87.83, मूंग 11.01, उड़द 67.20, कुल्थी 20.77, मूंगफली 85.02, तिल 17.96, सोयाबीन 144.55, रामतिल 20.22, सूर्यमुखी 0.67 एवं ग्रीष्म धान 544.74, चना 296.97, मटर 15.39, मसूर 7.20, मूंग 4.80, उड़द 2.72, कुल्थी 7.86, तिवड़ा 200.56, राई–सरसों 73.99, अलसी 33.01, कुसुम 1.57, सूर्यमुखी 6.60, तिल 0.59, मूंगफली 17.70, गन्ना 40.97, हजार मेट्रिक टन हुआ । इस प्रकार कुल खरीफ में 6227.67 हजार मे. टन तथा रबी में 1475.97 हजार मे. टन उत्पादन हुआ ।

प्रमुख फसलों का उत्पादकता का लक्ष्य (कि.ग्रा.प्रति हेक्टर) :– वर्ष 2009–10 में प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन चावल–1400, ज्वार–875, मक्का–1700 गेहूँ–1340, चना–1050 सोयाबीन–1200, अरहर–600, मूंग–350 एवं उड़द–400 किलोग्राम प्रति हेक्टर लक्ष्य रखा गया है ।

बीज वितरण :– खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2008–09 में प्रमाणित बीजों का वितरण 255444 क्विंटल रहा तथा रबी हेतु यह 64016 क्विंटल रहा । खरीफ 2009–10 में 350000 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 364293 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है । रबी 2009–10 में 78444 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

कल्चर वितरण : भूमि की उत्पादन क्षमता एवं फसल उत्पादकता वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु खरीफ 2008 में 563074 पैकेट की तुलना में खरीफ 2009 में 656808 पैकेट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध सितंबर 2009 तक 669616 पैकेट का वितरण हो चुका है । रबी वर्ष 2008–09 में 383645 पैकेट की तुलना में इस वर्ष 2009–10 में 713300 पैकेट का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

प्रमुख फसलों का उत्पादन
(संदर्भ तालिका 3.2)

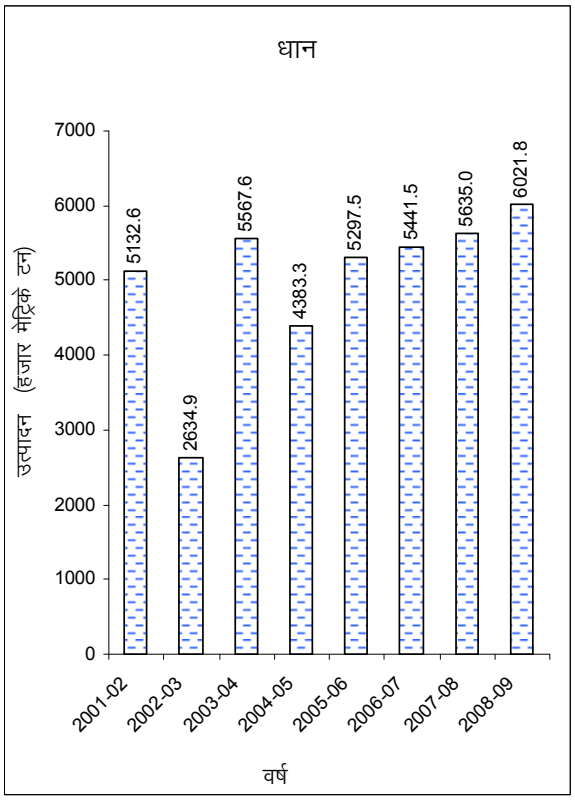

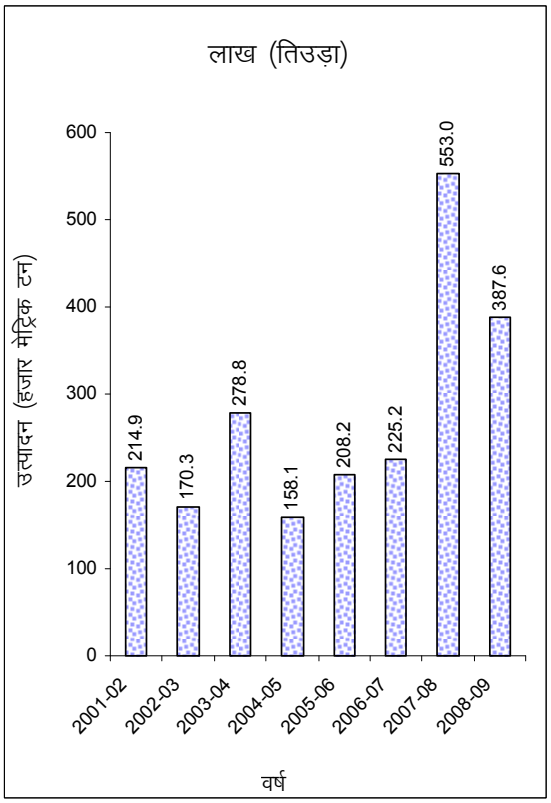

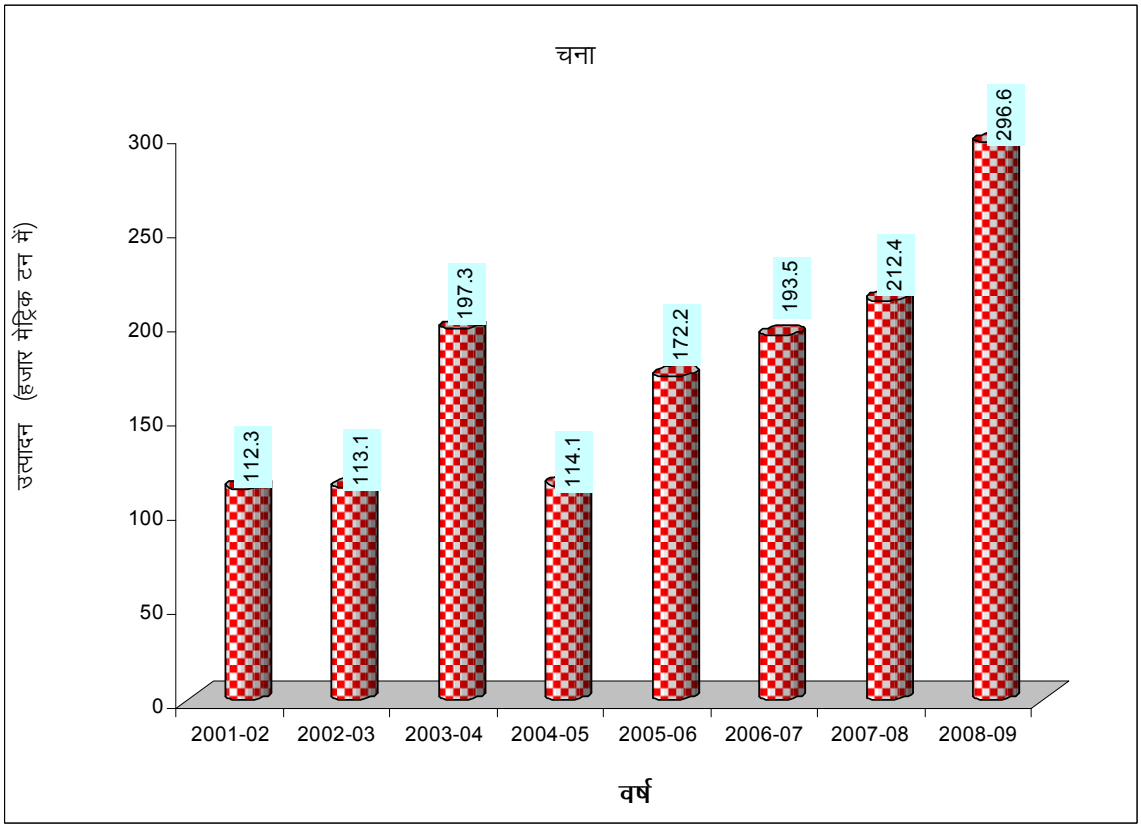

उर्वरक खपत : वर्ष 2008–09 में 463.00 हजार मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ । वर्ष 2009–10 में 912.00 हजार टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध खरीफ में माह अक्टूबर 2009 तक 927.98 हजार मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ । वर्ष 2008–09 का खपत विवरण निम्नानुसार है :–

मौसम	कुल उर्वरक खपत टनो में वर्ष 2008–09				उर्वरक खपत किलोग्राम/हेक्टर			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
खरीफ	212566	100544	47227	360338	44	21	10	75
रबी	55040	33905	13724	102670	231	19	8	58

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 18 जिलों में 184 जल ग्रहण क्षेत्रों का चयन कर विकास हेतु समितियां पंजीकृत कराई गई है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 183 जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है । कार्यक्रम के अनुसार योजनाकाल में 14658.20 लाख रूपये में 132358 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया जाना है । वर्ष 2007–08 में 960.56 लाख रू. व्यय कर 7483 हेक्टयर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 1527 स्ट्रक्चर तैयार किए गए । कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार योग्य कृषि एवं अकृषि भूमि तथा जलनिकासी प्रणाली का उपचार वानस्पतिक एवं जलसंग्रहण संरचनाएँ तैयार कर कराया जाता है । वर्ष 2008–2009 के लिए 1198.52 लाख रू. व्यय कर 12227 हजार हेक्टर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 3959 स्ट्रक्चर तैयार किए गए । वर्ष 2009–10 में 8300 हेक्टर क्षेत्र में उपचारित करने हेतु 1300 स्ट्रक्चर लगाये जाने की योजना है जिस पर राशि 400.00 लाख का आबंटन उपलब्ध है ।

नदी घाटी/बाढ़ उन्मुख योजना :– इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नदियों पर बनाये गये जलाशयों में गाद के जमाव को कम करना है, ताकि उनकी जीवन अवधि को अधिक समय तक बनाया रखा जा सके, साथ ही होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सके । प्रदेश के तीन जिले राजनांदगांव, दुर्ग एवं बिलासपुर में महानदी एवं सोनकछार में अति उच्च प्राथमिकता वाले 13 जलग्रहण क्षेत्र में काम कराया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में 595.26 लाख रू. व्यय कर 10118.00 हेक्टर क्षेत्र के लिए एवं 5285 स्ट्रक्चर लगाये गये है । वर्ष 2008–09 के लिए 304.88 लाख रू. व्यय कर 5758.47 हेक्टयर क्षेत्र के लिए 1945 स्ट्रक्चर लगाये गये वर्ष 2009–10 में 47000 हेक्टर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 1000 स्ट्रेक्चर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ।

लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना :– योजनान्तर्गत 40 हेक्टर तक सिंचाई क्षमता वाले सिंचाई तालाब बनाये जाते हैं । वर्ष 2007–08 में 2444.00 लाख रू. व्यय कर 239 तालाब बनाये गये हैं एवं 2008–09 में 2554.27 लाख रू. व्यय कर 168 तालाब बनाये गये है । बर्ष 2009–10 में 512.38 लाख रू. व्यय कर 28 तालाब पूर्ण तथा 78 तालाब निर्माणाधीन है ।

लघु सिंचाई योजना :– यह योजना 17 जिलों में लागू है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को नलकूप खनन पर बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अन्तर्गत आनेवाले विकास खण्डों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषको को सफल/असफल नलकूप पर खनन लागत या 18000 रू जो भी कम हो एवं सफल नलकूपों पर पम्प एवं सहायक समग्री की लागत व 25000 रू. अनुदान देय है । उपरोक्त को छोड़कर सामान्य अजा.अजाज. के कृषकों को खनन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10000.00 एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000.00 अनुदान देय है । योजनान्तर्गत वर्ष 2006–2007 में 3783 नलकूप खनित हुए जिस पर 753.80 लाख रू. अनुदान दिया गया है । वर्ष 2007–2008 में 4552 नलकूप खनन कर 973.37 लाख रू. व्यय किया गया । वर्ष 2008–09 में 4250 नलकूप खनन हेतु 968.74 लाख रू. का अनुदान दिया गया है, वर्ष 2009–10 में 11000 नलकूप खनन हेतु 1205.00 लाख रू. का प्रावधान अन्तर्गत 2318 नलकूप खनित हुए जिस पर 562.165 लाख रू. का अनुदान दिया गया है ।

किसान समृद्धि योजना :– अकाल की स्थिति के निवारण हेतु वृष्टिछाया के अन्तर्गत आने वाले 5 जिलों के 25 विकास खण्डों में यह योजना लागू की गई है । योजनान्तर्गत नलकूप हेतु सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 25000.00 रू. तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 43000.00 रू. अनुदान देय है । इस योजनान्तर्गत 5 जिलों में योजना प्रारंभ से 2008–09 तक 6554.09 लाख रू. व्यय कर 18559 नलकूपों का उर्जीकरण कर लगभग 46397 हेक्टर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई में वृद्धि हुई । वर्ष 2009–10 में 973.80 लाख रू. आबंटन के विरूद्ध रू. 226.55 लाख का अनुदान 1023 नलकूपों के उर्जीकरण हेतु किया गया है ।

आई.सी.डी.पी. चॉवल योजना विकास :– राज्य के 08 जिलों में यह योजना संचालित है इसे भारत सरकार की सहायता से धान के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन के तहत चलाया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में रू. 212.16 लाख व्यय

हुआ । वर्ष 2009–10 के लिए 222.78 लाख रू का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध अब तक 153.74 लाख रू. व्यय किया गया ।

केन्द्र पोषित आई सोपाम योजना –

1. राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजना :– दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वृद्धि हेतु शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है । दलहनी फसलों के विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 में रू. 346.39 लाख के विरूद्ध रू. 346.22 लाख व्यय हुआ है तथा तिलहन विकास हेतु वर्ष 2007–08 में रू. 609.70 लाख के विरूद्ध 605.40 लाख व्यय हुआ । दलहन में वर्ष 2008–09 में 416.65 लाख तथा तिलहन में 676.24 लाख रू. व्यय हुआ है । वर्ष 2009–10 में दलहन में 245.05 लाख रू. एवं तिलहन में 931.04 लाख रू. का प्रावधान है ।

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (टेक्नालॉजी मिशन आफ मेज) (केन्द्र प्रवर्तित) :– यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है । इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा उन्नत बीज व उन्नत कृषि यंत्रों को अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2008–09 में रू. 161.78 लाख, प्रावधान के विरूद्ध 105.38 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2009–10 में रू. 23.90 लाख के आवंटित राशि के विरूद्ध अक्टूबर 2009 तक रू. 9.28 लाख व्यय हुआ है ।

गन्ना विकास योजना :– राज्य के 10 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत बीज प्रगुणन, फील्ड प्रदर्शन, आई.पी.एम., वृत्ताकार प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है । शासन के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है । वर्ष 2008–09 में रू. 55.00 लाख का प्रावधान कर रू. 46.47 लाख रू. व्यय हुआ है तथा वर्ष 2009–10 के लिए रू 60.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है ।

अक्ति बीज संबंर्धन योजना :–

(अ) बीज अदला बदली :–सभी वर्ग के कृषकों को समर्थन मूल्य के बराबर राशि के समतुल्य अथवा कृषकों के स्वयं का उत्पादित अनाज के बदले में प्रमाणित बीज देने की योजना (खरीफः धान, सोयाबीन, कोदो फसल, रबीः गेहूँ, एवं चना के लिए) संचालित है ।

(ब) बीज उत्पादन :–सभी वर्ग के कृषकों के लिए रू. 300/ प्रति क्वि. (छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण में पंजीकृत कृषकों को प्रमाणित पैग्ड बीज पर अनुदान देय होगा ।

(स) प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान :–सभी वर्ग के कृषकों को रू. 200/ प्रति क्वि. धान फसल हेतु अनुदान ।

उपरोक्त योजनाओं को वर्ष 2009–10 में कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राशि रू. 919.80 लाख का आबंटन जारी किया गया जिसके विरूद्ध अब तक रू. 478.65 लाख का व्यय किया गया है ।

सूरजधारा योजना :– यह बीज अदला–बदली की योजना है जिसके अंतर्गत कृषक को अलाभकारी फसलों के बीज के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज (एक हेक्टर सीमा तक) दिया जाता है । इसके अतिरिक्त कृषक को स्वयं धारित कृषि भूमि के 0.10 हेक्टर क्षेत्र में आधार/प्रमाणित बीज तैयार करने के लिये 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2008–09 में रू. 919.80 लाख रू. का आबंटन कर 478.65 लाख रू. व्यय किया गया है ।

नाडेप विधि से खाद तैयार करना : इस कार्यक्रम में टंकी बनाने के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कृषकों को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2008–09 में 9300 लक्ष्य के विरूद्ध 8877 नाडेप टांको की पूर्ति हुई है तथा रू. 100.00 लाख के विरूद्ध रू. 99.44 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2009–10 हेतु भौतिक लक्ष्य 8103 नाडेप टांके एवं आवंटन राशि रू. 89.73 लाख है जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2009 तक रू. 22.77 लाख व्यय कर 2499 नाडेप टांके का निर्माण पूरा किया गया है ।

कृषि विस्तार तंत्र का सुधार (आत्मा): राज्य में कृषि विस्तार तंत्र का सुधार, कृषक स्तर से योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन, विपणन व्यवस्था को कृषि प्रसार तंत्र में शामिल किया जाना है । यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है (केन्द्रांश : राज्यांश 90:10) योजना प्रदेश के सभी जिलो में संचालित है जिसके लिए वर्ष 2009–10 में 788.38 लाख रू. का प्रावधान है ।

रामतिल प्रोत्साहन योजना : आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करने एवं रामतिल की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषकों में उन्नत बीज, उन्नत काश्त तकनीक का प्रदर्शन, उपयोगी कृषि यंत्र, उर्वरक, मिनीकिट बीजोपचार दवा, कल्चर सूक्ष्म तत्व, उर्वरक वितरण एवं कृषक प्रशिक्षण आदि माध्यमों का आश्रय लिया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में रू. 30.00 लाख वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध 18.97 लाख रू व्यय किया गया । वर्ष 2009–10 हेतु 28.27 लाख रू. आबंटन के विरूद्ध 10.18 लाख रू. व्यय किया गया है ।

चलित–मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना : चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु राज्य शासन से रू. 48.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर चार वाहन खरीदी में 42.84 लाख रू. व्यय हुआ । ये वाहन आदिवासी जिले कांकेर, कबीरधाम, कोरबा एवं सरगुजा के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के नमूनों का स्थल परीक्षण कर त्वरित परिणाम उपलब्ध करा रहे हैं ।

टीशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना : गन्ने एवं केले जैसे फसलों के पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीजों की कृषकों को उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना रायपुर मुख्यालय में की जा रही है । रसायनों के उपयोग से परिलक्षित दुष्प्रभाव के दृष्टिगत कृषि कीट व्याधियों के जैविक विधियों द्वारा नियंत्रण को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र शासन से रू. 45.00 लाख की लागत से जिला बिलासपुर में राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला निर्माण किया गया है ।

सूक्ष्म सिंचाई योजना :–उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है । जिसमें सिंचाई प्रणाली की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार, एवं शेष 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन जा रहा है । इस योजना द्वारा अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्र हेतु सहायता दी जा रही है । उत्कृष्ट कृषि विकास केन्द्र इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । वर्ष 2009–10 हेतु 3439.00 लाख रू. की कार्य योजना है । जिसमें अब तक 8303.74 लाख रू. व्यय कर 83555 हेक्टर क्षेत्र में ड्रिप व स्प्रिंकलर स्थापना की गई है ।

राष्ट्रीय खाद्यान सुरक्षा मिशन :– चावल की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रदेश के 10 जिले दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जशपुर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा में तथा दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 8 जिले बिलासपुर, दुर्ग, जशपुर, कबीरधाम, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा एवं राजनांदगांव का चयन किया गया है । जिसके लिए वर्ष 2008–09 में चावल उत्पादकता बढ़ाने हेतु 94.76 लाख तथा दलहन के लिए 22.50 लाख व्यय किया गया है । वर्ष 2009–10 के लिए चावल उत्पादन बढ़ाने हेतु 4987.86 लाख प्रावधान के विरूद्ध 402.61 लाख आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से अब तक 8.07 लाख व्यय हुआ । इसी प्रकार दलहन के लिए 4255.05 लाख रू. प्रावधान राशि के विरूद्ध 195.61 लाख रू. प्राप्त हुए जिसमें से अब तक 4.60 लाख रू. व्यय किया गया है ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–स्थानीय आवश्यकताओं फसलों एवं जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस योजनान्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2008–09 में 11745.00 लाख रू. व्यय किया गया एवं वर्ष 2009–10 हेतु 6585.00 लाख रू. प्रावधान के विरूद्ध 1000.09 लाख रू. व्यय किया गया है ।

वानस्पतिक ईंधन विकास कार्यक्रमः बायोफ्यूल के विकास से कृषको की आर्थिक प्रगति एवं कृषकों की स्वंय की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2007–08 में रू. 78.98 लाख रू. व्यय कर 15.35 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है । वर्ष 2008–09 हेतु 614.00 हेक्टर में 11.34 लाख पौधे कृषकों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना :– प्रदेश के कृषक अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है ।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन
(कि.ग्रा. प्रति हेक्टर)
संदर्भ तालिका 3.3

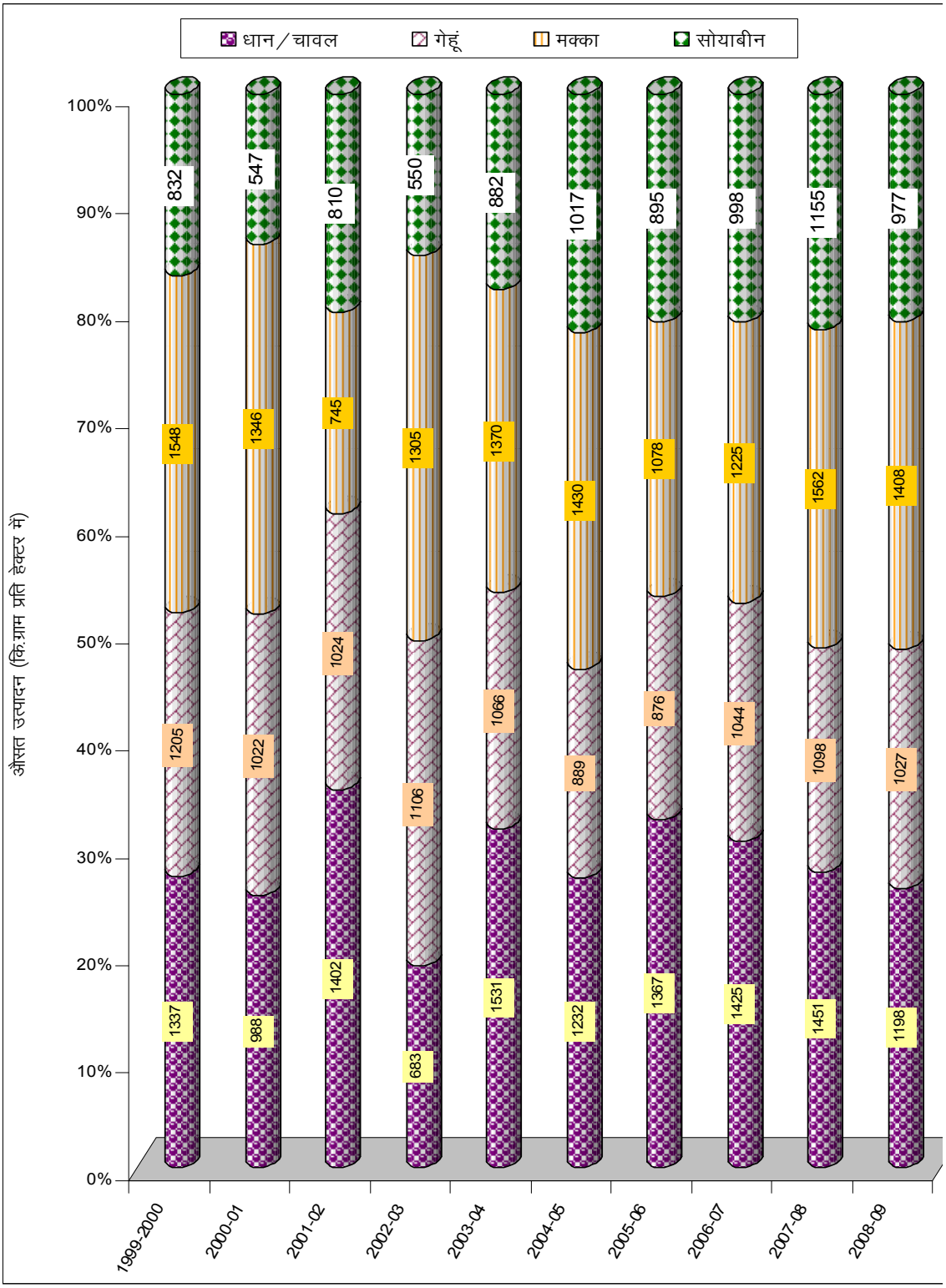

वर्ष

कृषि अभियांत्रिकी

मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना : इस योजना के अन्तर्गत डोजरों द्वारा भूमि समतलीकरण, समाच्च बंधान, परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य आदि किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 18 डोजर उपलब्ध है, जिनका वार्षिक लक्ष्य 12000 घंटे निर्धारित है ।

इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत व्हील टाईप ट्रैक्टरो/पावर टिलर्स के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर सीडड्रील, पैडी–थ्रेसर एवं ट्रान्सप्लांटर आदि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं । वर्तमान में उपरोक्त कार्यो के लिए राज्य में 31 ट्रैक्टर उपलब्ध हैं जिनके लिए 15,500 घंटे का लक्ष्य निर्धारित है । वर्ष 2008–09 में 5650 घंटे का सफल डोजिंग कार्य किया गया । वर्ष 2009–10 में 14000 घंटे प्रदर्शन लक्ष्य के विरूद्ध माह सितम्बर 2009 तक 5843 डोजिंग कार्य किया गया साथ ही वर्ष 2008–09 में 10575 घंटे कल्टीवेशन का कार्य एवं वर्ष 2009–10 में 15500 लक्ष्य के विरूद्ध 10460 घंटे कल्टीवेशन किया गया ।

उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण एवं वितरण : इस योजना के अन्तर्गत कृषि विभागीय कर्मशालाओं में उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है । इनमें मुख्यतः हैण्ड हो, लो–लिफ्ट पंप, सायकल व्हील हो, पैडी ड्रम सीडर, लोहे का देशी हल, जिग–जैग पैडी पडलर आदि है । इस हेतु रू. 10.00 लाख राशि का जमा खाता (पी.डी.एकाउन्ट) भी चलाया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाता है । वितरण का कार्य विभागीय कर्मशालाओं, छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड (एग्रो सेल), छत्तीसगढ़ विपणन संघ तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । वर्ष 2008–09 में 12000 लक्ष्य के विरूद्ध 583 उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया गया ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न आधुनिक यंत्रो/उपकरणों को कृषकों के बीच लोकप्रिय बनाने एवं उन्हे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन यंत्रों जैसे–लो लिफ्ट पंप, पैडी थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रीपर आदि का व्यापक प्रर्दशन भी किया जाता है । वर्ष 2008–09 में 8259 हस्तचलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण किया गया एवं 1200 कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के विरूद्ध 4414 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया साथ ही 35 ट्रेक्टर वितरण 103 पावर टीलर एवं 1548 अन्य शक्ति चलित यंत्रों का वितरण किया गया है । वर्ष 2009–10 में माह सितंबर, 2009 तक 54 ट्रेक्टर, 270 पावर टीलर एवं 486 अन्य शक्तिचलित यंत्रों का वितरण किया गया है । जिस पर 267.80 लाख रू. का अनुदान दिया गया है ।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका क्रमांक–3.4)

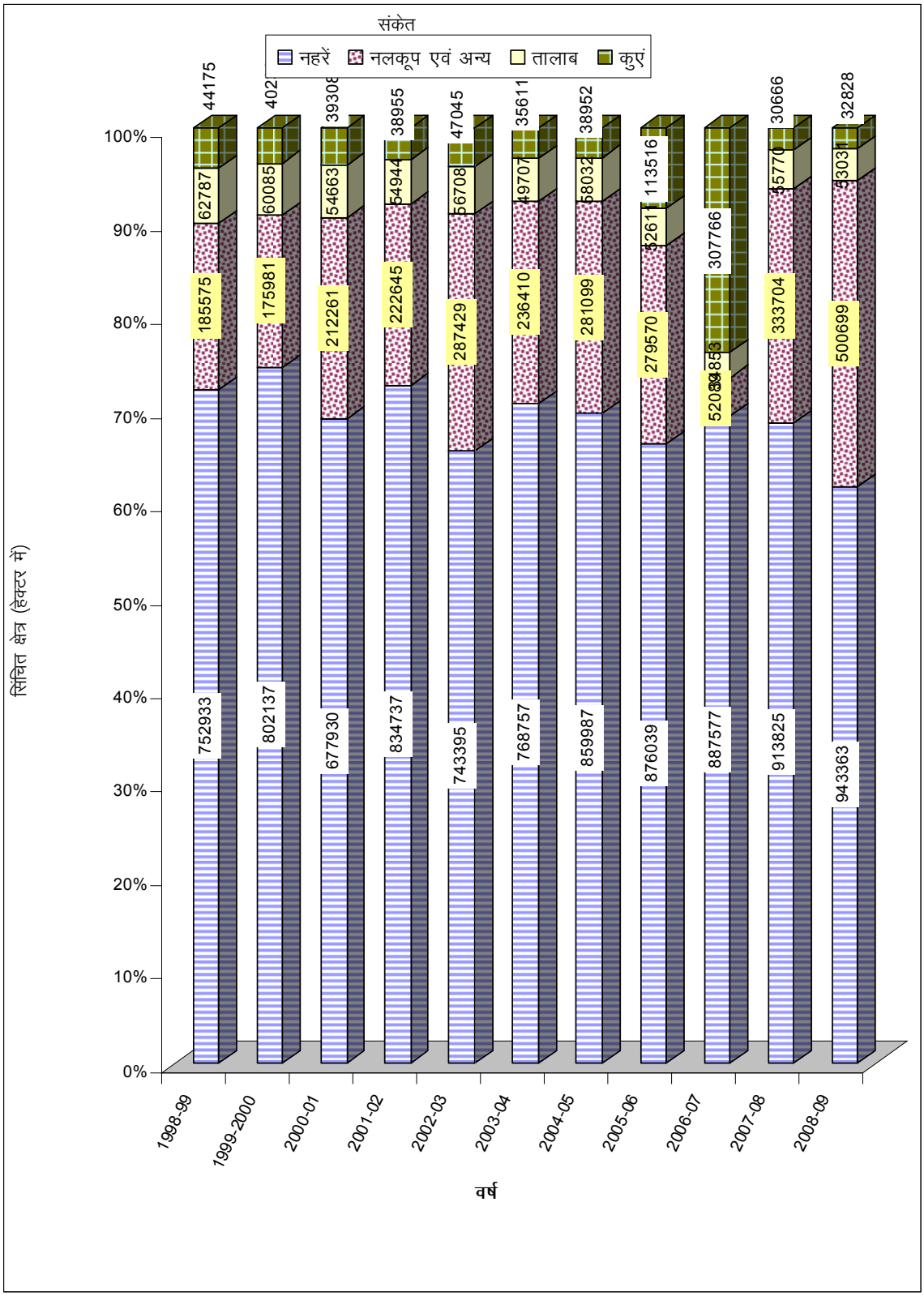

शाकम्बरी योजना : प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित दोहन, कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल सहायता में वृद्धि के उद्देश्य से लघु सीमान्त कृषकों को कूप निर्माण एवं विद्युत/डीजल/केरासीन चलित पंप पर 75 तथा कूप निर्माण कार्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है । नाबार्ड द्वारा डीजल/विद्युत/केरोसीन पंप पर प्रति इकाई 15500 एवं कूप निर्माण पर 34200 रू. निर्धारित है । वर्ष 2008–09 में 4228 कृषकों को डीजल/विद्युत पंप तथा 337 कृषकों को नलकूप निर्माण हेतु 1200.00 लाख रू. का अनुदान दिया गया । वर्ष 2009–10 में 4221 डीजल/विद्युत पंप पर एवं 309 नलकूप निर्माण पर माह सितम्बर 2009 तक 711.02 लाख रू. का अनुदान दिया गया है ।

लो–लिफ्ट पंप वितरण योजना : सिंचाई विस्तार एवं द्विफसली क्षेत्र में वृद्धि हेतु 75 प्रतिशत अनुदान पर लो–लिफ्ट पंप वितरण की योजना है । वर्ष 2008–09 मे रू. 120 कृषकों को लो–लिफ्ट पंप प्रदाय किया गया है । प्रति पंप की लागत 3500 रू. निर्धारित है जिस पर 75 प्रतिशत अनुदान देय है । वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 190 कृषकों पर अनुदान निर्धारित है ।

कृषि विपणन

कृषि उपज मंडियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित होने के पश्चात वर्ष 2001–02 में 70 मंडियॉ एवं 98 उप–मंडिया कार्यरत् थी । वर्ममान में कृषि उपज के विपणन को और अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से 03 कृषि उपज मण्डियों एवं 13 उप मंडियों की स्थापना की गई है । इस प्रकार वर्ष 2008–09 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 73 मुख्य मण्डियां एवं 111 उप मण्डियॉ कार्यरत है । मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषको को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है ।

मंडियों में आवक : राज्य की मंडियों में वर्ष 2007–08 में 63.72 लाख मे. टन. की आवक हुई । 2008–2009 में 72.25 में.टन की आवक हुई जो वर्ष 2007–08 की तुलना में 8.53 लाख मे.टन अर्थात 13.39 प्रतिशत अधिक है । यह राज्य सरकार द्वारा सहकारी विपणन संघ के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की अधिक खरीदी के कारण संभव हो सका ।

मंडियों की आय : छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों में वर्ष 2007–2008 में 9022.53 लाख रूपयों की आय हुई एवं वर्ष 2008–09 में 10546.88 लाख की आय हुई इस प्रकार वर्ष 2007–2008 की तुलना में वर्ष 2008–09 में 1524.35 लाख रूपये अर्थात 15.63 प्रतिशत की आय अधिक हुई । जिसका मुख्य कारण वर्ष 2007–08 में बकाया मंडी शुल्क की वसूली अधिक होने के कारण है ।

बोर्ड शुल्क : प्रदेश की मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क ही बोर्ड की आय का प्रमुख स्त्रोंत है जो मंडियों द्वारा बोर्ड को बोर्ड–शुल्क के रूप में दिया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों से वर्ष 2007–2008 में रू 838.85 लाख बोर्ड शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2008–2009 में 1058.36 लाख रूपये प्राप्त हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 219.51 (26.16 प्रतिशत) लाख रूपये अधिक है ।

प्रचलित योजनाएँ :–वर्ष 2008–09 में प्रदेश के चयनित 06 मंडियों को आदर्श फल सब्जी मंडी के रूप में विकसित करने की योजना अंतर्गत रू. 4384.20 लाख रू. की स्वीकृति दी गई है । इसी तरह नवीन मंडी प्रांगण विकास योजना अंतर्गत आंरग हेतु 146.77 लाख राजिम मंडी 187.50 लाख, बलौदाबाजार हेतु 589.58 लाख एवं फिंगेश्वर हेतु 154.79 लाख की स्वीकृति दी गई है ।

वर्ष 2008–09 के बजट से प्रथम चरण में प्रदेश के 73 मंडियों को 600 कि.ग्रा. के 431 नग एवं 1000 कि.ग्रा. के 100 नग इलेक्ट्रानिक तौलकांटै प्रदाय किए गये हैं ।

हाट बाजार निर्माण :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007–08 के अंतर्गत 30 हॉट बाजारों का निर्माण किया गया है । जिसके अन्तर्गत कव्हर्डशेड, ओपन प्लेटफार्म, गोदाम, मिट्टी एवं कीचड से मुक्त पीसीसी पेवमेंट तथा पेय जल व्यवस्था उपलब्ध की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे मण्डी की आय में वृद्धि हो रही है ।

गोदाम निर्माण :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007–08 के अंतर्गत 27 नग 1000 में. टन क्षमता गोदाम एवं वर्ष 2008–09 के अंतर्गत 13 नग 1000 मे.टन क्षमता गोदाम निर्माण किया गया है । गोदाम निर्माण से व्यापारियों को मण्डी स्थल पर ही भण्डारण की सुविधा उपलब्ध हो रही है ।

उप मण्डी विकास निर्माण :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2008–09 के अंतर्गत 14 उप मण्डियों में उपमण्डी विकास निर्माण कार्य किया गया है । जिसके अन्तर्गत कव्हर्डशेड, ओपन प्लेटफार्म, गोदाम, मिट्टी एवं कीचड से मुक्त पीसीसी पेवमेंट तथा पेय जल व्यवस्था उपलब्ध की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे मण्डी की आय में वृद्धि हो रही है ।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं । विभाग के अन्तर्गत 105 उद्यान रोपणी तथा एक साग–भाजी प्रगुणन प्रक्षेत्र है ।

वर्ष 2008–09 में उद्यानिकी अन्तर्गत 1.30 लाख हेक्टर क्षेत्र में फल, 2.93 लाख हेक्टर में साग सब्जी एवं 0.62 लाख हेक्टर क्षेत्र में मसाले, 0.11 लाख हेक्टर में औषधि एवं सुगंधित फसलें तथा 0.02 लाख हेक्टर में पुष्पीय पौधे लगाये गये हैं । जिससे 9.77 हजार टन फल 29.04 हजार टन सब्जी, 4.26 हजार टन मसाले एवं 0.66 हजार टन औषधि एवं सुगंधित एवं 0.06 हजार टन फूलों का उत्पादन किया गया है ।

राज्य पोषित योजनायें : छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं :–

फल विकास कार्यक्रम : इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदण्ड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नही लेना चाहतें हैं, उन्हें विभागीय फलोंद्यान योजना के अन्तर्गत, केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है । वर्ष 2009–10 में केला विकास योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2009 तक 2360 प्रदर्शन लगाये गये हैं । समन्वित सब्जी विकास योजनान्तर्गत 1330 हेक्टर में शंकर सब्जी बीज हेतु 32.04 लाख रू. व्यय कर शहरों के आस–पास प्रति हेक्टर 1500 रू. का अनुदान दिया गया है । आलू विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 14013 प्रदर्शन डाले गये । फल विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 1887.46 हेक्टर पौध रोपण कार्य किया गया है । मसाला विकास योनजान्तर्गत 38625 रू. का मिनिकिट्स वितरण किया गया है । इसी तरह पुष्प विकास योजनान्तर्गत 1/25 प्रदर्शन हेतु 75 प्रतिशत अनुदान योजनान्तर्गत 230 प्रदर्शन वर्ष 2009–10 में डाले गये । जबकि वर्ष 2008–09 में 285 प्रदर्शन पर 11.42 लाख रू. व्यय किए गए । औषधि एवं सुगंधित फसल विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 550 मिनिकिट्स का वितरण किया गया है । गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू आदर्श बागवानी योजनान्तर्गत सब्जी बीज घरों के बाड़ी में लगाने हेतु 25.00 रू के बीज देने का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत 101100 मिनिकिट्स का वितरण किया गया है । साथ ही देशी बृक्षों की ग्राफटिंग कर उन्नतशील किस्मों में बदलने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 74423

एवं वर्ष 2009–10 में 26394 पौधों का फल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत किस्म बदले गये ।

केन्द प्रवर्तित योजनाएँ (सूक्ष्म सिंचाई योजना) :–

1. ड्रिप सिंचाई योजना :– वर्ष 2009–10 में संयत्र के कुल लागत का 70 प्रतिशत अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों को देय है, वहीं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है । वर्ष 2009–10 में 293 हितग्राहियों को 565.75 हेक्टर में ड्रिप प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है ।

2. स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति :– लघु एवं सीमांत कृषकों को संयत्र का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15000 एवं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत देय है । वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 2009 तक 2847 हितग्राहियों के 3803.82 हेक्टर क्षेत्र में स्प्रिंगकलर स्थापित कर 611.80 लाख रू. व्यय किया गया ।

3. राष्ट्रीय वागवानी मिशन :– 4 हेक्टर वाली माडल नर्सरी की लागत 18.00 लाख रू. प्रति यूनिट होगी । जिसमें शत–प्रतिशत अनुदान देय है । वर्ष 2008–09 में 25 नर्सरी हेतु 456.42 लाख एवं वर्ष 2009–10 में 20 नर्सरी के विरूद्ध 3 नर्सरी स्थापित की गई है । लघु नर्सरी जो लगभग एक हेक्टर क्षेत्र में फैली हो की लागत 3.00 लाख रू. प्रति यूनिट है । सार्वजनिक क्षेत्र हेतु शत–प्रतिशत तथा निजी इकाईयों हेतु अधिकतम अनुदान सीमा 1.50 लाख रू. है । फलोद्यान विकास योजनान्तर्गत आम, लीची, नीबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान हेतु वर्ष 2008–09 में 2150 हेक्टर में कार्य किए गए जिस पर 322.50 लाख रू. व्यय हुआ है ।

4. पुष्प विकास योजना :– पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 952.00 हेक्टर का कार्य किया गया जिस पर 254.12 लाख रू. व्यय हुआ है, इसी तरह औषधीय एवं सुगंधित फसल योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 10407 हेक्टर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया जिस पर 1170.80 लाख रू. व्यय हुआ है । वर्ष 2009–10 में 5027.28 हेक्टर क्षेत्र में मसाला औषधि एवं सुगंधित फसल योजनान्तर्गत विस्तार कार्य किया गया है । काजू क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 4333 हेक्टर क्षेत्र में 243.72 लाख रू. व्यय कर विस्तार कार्य किया गया । पुराने उद्यानों के 950 हेक्टर क्षे. का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है । वर्ष 2009–10 में 250 हेक्टर क्षेत्र में जीर्णोद्धार कार्यक्रम प्रस्तावित है ।

5. जल संसाधन स्त्रोतों का निर्माण :– सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 15800 हेक्टर क्षेत्र में सामुदायिक तालाब का निर्माण किया गया जिस पर 1106.26 लाख रू. व्यय किया गया । वर्ष 2009–10 में 1244 हेक्टर क्षेत्र में तालाब/जलाशय निर्माण किया गया है । योजनान्तर्गत प्रति यूनिट 10 हेक्टर सिचांई हेतु 10.00 लाख रू. का प्रावधान है ।

6. ग्रीन हाऊस खेती :– संरक्षित खेती योजनान्तर्गत ग्रीन हाऊस, पलवार (मल्चिंग), शेड नेट एवं प्लास्टिक टनल अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में 8456 हेक्टर क्षेत्र में अनुदान दिया गया, जिस पर 295.96 लाख रू. व्यय हुआ है ।

7. समन्वित कीट ब्याधि प्रबंधन योजना :–उत्कृष्ट कृषि विकास आई.एन.एम/आई.पी.एम परियोजना आधारित पादप स्वच्छता एवं जैव नियंत्रण हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला हेतु कीट प्रबंधन योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 9500 हेक्टर पर कार्य किया गया । जिस पर 125.21 लाख रू. व्यय किया गया । वर्ष 2009–10 में 2877 हेक्टर क्षेत्र में कीट ब्याधी प्रबंधन योजना लागू की गई है ।

8. कार्बनिक खेती :– वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, मधुमक्खी पालन, विशिष्ट खेती (आई.पी.एम./आई.एन.एस) परियोजना लागत 20.00 हजार का 50 प्रतिशत हितग्राहियों को देय है । वर्ष 2008–09 में 4241 यूनिट कार्य के निर्माण पर 1272.30 लाख रू. व्यय हुआ है । वर्ष 2009–10 में 2582 यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया ।

9. प्रशिक्षण :–किसान प्रशिक्षण हेतु प्रति कृषक 1500 रू. एवं राज्य के बाहर भेजे जाने पर 2500 रू. देय है । इसी तरह परियेाजना अधिकारी, बागवानी अधिकारी, पर्यवेक्षकों एवं उद्यमियों हेतु 50000 रू. देय है । योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 8054.28 लाख रू. वित्तीय प्रावधान किया गया है ।

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– बहुवर्गीय फलदार पौधों के रोपण हेतु वर्ष 2007–08 में 1057 हेक्टर के रोपण कार्य पर 110.91 लाख एवं एक वर्षीय फलदार जैसे केला एवं पपीता के 877 रोपण पर 131.49 लाख व्यय किया गया । इसी तरह सब्जी फसल के अन्तर्गत 2038 हेक्टर के रोपण पर 197.14 लाख रू. व्यय किया गया है एवं मसाले वाले फसलें जैसे लहसुन, अदरक, मिर्च, धनियॉ आदि के क्षेत्र विकास पर प्रति हितग्राही 4.00 हेक्टर सीमा के भीतर कुल 2135 हेक्टर के रोपण पर 239.04 लाख रू. व्यय किया गया है।

11. उद्यानिकी उपकरणों का वितरण :– वर्ष 2007–08 में 480 नग स्प्रेयर डस्टर, 667 नग पौध प्रर्वधन उपकरण एवं 2667 नग अंकुरण उपकरण वितरित किए गए जिस पर क्रमशः 5.39, 3.75 एवं 0.75 लाख रू. व्यय किए गए हैं ।

12. काजू प्रसंस्करण इकाई :–योजनान्तर्गत काजू रोपित क्षेत्र के शासकीय रोपणी में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु शत–प्रतिशत अनुदान या 60.00 हजार प्रति इकाई शासकीय संस्थाओं को देय है । वर्ष 2009–10 में 1164.71 लाख रू. व्यय किया गया है ।

अध्याय–4

भाव स्थिति

समर्थन मूल्य एवं खाद्यान्न उपार्जन

भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, तथा मक्का का उपार्जन सीधे कृषकों से किया जा रहा है । लेव्ही चावल का उपार्जन, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलर्स से किया जा रहा है । प्रदेश में अप्रैल 2002 से विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना लागू है, जिसके अंतर्गत उपार्जित चावल का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं में किया जा रहा है । प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्नों के उपार्जन की स्थिति निम्नानुसार है :–

धान : खरीफ वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर सामान्य धान 950 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए के लिए 980 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया साथ ही 50 रू. प्रति क्विंटल बोनस की राशि राज्य शासन द्वारा एवं 50 रू. की राशि केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत है । समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार की अधिकृत उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 1333 सहकारी समितियों द्वारा स्थापित 1578 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से नवम्बर 2009 तक 5.92 लाख मे.टन धान का उपार्जन किया गया ।

मक्का :– खरीफ विपणन मौसम 2008–09 हेतु 840.00 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विपणन वर्ष 2008–09 में 8587 में.टन मक्का उपार्जित किया गया है । खरीफ वर्ष 2009–10 हेतु मक्का का समर्थन मूल्य 840.00 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित है ।

कस्टम मिलिंग एवं चावल उपार्जन :

खरीफ विपणन मौसम 2008–09 उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग इस वर्ष धान उपार्जन के साथ–साथ अर्थात माह नवम्बर 2008 से ही प्रारंभ की गई है, ताकि उपार्जन धान के शीघ्र निराकरण होने की स्थिति में राज्य को होने वाली वित्तीय हानि को कम किया जा सके । नवम्बर 2009 की स्थिति में 52760 मे. टन धान की कस्टम मिलिंग पूर्ण हो चुकी है । वर्तमान खरीफ वर्ष में नवम्बर 2009 की स्थिति में 57323 में. टन सिविल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल उपार्जित किया जा चुका है ।

विगत खरीफ विपणन वर्ष 2008–09 के दौरान छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 14.45 लाख मे.टन कस्टम मिल्ड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10.66 लाख

मे.टन कस्टम मिल्ड तथा 6.13 लाख मे.टन लेव्ही चावल का उपार्जन किया गया । इस प्रकार कुल 31.24 लाख मे. टन चावल का उपार्जन किया गया है ।

शक्कर : भारत सरकार से प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी परिवारों को 425 ग्राम प्रति सदस्य के मान से प्रति माह रियायती दर पर शक्कर वितरित की जा रही है । भारत सरकार से प्रदेश को शक्कर का आवंटन प्राप्त हो रहा है ।

मिट्टी तेल :–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 3.85 लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है । भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रति माह 15575 किलो लीटर मिट्टी तेल का आबंटन प्राप्त हो रहा है । वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भारत सरकार द्वारा 188815 किलो लीटर केरोसीन का आबंटन किया गया था जिसके विरूद्ध वितरण 187231 किलो लीटर (99.16 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह अक्टूबर तक केरोसीन का 109505 किलो लीटर आबंटन के विरूद्ध 108504 किलोलीटर केरोसीन का वितरण (99.00 प्रतिशत) रहा है । केरोसीन की वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु परिवहन एवं उचित मूल्य की दुकानों को आन लाईन मानीटरिंग हेतु कम्प्यूटराईजेशन की कार्यवाही की जा रही है जिससे मानीटरिंग सुनिश्चित हो जायेगी ।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नेटवर्क भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रो, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 99 खाद्यान्न प्रदाय केन्द्रों एवं 10506 उचित मूल्य की दूकानों के समन्वय से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को पात्रतानुसार निर्धारित मूल्य पर नियमित खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है । प्रदेश में उचित मूल्य की दूकानों का संचालन सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है । 2009 की स्थिति में कुल 10506 दुकाने संचालित है ।

- 1526 दुकानें प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा
- 4175 दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा
- 872 दुकानें वृत्ताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा,
- 2313 दुकानें स्व–सहायता समूहों द्वारा
- 1421 दुकानें अन्य सहकारी समितियों द्वारा
- 157 दुकानें वन सुरक्षा समितियों द्वारा
- 42 अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित है ।

सार्वजनिक तिवरण के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार है :–

लक्षित सार्वजनिक प्राणाली:– प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली जून 1997 से लागू है । योजनान्तर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) एवं ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में बी.पी.एल. खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण निम्नानुसार है:–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल.गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
31320.00	18876	454368.00	454368

वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह अक्टूबर 2009 तक बी.पी.एल. खाद्यान्न वितरण की स्थिति निम्नानुसार है:–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
18270.00	16606	265048	265048

अन्त्योदय अन्न योजना :– प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना जुलाई 2009 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 1.00 रू. किलो चावल, 35 किलो प्रतिमाह के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेश में 7.189 लाख हितग्राहियों को अन्त्योदय राशन कार्ड जारी कर उन्हे नियमित रूप से चावल वितरित किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भारत सरकार द्वारा 301944 मे. टन खाद्यान अन्त्योदय योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध खाद्यान का वितरण 301944 मे.टन (100%) मे.टन रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 तक अन्त्योदय योजनान्तर्गत चावल के 176134 मे. टन आबंटन के विरूद्ध 173975 मे.टन चावल का वितरण (99%) है ।

अन्नपूर्णा दाल–भात योजना : राज्य शासन के निर्णयानुसार यह योजना विभाग द्वारा जनवरी 2004 से समस्त प्रदेश में लागू की गई है, जिसके द्वारा राज्य के निर्धन एवं जरूरत मंद लोगों को 5.00 रू. में भरपेट दाल–भात उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्तमान में संचालित 157 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्दों से प्रतिदिन 20 से 25 हजार निर्धन हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं । राज्य शासन द्वारा इन केन्द्रो को बी.पी.एल. दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अन्नपूर्णा योजना : इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ बेसहारा नागरिको को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रही है । इस योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है । प्रदेश में 22113 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदाय कर खाद्यान्न का नियमित वितरण किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विभाग द्वारा 3200 में. टन चावल अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध चावल का वितरण 2844 मे. टन (89 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह अक्टूबर 2009 तक अन्नपूर्णा चावल के 1869 में. टन आबंटन के विरूद्ध 1645 में. टन चावल का वितरण (88%) है।

छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना :

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिमाह दो किलो आयोडाईज्ड नमक निःशुल्क वितरित किया जा रहा है । जिसमें 37.27 लाख निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी अनुसूचित विकास खण्डों के परिवारों को इस येाजना का लाभ दिया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य शासन द्वारा 87261 मे.टन नमक वितरण हेतु जिलो को आवंटित किया गया जिसके विरूद्ध नमक का वितरण 63567 मे.टन (73 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में 51108 मे.टन आवंटन के विरूद्ध 48781 मे.टन का वितरण (95 प्रतिशत) है ।

ग्रेन बैंक योजना :–राज्य में भुखमरी एवं कुपोषण की कोई भी संभावना न होने देने हेतु राज्य शासन द्वारा समस्त जिलों में 1904 ग्रेन बैंको की स्थापना की गई है जिसमें प्रति ग्रेन बैंक 40 क्विंटल के मान से 10480 क्विंटल चावल भंडारित किया गया है । कोई भी जरूरतमंद अधिकतम एक क्विंटल चावल ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है ।

खाद्यान्न सहायता योजना :–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18.75 लाख बी.पी.एल. परिवार को छोड़कर शेष अन्य निर्धन एवं जरूरत मंद परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु अप्रैल, 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना राज्य में लागू की गई है । इस योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

1. **केसरिया राशनकार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति जिसके नाम 2002 की सूची में नहीं है उन्हे केशरिया रंग का कार्ड जारी किया गया है । कार्डधारी को 35 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से राशन प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 6.85 लाख है ।

2. **10 किलो केसरिया राशन कार्ड** :– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही जिन्हे पूर्व में बी.पी.एल. अथवा अंत्योदय अन्न योजना का राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है प्रतिमाह 10 किलो केसरिया कार्ड जारी किया गया है । इस परिवार को 10 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 2.00 लाख है ।

3. **स्लेटी राशन कार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 या 2002 के बी.पी.एल सर्वे में सम्मिलित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार जिसे अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सका है स्लेटी राशनकार्ड जारी किए गए हैं । परिवार को प्रति माह 35 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 12.86 लाख है ।

4. **निःशक्त (हरा) राशन कार्ड** :–सभी निःशक्त जनों को लाभान्वित करने के लिए हरा राशन कार्ड बनाकर जारी किए गए हैं । जिसकी संख्या 41902 है । उपरोक्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है ।

राज्य शासन द्वारा जुलाई 2009 से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 2.00 प्रति किलो की दर से चावल वितरण प्रारंभ किया गया है । इस योजना का क्रियान्वयन राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में 1440.00 करोड़ रू.की राशि व्यय किया जायेगा ।

5. **समर्थन मूल्य के अन्तर्गत किसानों को बोनस** :–खरीफ वर्ष 2008–09 में केन्द्र सरकार के 50 रू. प्रति क्विंटल बोनस के अतिरिक्त 220 रू. प्रति क्विंटल बोनस अर्थात कुल 270 रू. प्रति क्विंटल बोनस के साथ 37.59 लाख मेट्रिक टन की रिकार्ड धान खरीदी की गई । राज्य शासन ने मोटा धान हेतु 1120 रू. प्रति क्विंटल एवं पतले धान हेतु 1150 रू. प्रति क्विंटल की राशि भुगतान की है जो देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक है ।

6. **महिलाओं को गैस कनेक्शन पर अनुदान** :–जुलाई 2009 से महिलाओं को घरेलू कनेक्शन पर 100 रू. आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है।

अध्याय–5

पशुधन विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है । 15 अक्टूबर 2007 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.44 करोड़ पशुधन तथा 1.42 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी है । देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

गौवंशी पशु विकासः– पशु संगणना 2007 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 33.46 लाख है । राज्य में वर्ष 2008–2009 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 5 गहन पशु विकास परियोजनायें एवं उन्नत दुधारू पशु परियोजनायें, 22 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 253 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधन इकाइयॉ सहित 927 संस्थायें कार्यरत् हैं । उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2008–09 में 4.22 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 18.00 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.01 लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 7.00 हजार वत्सोत्पादन हुआ । वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 1.73 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.15 लाख पशुओं प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई जिससे 0. 46 लाख वत्सोत्पादन एवं 6.00 हजार प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है ।

बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार 27.60 लाख बकरे–बकरियॉ हैं, प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 324.00 लाख रू. व्यय कर 9943 उन्नत नस्ल के बकरे प्रदाय किए गए । वर्ष 2009–2010 में 162.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 6000 बकरे वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रदेश में एक नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा जिला रायपुर में की गई है ।

सूकर विकास : वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.11 लाख़ सूकर हैं । सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालको को वर्ष 2008–09 में विनिमय के आधार पर सूकरत्रयी वितरण हेतु 70.00 लाख रु. से 778 हितग्राहियों को, एवं विनिमय के आधार पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु 17.60 लाख रु .व्यय कर 307 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जा रहा है । वर्ष 2009–10 के लिये विनिमय के आधार पर सूकरत्रयी वितरण हेतु 80.00 लाख रू. प्राप्त आवंटन के विरूद्ध 1122 हितग्राहियों को तथा विनियम के आधार पर नर सूकर

वितरण हेतु 22.95 लाख रू. आवंटन से 498 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रदेश में सकालों (जिला अम्बिकापुर) एवं परचनपाल (जिला बस्तर) में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र प्रचालित है । जिसमें लार्ज वाईट, यार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है कुनकुरी जिला जशपुर में एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है ।

शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– प्रदेश में वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो को प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में राशि रू. 259.95 लाख के व्यय से 500 उन्नत नस्ल के सांडो का प्रदाय किया गया है । व्यक्तिमूलक गोसंवर्धन योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 75.00 लाख रूपये के विरूद्ध 500 उन्नत नस्ल के सांड़ों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें माह सितम्बर 2009 तक 18 उन्नत नस्ल के सांड़ों का वितरण किया गया है ।

कुक्कुट विकास : प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 142.07 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है । प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है । इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत, आहार एवं औषधि सहित घर पहुॅचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है । आलोच्य वर्ष 2008–09 में बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत 90.00 लाख रू. व्यय किया जाकर 6366 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2009–10 में 180.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 20000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सितम्बर 2009 तक 84 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

राज्य डेयरी प्रयोगशाला की स्थापना :–योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ के पॉच जिलों में 1549.70 लाख की कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसके प्रथम चरण में 379.20 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है । उपरोक्त जिलों में उचित मूल्य पर दुग्ध संकलन, प्रोसेसिंग एवं विपणन का कार्य किया जावेगा । वर्ष 2008–09 में 194 समितियों में 6892 सदस्य सम्मिलित हुये है । वर्ष 2009–10 में 205 समितियों में 5923 सदस्य सम्मिलित हुये है । समिति में 2008–09 में 2619 किलोग्राम दूध संकलन कर 2622 लीटर दूध वितरण किया गया एवं 2009–10 में 2793 लीटर दूध संकलन एवं 2757 लीटर दूध का वितरण किया गया है ।

बॉक्स क 5.1

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- वर्ष 2008–09 हेतु राष्ट्रीय गौवंशी /भैसवंशी परियोजना अंतर्गत 818.20 लाख की राशि भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं ।
- वर्ष 2008–09 में 291 चलित कृत्रिम गर्भाधान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो दूरदराज क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनान्तर्गत कार्य करेंगें । वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 21 चलित कृत्रिम गर्भाधान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 2790.43 लाख रू. की कार्ययोजना अन्तर्गत 1281.14 लाख रू. आबंटन प्राप्त हुआ है ।
- दूरस्थ अंचलों में पशु चिकित्सा सेवायें हेतु स्वर्णिम रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 8439 बेरोजगारों को गौ सेवक प्रशिक्षण दिया गया है ।

पशु चिकित्साः– वर्ष 2008–09 में 79852 पशु रोग नमूनों की जॉच की गई । पशुओं में गलघोंटू एकटंगिया, एन्थ्रेक्स, मातामहामारी जैसे संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए 55.37 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया एवं 77.18 लाख कुक्कुट टीकाकरण किया गया । 20.08 लाख पशुओं का उपचार 22.19 लाख पशुओं को औषधि वितरण तथा 3.44 लाख बधियाकरण किया गया, साथ ही 947 स्ट्रिंगहाल्ट आपरेशन किया गया । वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 35644 रोग नमूनों की जांच की गई एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए 33.70 लाख पशुओं एवं 14.02 लाख कुक्कुट पक्षियों का टीकाकरण किया गया । 6.95 लाख पशुओं के उपचार 7.83 लाख पशुओं को औषधि वितरण तथा 0.74 लाख बधियाकरण किया गया साथ ही 389 स्ट्रिंगहाल्ट आपरेशन किया गया है ।

बॉक्स क 5.2

प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सालय

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	208
पशु औषधालय	734
चल चिकित्सालय	16
माता महामारी	05
पशु जांच चौकियां	7
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	16
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र	22
हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान	253
एम्बुलेंस क्लीनिक	10
मख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरणः– केन्द्रीय योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है । वर्ष 2008–09 में केन्द्र शासन द्वारा 10.42 करोड़ रू. व्यय करने की स्वीकृति दी गई है । वर्ष 2008–09 में उक्त राशि में 8.53 करोड़ व्यय किए गए । परियोजना की प्रथम चरण की उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

1. पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना ।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन ।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुॅच विहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय ।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण ।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण ।
7. 864 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है ।
8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास ।
9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण ।

राष्ट्रीय गौवंशी/भैंसवंशी परियोजना का राज्य में संचालित होने से 60 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान कार्य में वृद्धि हुई है । फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है । परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है ।

पशु उत्पाद उपलब्धताः– वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य के 16 जिलों में केन्द्रीय प्रवर्तित न्यादर्श सर्वेक्षण अन्तर्गत 80 ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 119 ग्राम दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 47 अण्डे तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 715 ग्राम होना पाया गया है ।

अध्याय–6

मत्स्य विकास

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ठ स्थान रखता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.592 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.462 लाख हे. जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 91.83 प्रतिशत है । यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है । कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है ।

राज्य आयोजना :–

1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2007–08 में समस्त स्त्रोतों से 6497.10 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ था । इसी प्रकार वर्ष 2008–09 में 6750.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 3.89 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 6483.00 लाख स्टेंर्डड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया ।

2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2007–08 में राज्य में समस्त स्त्रोंतों से 139373 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2008–2009 में 158698 मेट्रिक टन किया गया । जोकि गत वर्ष की तुलना में 13.86 प्रतिशत अधिक है । आलोच्य वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 95842 मेट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है ।

3. मछुआ सहकारिता :–राज्य में वर्ष 2009–10 माह सितम्बर 09 तक समितियों की संख्या 919 है । जिनकी सदस्य संख्या 28863 है । इन समितियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है ।

4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने सुधारने, नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है । जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा 100 रू. प्रति दिवस प्रशिक्षण वृत्ति अधिकतम 1250 रू. व्यय किए जाने का प्रावधान है । वर्ष 2008–09 में 4631 हितग्राहियों को अध्ययन भ्रमण पर भेजा गया । सभी वर्गो के प्रगतिशील मछुआरों को वर्ष 2008–09 में 140 हितग्राहियों को अध्ययन भ्रमण पर भेजा गया । प्रति हितग्राही व्यय मानदेय के रूप में 2500 रू. दिया गया है ।

बॉक्स क 6.1

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 2000 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 1.138 लाख हेक्टर क्षेत्र हितग्राहियों को आवंटित किए गए ।

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रूपये 50000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 100000 रू. की सहायता दी जाती है । वर्ष 2008–09 में 63142 मछुआरों का बीमा कराया गया ।

- वर्ष 2008–09 मे मछुआरों के लिए 338 आवास सुविधा का निर्माण किया गया है । योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य 50:50 के अनुपात में व्यय भार वहन किया गया ।
- स्वयं की भूमि पर 32 तालाबों के 27.7 हेक्टर जल क्षेत्र के लिए 0.5 हेक्टर तालाब पर बीज संवर्धन एवं सुधार हेतु 30000 प्रति हितग्राही कुल 16.00 लाख अनुदान दिये गये हैं ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत नवीन 77 तालाबों हेतु एवं सन्तुलित परिपूरक आहार के लिए 124 समितियों के समूह को 96.75 लाख का अनुदान दिया गया ।

- मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2008–09 में 90.00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया । माह सितम्बर 2009 तक 60.24 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया ।

5. मत्स्य पालन प्रसार :–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा पालन एवं आलंकारिक मत्स्योद्योग के लिए अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया गया है । जिसमें झींगा बीज एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम 15000 रू. का प्रावधान है । वर्ष 2008–09 में 368 इकाईयॉ स्थापित की गई है जिसमें 6.03 लाख झींगा बीज संचयन कर 12605 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है जिसमें 89 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं । 6. **अल्पअवधि बचत सह राहत योजना** :– बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की जा रही है । योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा 9 माह में 50 रूपये मासिक अंशदान से 1200 रू. तथा शासन द्वारा 600 रू. दिया जायेगा कुल रूपये 1800 रू. हितग्राही के नाम से जमा किए जायेगें । जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 600 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है । वर्ष 2008–09 में 1470 मछुआरों को उक्त योजना के तहत शासन द्वारा 10.82 लाख रू. की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ।

7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गई है । दसवीं योजना कार्यकाल हेतु 45 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जिसमें से वर्ष 2004–05 में 12.30 लाख तथा 2005–06 में 12.00 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है एवं वर्ष 2008–09 में 7.41 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है । वर्तमान में प्रदेश के छः चयनित जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी जिलों के उपलब्ध जलाशयों में जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं । नेट वर्किट हेतु 17 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए है ।

अन्य विभागों से संबंद्ध मत्स्य पालन योजनाएँ

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत 23 तालाब निर्माण हेतु 77.69 लाख रू. व्यय कर 2.277 लाख रोजगार (मानव दिवस) सृजन किया गया जिसमें 13 तालाब निर्माण पूर्ण एवं 10 तालाबों का निर्माण प्रगति पर है ।
- आदिम जाति विकास योजनान्तर्गत 59 मछली पालन निर्माण हेतु 144.41 लाख रू. व्यय कर 2.211 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है ।
- नवा अंजोर योजनान्तर्गत 127 मछली पालन व्यवसाय हेतु 114.26 लाख रू. व्यय किया गया जिसमें 0.114 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है ।
- पांच हेक्टर के तालाब में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 30 हजार रू. प्रति हितग्राही कुल 16.00 लाख रू. व्यय कर 89 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।
- मत्स्य बीज हेचरी में बीज आहार वितरण केन्द्र की लागत 13.95 लाख रू. व्यय कर 1000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।
- वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 544.20 हेक्टर जल क्षेत्र मत्स्य कृषक विकास अभिकरण को आबंटित किया किया गया है ।
- झींगा पालन योजनान्तर्गत 57.69 लाख रू. व्यय कर 89 समितियों को स्पान संवर्धन एवं पूरक आहार वितरण हेतु व्यय किए गए हैं ।

अध्याय–7

वानिकी

संपूर्ण भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38% भाग वनाच्छादित है । जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है । छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है । राज्य में आरक्षित वन 25782.17 वर्ग कि.मी. (43.13%) संरक्षित वन 24036.10 वर्ग कि.मी. (40.22%) अवर्गीकृत वन 9954.13 वर्ग कि.मी. (16.65%) वन क्षेत्र है । वानिकी अन्तर्गत 24244.88 (40.56) वर्ग कि.मी. साल वनों से, 5633.13 (9.42) वर्ग कि.मी., मिश्रित प्रजाति के वन 26018.38 (43.52), एवं अन्य वन 3876.01 (6.50) वर्ग कि.मी. है । विकास योजनाओं के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से 32 वन विकास अभिकरणों में कुल 1069 ग्राम वन समितियों/वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से 5000 हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है । जिसमें 41007 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षा रोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । माह जून, 2008 तक 5850.03 लाख रू. व्यय किया गया है ।

बाक्स नं–7.1

संयुक्त वन प्रबंधन

- राज्य में 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772 वर्ग किलोमीटर में से 33190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा रहा है । योजनान्तर्गत संचार के साधन, जांच चौकी निर्माण, वाच टावर निर्माण, नेट वर्किंग एवं अग्नि सुरक्षा जैसे कार्यो हेतु 7385.89 लाख रू. की स्वीकृति दी गई जिसमें 39127 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण क कार्य भी सम्मिलित हैं ।
- राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य हैं, जिसका क्षेत्रफल 8210.425 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्र का 13.73 प्रतिशत है ।
- प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत बाघों के संरक्षण हेतु केन्द्र शासन द्वारा 253.64 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें सें 209.28 लाख व्यय किए गए । राज्य में बाघों की कुल संख्या 200 है ।
- छत्तीसगढ़ राज्य को एलीफेंट प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर वर्ष 2008–09 के लिए 76.90 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 67.13 लाख विमुक्त की गई है । छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में इन हाथियों से प्रभावित लोगों को 4.00 करोड़ रू. से अधिक का भुगतान किया गया है ।
- अचानकमार में अमरकंटक 3835.51 वर्ग किमी. में देश का 14वॉ बायोस्पियेर रिजर्व खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।
- वर्ष 2008–09 में जेट्रोफा के 2.00 करोड़ पौधे रोपित किए गए ।

उत्पादन विदोहन :–

इमारती कास्ट

क्र.	मद	इकाई	उत्पादन	मूल्य (लाख रूपये में)
1.	कुल इमारती लकड़ी	घन मीटर	185433	204.70
2.	जलाऊ लकड़ी	क्विंटल	302626	51.42
3.	औद्योगिक बाँस	नो.टन	35430	87.70
4.	व्यापारिक बाँस	नो.टन	23526	23.30

संयुक्त वन प्रबंधन की योजना :–

लाख की खेती:– वर्ष 2004–05 में यह परियोजना प्रारंभ की गई है । जून 2006 तक 1213 वन समितियों के 24356 ग्रामीण परिवारों द्वारा पलाश एवं कुसुम के वृक्षों में लाख की खेती की जा रही है । वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत 250.00 लाख रू. व्यय हुआ। वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर तक 225.00 लाख रू. का व्यय किया गया है ।

वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण :– वन क्षेत्रों से गुजरने वाले 30000 किमी. वन मार्गों पर 300 रपटा/पुलिया निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में 600.00 लाख का प्रावधान किया गया था । वर्ष 2009–10 में 900.00 लाख का प्रावधान है जिसमें माह सितम्बर 2009 तक 26.07 लाख रू. व्यय किए गए । साथ ही राष्ट्रीय राज मार्ग, जिला मुख्य मार्ग तथा ग्रामीण मार्गो के किनारे वृक्षा रोपण हेतु 460.00 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया जिसमें 66 किमी. में रोपण हेतु तैयारी तथा 37 किमी. में रोपण कार्य किया गया है । वर्ष 2009–10 में 550.00 लाख रू. के प्रावधान के विरूद्ध 442.49 लाख रू. का व्यय किया गया जिसमें 70 कि.मी. सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा 400 किमी. रख–रखाव है ।

कृमि कोसा पालन :– 617 वन समितियों के 32438 परिवारों द्वारा कृमि कोसा पालन का कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 तक 47.72 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया ।

बांस आधारित उद्योग :– 743 वन समितियों के 7505 परिवार बांस आधारित कुटीर उद्योग में सलंग्न है । वर्ष 2007–08 में 80.52 लाख रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया । वर्ष 2008–09 में 2133 लाख रू. व्यय किया गया ।

अन्य कुटीर उद्योग :– 987 वन समितियों के 47720 हितग्राहियों द्वारा छिन्दघास, चटाई, झाड़ू, पत्तल, सवाई रस्सी, शहद तथा अन्य वन आधारित कुटीर उद्योग किए जा रहे है ।

पौधा प्रदाय योजना : जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु ''पौधा प्रदाय योजना'' राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । जिसमें 1 रू.प्रति पौधा की दर से अधिकतम एक हजार पौधे एक हितग्राही को दिये जायेंगे । इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 100 लाख पौधे जिसमें खम्हार, बांस, सागौन, करंज, आवंला, कटहल, नीलगिरी, मुनगा, रतनजोत, सिरस प्रजाति के शिशु पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये जा रहे हैं इसके लिए वर्ष 2005–06 में 50.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया था । वर्ष 2008–09 में 140.00 लाख रूपये का प्रावधान के विरूद्ध 134.84 लाख रू. व्यय किया गया, वर्ष 2009–10 में 150.00 लाख का प्रावधान है जिसमें 30.00 लाख पौधो की तैयारी का लक्ष्य रखा गया है । योजनान्तर्गत 36.47 लाख रू. व्यय सितम्बर 2009 तक किया गया है ।

हरियाली प्रसार योजना : कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांरित किए जाएंगे । साथ ही आगामी दो वर्षो के लिए रख–रखाव हेतु 1.00 रू. प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा । वर्ष 2008–09 में 215.00 लाख रू. का प्रावधान था वित्तीय वर्ष के अन्त तक 196.42 लाख रू. व्यय हुआ । योजनान्तर्गत 79.40 लाख पौधें किसानों के खेत में रोपित किए गए । वित्तीय वर्ष 2009–10 में 280.00 लाख रू. में से 13 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है । सितम्बर 2009 तक 5.36 लाख व्यय हुआ है ।

नदी तट वृक्षारोपण योजना : राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदीतट वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है । इससे नदियों के तट पर होने वाले भू क्षरण और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जायेगा । राज्य में 400 किलोमीटर तट पर वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2008–09 में 405.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया था जिसमें से 401.38 लाख रू. व्यय किया गया । योजनान्तर्गत 7.80 लाख पौधों का रोपण किया गया वर्ष 2009–10 में 10.00 लाख पौधा तैयारी का लक्ष्य रखा गया है । योजनान्तर्गत आबंटित 540.00 लाख रू. में से सितम्बर 2009 तक 150.72 लाख की राशि व्यय किया गया ।

बांस वनो का पुनरोद्धार :–आगामी पांच वर्षो में वन एव वनेत्तर क्षेत्रों में 10.00 करोड़ बांस के पौधे रोपण हेतु वर्ष 2008–09 में 2155.00 लाख रू. का प्रावधान था जिसमें 2133. 00 लाख रू. व्यय किए गए । वर्ष 2009–10 में इस मद में 2630.00 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत 259.59 लाख रू. का व्यय सितम्बर 2009 तक किया गया ।

भू–जल संरक्षण :–भू गर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू–संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु वर्ष 2008–09 में 450.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है । जिसमें 52 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य में माह सितम्बर 2009 तक 74.81 लाख रू. का व्यय किया गया है ।

वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास योजना :–

मगरमच्छ संरक्षण योजना:–मगरमच्छों के संरक्षण, स्थानीय जनता की उनसे सुरक्षा तथा इको टूॅरिज्म के विकास हेतु, ''कोटमी सुनार में मगरमच्छ संरक्षण'' की पांच वर्षीय योजना तैयार की गई है । योजनान्तर्गत ''मुड़ा तालाब की मरम्मत कर मगरमच्छो के प्रजनन, संरक्षण, रहवास विकास प्रबंध हेतु वन विभाग के अमले को प्रशिक्षित किया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में उक्त योजना हेतु 100.00 लाख रू. का बजट के विरूद्ध 99.90 लाख रू. व्यय किया जा चुका है । इसी तरह हाथी रहवास क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2009–10 में 210.00 लाख रू. का प्रावधान है ।

लघु वनोपज द्वारा वर्ष 2006–07 में संग्रहण एवं विक्रय मूल्य निम्नानुसार है :–

क्र.	लघु वनोपज का नाम	इकाई	**वर्ष 2007–08**		**वर्ष 2008–09**	
			संग्रहित मात्रा	विक्रय मूल्य लाख रूपये में	संग्रहित मात्रा	विक्रय मूल्य लाख रूपये में
1.	तेंदूपत्ता	लाख मानक बोरा	17.182	32558.75	13.78	19761.79
2.	साल बीज	क्विंटल में	606451.46	5909.19	89834.00	1264.31
3.	हर्रा	क्विंटल में	42535	144.01	49652.00	205.27
4.	कुल्लू गोंद	क्विंटल में	1076.59	151.53	864.00	140.01
5.	धावड़ा/खैर/बबूल गोंद	क्विंटल में	204.00	5.90	410.00	12.52

वनोपज संघ द्वारा अपने तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल 4681 प्रकरणों में 2.22 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2009–10 में माह अक्टूबर 2009 तक कुल 4135 प्रकरणों में 1.97 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रत्येक संदस्य को एक जोड़ी जूता इच्छानुसार प्रदाय किया गया । वर्ष 2008–09 में 12.82 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के सदस्यों को 81.70 रू प्रति जोड़ी के दर से पुरूष एवं 76.40 रू. प्रति जोड़ी महिला चरण पादुकायें वितरित की गई । वर्ष 2009–10 में 13.22 लाख संग्राहक परिवार के महिला सदस्य को चरण पादुका वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ हर्बल राज्य :–वर्ष 2006–07 से अराष्ट्रीयकृत वनोपज लघु वनोपज अन्तर्गत औषधि एवं गैर औषधि लघु वनोपज व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । राज्य में आंवला, शहद, बायबिर्डिग, बेल कालीजीरी, धवई, सतावर, कालमेघ, नागरमोथा, बहेड़ा, मालकांगनी, भेलवा, मरोड़फल जैसे औषधीय वनस्पति संग्रहण से वर्ष 2008–09 में 181.21 लाख रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है । गैर औषधीय लघु वन उपज अन्तर्गत महुआ, इमली, कुसुम, चिरौंजी, पलाश, माहुल, करंज, कुसुम लाख, बैचांदी एवं तिखुर कंद के संग्रहण से 4249.20 .लाख रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया ।

अराष्ट्रीयकृत अकाष्ठीय लघु वनोपज का विक्रय वर्ष 2008–09

क्र.	लघु वनोपज	उत्पाद	लघुवनोपज की मात्रा	विक्रय की गई उत्पाद मूल्य (लाख रू. में)
1	शहद	शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण	1007.15 कि.ग्रा.	1.11
2	ईमली	ईमली प्रसंस्करण	354.00	27.80
3	आवंला	आवला प्रसंस्करण	18.00 मे.टन	20.00
4	औषधी पौधे	औषधि उत्पाद	105.40 मे.टन	63.78
5	औषधी उत्पादन	औषधि संकलन	1103.00 मे.टन	156.21
6	महुआ उत्पादन	संकलन	300.00 मे.टन	265.00

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :–

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 से 4 परियोजना मण्डल के साथ अस्तित्व में आया । सितंबर, 2001 से बिलासपुर परियोजना मण्डल, एस.ई.सी.एल. बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा के पर्यावरण सुधार हेतु मिश्रित प्रजातियों का रोपण के उपरान्त अब तक कुल 7 परियोजना मण्डल कार्यरत है । परियोजना मण्डल का कुल क्षेत्रफल 197280 हेक्टेयर है जिसके अंतर्गत वर्ष 1976 से 2008 की स्थिति में 91225.851 सागौन 6173.524 बाँस एवं 4240.013 मिश्रित प्रजाति के रोपण का कार्य किया गया । इस तरह कुल 160639.388 में पौध रोपण का कार्य किया गया है । वर्ष 2009 में 1650 हेक्टर में सागौन रोपण का लक्ष्य निर्धारित है ।

वन विकास निगम लिमिटेड

क्र.	मद	इकाई	उत्पादन	मूल्य (लाख रूपये में)
1.	कुल इमारती लकड़ी	घन मीटर	24438.580	2566.15
2.	बल्ली	चट्टे	386714	403.39
2.	जलाऊ लकड़ी	चट्टे	87949.20	141.00
3.	औद्योगिक बाँस	नो.टन	543.550	101.10
4.	व्यापारिक बाँस	नो.टन	456.757	275.70

वर्ष 2007–08 में 2400 हेक्टेयर में सागौन, 1000 हेक्टेयर में बाँस एवं 100 हेक्टेयर में मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित है ।

उच्च तकनीक वृक्षारोपण :– वर्ष 1997 से 2004 तक 198.24 हेक्टर अभ्यारण्य क्षेत्र में उच्च तकनीक से वृक्षारोपण किये गये है, जिसके परिणाम काफी अच्छे प्राप्त हुए है । इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में 187.79 लाख पौधों का रोपण वर्ष 2008–09 तक किया गया है । वर्ष 2009 में 10.00 लाख पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित है ।

रतनजोत रोपण :– वर्ष 2004–05, में 16.924 हेक्टर, वर्ष 2005–06 में 131.580 हेक्टर एवं वर्ष 2006–07 में 274.970 हेक्टर में रतनजोत के पौधे रोपण कराया गया ।

हितग्राही रोपण :– हितग्राहियों को उनकी इच्छा अनुरूप मॉग के अनुसार ऑवला, सवई स्लिप एवं शीशल बुलबिल के 231.40 हेक्टेयर में 13.37 लाख पौधे वितरण कर रोपित कराया गया है । वर्ष 2008 में 30 हितग्राहियों द्वारा 11 हेक्टर क्षेत्र में 4880 आंवला प्रजाति का पौध रोपण किया गया है । इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 183 हेक्टर क्षेत्र में 12.13 लाख शीशल पौधों का रोपण किया गया है ।

सड़क किनारे वृक्षारोपण :– सड़कों के किनारो को हरा–भरा बनाने हेतु वर्ष 2006 से 2008 तक क्रमशः 62.45 किमी. 64.00 किमी एवं 101.85 किमी. लम्बाई में सड़कों के किनारे क्रमशः 99223, 123000 एवं 201925 पौध रोपित किए गए हैं ।

वर्षा ऋतु में वर्ष 2009 में रोपण के लिए रोपणियों में 15213954 पौधे सागौन के 6280000 पौध बांस के एवं 1833806 पौधे मिश्रित प्रजाति के उपलब्ध हैं जिसे परियोजना मण्डल बार नवापारा (रायपुर) पानाबरस (राजनांदगांव) अन्तागढ़ (कांकेर) कबीरधाम कोटा (बिलासपुर) अंबिकापुर (सरगुजा) एवं औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल कोरबा मण्डल में उपलब्ध है ।

यूरोपियन कमीशन योजनाः–लघु वनोपज संग्राहकों के परपंरा ज्ञान का सर्वेक्षण कर हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस हेतु 21.20 करोड़ रू. की त्रिवर्षीय योजना संचालित की जा रही है ।

अध्याय–8

जल संसाधन

छत्तीसगढ राज्य में जल संसाधनों के उपयोग एवं विकास कार्य

छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान राज्य है, वर्ष 2008–09 में प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 57. 32 लाख हेक्टर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 47.22 लाख हेक्टर है। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्त्रोतों से 13.28 लाख हेक्टर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था जो कुल बोया गये क्षेत्र का 23 प्रतिशत है । आंकलन के अनुसार 43 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है । जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू जल से 9.20 लाख हेक्टर सिंचाई की जा सकती है । राज्य गठन के पश्चात राष्ट्रीय औसत 48.90 प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है । प्रदेश की पांच मुख्य नदी कछारों में कुल 137360 वर्ग किमी. सतही जलग्रहण क्षेत्र है । राज्य में कुल 599000 लाख घनमीटर सतही जल की उपलब्धता है जिसमें से 417200 लाख घन मीटर उपयोग में लाया जा सकता है ।

इसी प्रकार राज्य में 136780 लाख घनमीटर भू–जल उपलब्ध है जिसमें से 116020 लाख घनमीटर का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सकता है । प्रदेश का वर्ष 2008–09 में जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । वर्ष 2008–09 में 0.13 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया । मार्च 2009 तक प्रदेश में कुल 17.71 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है जोकि कुल बोया गया क्षेत्र का 30.89 प्रतिशत है । वर्ष 2009–10 में माह नवम्बर 5435 सिंचाई क्षमता निर्मित की गई ।

प्रदेश में मार्च 2009 तकं 6 वृहद 33 मध्यम एवं 2276 लघु योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं इसके अलावा 5 वृहद 6 मध्यम एवं 457 लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन है । वर्ष 2008–09 में 23 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया ।

वृष्टि छायाक्षेत्र में जल स्तर बढ़ाने के लिए शिवनाथ नदी जोंक नदी एवं अन्य बारहमासी नदीनालों पर 595 स्टाप डेम एनीकेट निर्माण हेतु अनुमानित लागत 1657 करोड़ रू. प्रस्तावित है । वर्तमान में 110 एनीकेट का निर्माण, जिसकी लागत 469.21 करोड़ है, में से 104 एनीकेट का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत 164.47 करोड़ रू. है ।

11 वीं पंचवर्षीय योजना में 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सतही जल से सृजित करने एवं 0.5 लाख हेक्टेयर उथले नलकूल निर्माण से सृजित करने का लक्ष्य है ।

सिंचित क्षेत्र :– 1 नवम्बर 2000 को समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टर थी राज्य गठन के पश्चात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि निम्नानुसार है :–

अवधि	बजट आबंटन (करोड़ रू. में)	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	कुल सिंचाई लाख हें.	सिंचाई का प्रतिशत
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	111.57	12000	13.40	23.15
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	294.16	71000	14.11	24.38
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	501.63	42000	14.53	25.10
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	577.97	98000	15.51	26.78
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	818.78	75000	16.26	28.10
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	714.01	55000	16.81	29.40
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	859.13	41000	17.22	30.12
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	930.23	36000	17.58	30.76
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	991.74	13000	17.71	30.89
अप्रैल 2009 से सितम्बर 2009 तक	(सितम्बर09 तक) 1030.08	5435	17.76	–

नवीन प्रशासकीय स्वीकृत की योजनाएं :–प्रदेश गठन के उपरान्त नवम्बर 2007–08 तक शासन द्वारा प्रदाय की गई स्वीकृत/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	प्रकार	संख्या	लागत (करोड़ रू. में)	सिंचाई क्षमता हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	सिंचाई योजनाएँ	80	335.05	18516
2	एनीकट	44	123.44	2800
	योग	**124**	**458.59**	**21316**

बाक्स न–8.1

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- वर्ष 2008–09 में 109 नई परियोजनाओं (लागत 634.95 करोड़ रू.) तथा 21 योजनाओं की पुनरीक्षित स्वीकृति लागत (326.23 करोड़ है) इन योजनाओं की रूपांकित सिंचाई क्षमता क्रमशः 38894 एवं 16896 हेक्टर है ।
- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 263168 हेक्टर (खरीफ) है । वर्ष 2008–09 में 234048 हेक्टर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- पैरी जलाशय परियोजना से वर्ष 2008–09 में 48000 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हे. है । वर्ष 2008–09 में 15854 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है ।
- जोंक परियोजना से वर्ष 2008–09 में 7879 हेक्टर क्षेत्र के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- बलार जलाशय परियोजना से वर्ष 2008–09 में 5934 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- तान्दुला जलाशय परियोजना से वर्ष 2008–09 में 98000 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया ।
- मार्च 2008 तक सभी परियोजनाओं से 12.70 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके तहत 9.12 लाख हे.सिंचाई के साथ 74 औद्योगिक संयत्रो के लिएं 1325.63 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय किए गए तथा प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 311.15 मिलियन घन मीटर पेय जल हेतु प्रति वर्ष जल प्रदाय किया जा रहा है ।
- वर्ष 2008–09 में महानदी परियोजना के शेष कार्य हेतु 55.50 करोड़ एवं कोसारटेडा परियोजना (मध्यम) हेतु 18.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । साथ ही हसदोबांगो बृहद परियोजना फेस–4 जिसकी लागत 150.00 करोड़ रू. है केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है ।
- आदिवासी क्षेत्र डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की 09 लघु योजनाओं के 20.64 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है सितम्बर 2008 तक 0.80 करोड़ रू. व्यय किया जा कर दो परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है ।
- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत एशियन डेव्लेपमेंट बैंक से 138.6 करोड़ रू. की लागत से 19 मध्यम एवं 114 लघु परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है । योजना से 148112 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उन्नयन है ।
- वर्ष 2008–09 वाटर वाडीज के अन्तर्गत 59 कार्यों जिसकी लागत 87.25 करोड़ प्रस्तावित है स्वीकृति हेतु शासन के विचाराधीन है ।

एनीकट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदी नालों पर एनीकट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है इससे पेयजल सिंचाई उद्योगों के उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता पशुओं के लिए पीने का पानी निस्तार की आवश्यकता भू–जल संवर्धन एवं भू–संरक्षण में सहायता होगी । वर्तमान में 110 एनीकेट का निर्माण, जिसकी लागत 469.21 करोड़ है, में से 104 एनीकेट का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत 164.47 करोड़ रू. है ।

समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2007–08 में जलाशयों से सृजित एवं उपयोग सिंचाई निम्नानुसार है :–

(लाख हेक्टर में)

क्र.	परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2007–08में वास्तविक सिंचाई
1	वृहद परियोजना	9.09	6.78
2	मध्यम परियोजना	2.58	2.10
3	लघु परियोजना	5.82	2.95
	योग	**17.49**	**11.79**

भू–जल स्त्रोतों का उपयोग :– केन्द्रीय भू जल बोर्ड की वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभवनायें हैं । प्रतिवेदन के अनुसार 35678 एम.सी. एम. की राज्य में उपलब्धता है । इसमें समस्त स्त्रोंतों अभी तक 2792.12 एम.सी.एम. अर्थात 20.40 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 तक शासकीय नलकूपों की 26 योजनाओं से 1134 नलकूपों द्वारा 25204 हेक्टर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई है तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के निजी नलकूप निर्माण द्वारा वर्ष 2007–08 तक 653 सफल नलकूप से 3265 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है ।

आयाकट विकास

1– फील्ड चैनल का निर्माण:– वर्ष 2008–09 में 21600 हे. क्षेत्र मे फील्ड चैनल लक्ष्य के विरूद्ध 19156 हेक्टर मे फील्ड चैनल का निर्माण कार्य किया गया एवं 5354 स्ट्रक्चर्स भी लगाये गये हैं तथा 189315 मीटर लाईनिंग का कार्य किया गया है । अब तक कुल 498463 मीटर लाईनिंग किया जा चुका है । वर्ष 2008–09 में 1944.00 आबंटन के विरूद्ध 1939.98 लाख रू. व्यय हुआ है ।

2– कृषकों का भ्रमण प्रशिक्षण :– वर्ष 2008–09 में विकासशील कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 4.00 लाख रूपये व्यय कर 450 कृषको को भ्रमण प्रशिक्षण में उड़ीसा हीराकुंड, थापरवारा एवं अकोला आदि विकसित कृषि तकनीक का भ्रमण कराया गया है ।

3– सहभागिता सिंचाई प्रबंधन :– सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी हेतु समितियों को 1000 रू. मरम्मत हेतु प्रति हे. की दर से शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है । जिसमें 900 रूपये शासकीय एवं शेष 100 रू. कृषकों द्वारा वहन किया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में 21600 हेक्टर क्षेत्र में सहभागिता प्रबंधन हेतु 117.00 लाख रू. के आबंटन के विरूद्ध 116.05 लाख रू. का अनुदान (18239 हेक्टर क्षेत्र के लिए) संस्थाओं को प्रदान किया गया है ।

मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं कोरबा स्थित बराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके है । वर्तमान में निर्धारित सिंचाई क्षमता 255000 के विरूद्ध 170 प्रतिशत सिंचाई तीब्रता से 433500 हेक्टर क्षेत्र में 801 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई ।

बहुउद्देश्यीय परियोजना द्वारा बांध के नीचे स्थित विद्युत गृहों से 3x40 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है । परियोजना से एन.टी.पी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एस.ई.सी.एल बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों के साथ–साथ कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है । परियोजना की अद्यतन लागत 1551.11 करोड़ है । जून, 2009 तक 1562.69 करोड़ रू. व्यय हो चुका है । मार्च 2009 तक 247400 हेक्टर खरीफ एवं 173180 हेक्टर रबी सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है । वर्ष 2009–10 में 221047 हेक्टर में सिंचाई की गई इससे रबी सिचाई 32000 हेक्टेयर रूपांकित है । वर्ष 2009–10 में 73.90 लाख का बजट अबंटन उपलब्ध है । माह मार्च 2009 तक 155.09 करोड़ व्यय किया गया ।

वर्ष 2007–08 में द्वितीय चरण में बाई तट नहर क्षेत्र में फील्ड चैनल हेतु 1944.00 लाख का आबंटन प्राप्त है । इस हेतु 11794.52 हेक्टर क्षेत्र में 10.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है । मार्च 2009 तक नहर आदि में लाईनिंग का कार्य पूर्ण हो जाने से शत–प्रतिशत सिंचाई क्षमता प्राप्त हो सकेगी ।

अध्याय – 9
विद्युत (ऊर्जा)

विगत वित्त वर्ष 2007–2008 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2008–2009 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दु–वार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकाय :–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 8 वर्ष में अर्थात दिसम्बर, 2008 के अंत में बढ़कर 1923.85 मेगावाट हो गई हैं। इसमें 1780 मेगावाट ताप विद्युत, तथा 137.85 मेगावाट जल विद्युत की स्थापित क्षमता है।

क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	कोरबा पूर्व –II	4 x 50 =200	1966-68, 2003
2	कोरबा पूर्व –III	2 x 120 =240	1976-81, 2004-05
3	डॉ. एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह	2 x 250=500	2007
4	कोरबा पश्चिम	4 x 210=840	1983-86
5	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 x 6 =6	2006
II	**जल विद्युत परियोजना –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो	3 x 40=120	1994-95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 x 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सीकासार	3x 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	1 x 0.85=0.85	2003
	योग	**1923.85**	

मंडल ने 2000–01 में कोरबा पूर्व उत्पादन संयत्रों की जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण की योजना बनाई थी जो वर्ष 2004–05 में पूर्ण कर ली गई । कोरबा पूर्व की इकाईयों के जीर्णोद्धार कार्य पूर्णता पर कुल 40 मेगावाट की स्थापित क्षमता में वृद्धि तथा 100 मेगावाट

की उत्पादन उपलब्धता में वृद्धि हुई है । इस कार्य पर मण्डल द्वारा कुल 375 करोड रू. का व्यय किया गया, जिससे कोरबा पूर्व इकाई क्र.1,2,3,4,5 एवं 6 का जीवनकाल 20 वर्ष बढ़ गया है । हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम की रिटर्न कनेाल पर 0.85 मेगावाट क्षमता का लघु जल विद्युत गृह स्थापित कर 12 जनवरी, 2003 को परिचालित किया गया । गंगरेल में 2.5 मेगावाट क्षमता की चार जल विद्युत इकाईयां स्थापित कर क्रमशः 2 अप्रैल 04, 29 जून 04, 17 अक्टूबर 04 एवं 5 नवबंर 04 को परिचालित की गई है । 6 मेगावाट क्षमता का कोजन पावर प्लांट कवर्धा में दिनांक 10 अगस्त, 06 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया गया । सिकासार में 3.5 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत इकाईयों (कुल 7मेगावाट) को दिनांक 03 सितम्बर 06 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया । 2 x 250 मेगावाट कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्र.1 एवं 2 को क्रमशः 30 मार्च 2007 एवं 11 दिसम्बर 07 को परिचालित की गई तथा इन से व्यवसायिक उत्पादन क्रमशः 27 जनवरी 08 एवं 30 नवंबर 08 से प्रारंभ हुआ ।

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 20 मार्च 2008 को छ.रा.वि.म.के (3 x 40 मेगावाट) हसदेव बांगो जल विद्युत गृह को वर्ष 2006–07 के दौरान प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान की गई ।

वर्ष 2000–01 में ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक 65.75 प्रतिशत था । जो वर्ष 2008–09 में दिसम्बर 2008 तक बढ़कर 82.94 प्रतिशत हो गया, इस दौरान 9815.139 मिलियन यूनिट (तापीय 9580.708 जलीय 229.131 एवं अन्य सह–उत्पादन 5.3001) विद्युत का उत्पादन किया गया, विशिष्ट तेल खपत 1.747 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई, विशिष्ठ कोल खपत 0.793 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई, एवं संयंत्र विद्युत खपत 8.86 प्रतिशत हुई ।

जनवरी 2009 से मार्च 2009 तक की उपलब्धियॉ :

छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक–932 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ द्वारा छ.रा.वि.उत्पा.कंम. का गठन 01 जनवरी 2009 को किया गया ।

छ.रा.वि.उत्पा.कं.म. का वर्ष 2008–09 में जनवरी 2009 से मार्च 2009 तक संयंत्र उपयोगिता घटक 94.41 प्रतिशत रहा, इस दौरान 3700.759 मिलियन यूनिट (तापीय 3629. 733 जलीय 69.695 एवं अन्य सह–उत्पादन 1.331) विद्युत का उत्पादन किया गया, विशिष्ट

तेल खपत 0.549 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई, विशिष्ट कोल खपत 0.741 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई, एवं संयंत्र विद्युत खपत 8.38 प्रतिशत हुई ।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ठ उपलब्धियां –वर्ष 2008–09

1. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र की इकाई क्र.2 का व्यवसायिक उत्पादन 30 नवंबर 08 से प्रारंभ हुआ ।

2. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र की इकाई क्र.2 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक PUF 99.09 प्रतिशत माह फरवरी 09 मे रहा ।

3. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र की इकाई क्र.2 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक PUF 98.76 प्रतिशत माह फरवरी 09 मे रहा ।

4. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र की इकाई क्र.1 में सर्वकालिक अधिकतम विद्युत उत्पादन 183.332 मिलियन यूनिट मासिक (98.34 प्रतिशत PUF) माह मार्च 09 मे किया गया।

5. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र की इकाई क्र.2 में सर्वकालिक अधिकतम विद्युत उत्पादन 183.486 मिलियन यूनिट (98.11 प्रतिशत PUF) माह मार्च 09 मे किया गया।

6. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र में सर्वकालिक अधिकतम विद्युत उत्पादन 365.811 मिलियन यूनिट (98.34 प्रतिशत PUF) माह मार्च 09 मे किया गया।

7. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र की इकाई क्र.1 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 2025.566 मिलियन यूनिट (92.49 प्रतिशत PUF) हुआ ।

8. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र की इकाई क्र.2 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1688.500 मिलियन यूनिट (88.11 प्रतिशत PUF) हुआ।

9. (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयत्र में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3714.066 मिलियन यूनिट (91.39 प्रतिशत PUF) हुआ।

10. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.1 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक PUF 101.59% माह फरवरी 09 मे रहा ।

11. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.2 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक PUF 101.96% माह फरवरी 09 मे रहा ।

12. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम मासिक PUF 101.77% माह फरवरी 09 मे रहा ।

13. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.1 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 157.70 मिलियन यूनिट (100.84 प्रतिशत PUF) माह जनवरी 09 मे किया गया ।

14. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.2 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 157.70 मिलियन यूनिट (100.93 प्रतिशत PUF) माह जनवरी 09 मे किया गया ।

15. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.3 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 156.34 मिलियन यूनिट (100.06 प्रतिशत PUF) माह जनवरी 09 मे किया गया ।

16. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.2 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.4 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 157.15 मिलियन यूनिट (100.58 प्रतिशत PUF) माह जनवरी 09 मे किया गया ।

17. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 315.25 मिलियन यूनिट माह जनवरी 09 मे हुआ ।

18. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.2 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 100.60 PUF के साथ 313.49 मिलियन यूनिट माह जनवरी 09 मे हुआ ।

19. (2 x 210 मेगावाट) कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 100.60 % संयंत्र उपयोगिता घटक के साथ 628.74 मिलियन यूनिट माह जनवरी 09 मे हुआ ।

20. वित्तीय वर्ष 2008–09 में सभी ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन माह मार्च 09 में 95.21 प्रतिशत उपयोगिता घटक के साथ 1260.907 मिलियन यूनिट हुआ ।

21. वित्तीय वर्ष 2008–09 में सभी ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वकालिक अधिकतम मासिक PUF 96.05% माह फरवरी 09 में रहा ।

22. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.1 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1686.05 मिलियन यूनिट (91.70 प्रतिशत PUF) हुआ ।

23. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.2 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1641.05 मिलियन यूनिट (89.21 प्रतिशत PUF) हुआ ।

24. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम मासिक विशिष्ट तेल खपत 0.00 ml/kwh माह जुलाई 08 में हुई ।

25. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.2 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.3 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3327.93 मिलियन यूनिट (84.98 प्रतिशत PUF) हुआ ।

26. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.2 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.4 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1492.75 मिलियन यूनिट (81.15 प्रतिशत PUF) हुआ ।

27. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.1 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3327.93 मिलियन यूनिट (90.45 प्रतिशत PUF) हुआ ।

28. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.2 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3056.02 मिलियन यूनिट (83.06 प्रतिशत PUF) हुआ ।

29. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.2 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3056.02 मिलियन यूनिट (83.06 प्रतिशत PUF) हुआ ।

30. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र.2 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.508 ml/kwh रही ।

31. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों में (4 x 210 मेगावाट) सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 86.76 प्रतिशत उपयोगिता घटक के साथ 6383.95 मिलियन यूनिट हुआ ।

32. (4 x 210 मेगावाट) कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों में खनिज रहित शोधित जल की वार्षिक प्रतिपूर्ति 1.41 प्रतिशत रही जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है ।

33. वित्तीय वर्ष 2008–09 में सभी ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन माह मार्च 09 में 95.21 प्रतिशत संयंत्र उपयोगिता घटक के साथ 1260.907 मिलियन यूनिट हुआ ।

34. वित्तीय वर्ष 2008–09 में सभी ताप विद्युत संयंत्रों का सर्वकालिक अधिकतम मासिक PUF 96.05 प्रतिशत माह फरवरी 09 में रहा।

35. वित्तीय वर्ष 2008–09 में सभी ताप विद्युत संयंत्रों में अब तक का सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक सहायक संयंत्रों की उर्जा खपत 8.73 प्रतिशत रही ।

36. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल विद्युत उत्पादन 13515.897 मिलियन यूनिट (तापीय 13210.441 मिलियन यूनिट, जलीय 298.825 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 6.631 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ एवं ताप विद्युत संयंत्रों का वार्षिक PUF 86.08 प्रतिशत रहा जो सर्वकालिक अधिकतम है। जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 3174.436 मिलियन यूनिट अधिक है अर्थात 30.70 की विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई । गत वर्ष कुल विद्युत उत्पादन 10341.461 मिलियन यूनिट हुआ था ।

2. ताप संयंत्र उपयोजन गुणांक (पी.यू.एफ.) :–

ताप विद्युत उत्पादन में संयंत्रों के कार्य निष्पादन की दक्षता को "संयंत्र उपयोजन गुणांक" (प्लान्ट यूटीलाईजेशन फेक्टर, (पी.यू.एफ.)) के प्रतिशत के रूप में आंका जाता हैं। मंडल की कुशल प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन के परिणाम स्वरुप संयंत्रों के पी.यू.एफ. में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। विचाराधीन वर्ष 2008–09 में मंडल का ताप विद्युत उत्पादन ''संयंत्र उपयोजन गुणांक'' (पी.यू.एफ) 86.08 प्रतिशत रहा, जो कि विगत वर्ष 2007–08 के 82.40 प्रतिशत से 3.68 प्रतिशत अधिक है, साथ ही यह राष्ट्रीय औसत पी.यू.एफ. से कहीं अधिक है ।

3. प्रदत्त विद्युत :–वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 12358.819 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 12057.314 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन द्वारा 297.059 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 4.445 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदत्त विद्युत 2944.568 मिलियन यूनिट अधिक रही अर्थात वर्षावधी में 31.28 प्रतिशत की प्रदत्त विद्युत में वृद्धि हुई ।

विगत वर्ष 9414.252 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई थी ।

3. ईंधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत

विद्युत गृह का नाम	ईंधन खपत		विशिष्ट ईंधन खपत	
	कोयला खपत (मेट्रिक टन)	तेल खपत (किलो लीटर)	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
कोरबा पूर्व :–				
विद्युत गृह–2	1515249	4040.38	1.049	2.796
विद्युत गृह–3	1521818	5670.27	0.913	3.401
कोरबा पूर्व संकुल	3037067	9710.65	0.976	3.120
कोरबा पूर्व (2 x 250 मेवा)	–	–	–	–
डॉ.एस.पी. एम ता.वि. गृह	2660862	5045.00	0.716	1.358
कोरबा पश्चिम :–				
विद्युत गृह–1	23772215	2348.40	0.714	0.706
विद्युत गृह–2	2204472	1553.02	0.721	0.508
कोरबा पश्चिम संकुल	4581687	3986.91	0.718	0.625
कुल ताप	**10279616**	**18742.56**	**0.778**	**1.419**

4. राज्य में विद्युत की स्थिति :– ''मांग एवं उपलब्धता'' –

राज्य गठन के बाद राज्य में विद्युत मांग में तीव्रता से लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य में विद्युत की स्थिति का आकलन किया जावें, तो वर्षावधि में विद्युत की सभी स्त्रोंतों से औसत विद्युत आपूर्ति 1952 मेगावाट की गई, जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 1681 मेगावाट रही। इस प्रकार वर्षावधि में राज्य की औसत मांग से औसत आपूर्ति अधिक रही तथा कोई लोड शोडिंग नही की गई, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला शून्य पावर कट राज्य बन गया। यह नवगठित छ.रा. विद्युत मंडल की गौरवपूर्ण उपलब्धि रही।

वर्षावधि 2007–08 के दौरान मंडल द्वारा सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 2335 मेगावाट की 15 मार्च 2008 को की गई, जबकि विद्युत की समकालिक उच्चतम मांग 2405 मेगावाट की 18 मार्च 2008 को रही।

5. जीर्णोद्धार के कार्य :–

विचाराधीन वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान मंडल द्वारा विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार के अनेक कार्य किए गए। जिसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा (पश्चिम) के संयंत्रों के लिए प्रेशर रिडयूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के आधुनिकीकरण के कार्य महत्वपूर्ण है।

6. अति आधुनिक स्काड़ा प्रणाली :–

देश के विद्युत के सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में ''सिस्टम को आर्डिनेशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट'' के तहत अति आधुनिक ''स्काडा प्रणाली'' की स्थापना भिलाई खेदामारा स्थित भार प्रेषण केन्द्र में किया गया। जिससे देश में विद्युत के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के पावर ग्रिड संचालन एवं संचार प्रणाली से राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

7. निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाएं :–

मंडल में वित्त वर्ष 2007–08 के अंत की स्थिति में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार रही :–

वर्ष 2007–08 में 2x250 मेगावाट कोरबा (पूर्व) ताप विद्युत परियोजना– चरण पांच की इकाई क्रमांक 1 के निर्माण कार्य पूर्ण कर 30 मार्च 2007 में इसे सिंक्रोनाईज किया गया। दिनाँक 17.8.2007 से इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। इस परियोजना की इकाई क्रमांक–2 के विभिन्न निर्माण कार्य वर्षावधि में पूर्ण कर लिया गया तथा दिनाँक 12.11.2007 को सिंक्रोनाईज किया गया एवं मार्च 2008 से इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया गया।

मण्डल में वित्त वर्ष 2007–08 के वर्षांत की स्थिति में राज्य में प्रमुख ताप तथा जल विद्युत गृह निर्माण की प्रस्तावित परियोजनाएं निम्नानुसार है –

क्रं.	**प्रस्तावित विद्युत परियोजना**	**प्रस्तावित स्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**पूर्णता की संभावित** वर्ष
I	**प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना –**		
1	कोरबा (पश्चिम) ताप विद्युत परि. चरण तीन	1 x 500	2010-2011
2	भैयाथान ताप विद्युत परियोजना	2 x 660	2012-2013
3	मड़वा ताप विद्युत परियोजना	2 x 500	2011-2012
4	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना	2 x 500	2012
5	इफको छत्तीसगढ़ संयुक्त उपक्रम	2 x 660	2011
II	**निर्माणाधीन निजी ताप विद्युत परियोजनाएं –**		
6	रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड)	4 x 250	2008-09

7	पथाड़ी ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्रा.लि.)	2 x 300 = 20%	2009-2010
III	**प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना –**		
8	बोधघाट जल विद्युत परियोजना	4 x 125	11वीं पंचवर्षीय योजना
9	मटनार जल विद्युत परियोजना	3 x 20	11वीं पंचवर्षीय योजना
IV	**प्रस्तावित अन्य निजी उपक्रम/एम.ओ.यू**		
10	कुल 50 निजी उपक्रमों से एम.ओ.यू.	40,400	

(II) पारेषण एवं वितरण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान पारेषण, उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(8) उपकेन्द्र निर्माण :–

मंडल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब एवं उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी । इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए. थी जो कि विगत नौ वर्षों में बढ़कर वर्ष 2008–09 के अंत की स्थिति में क्रमशः कुल 60259 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 8011 एम.व्ही.ए. हो गई है, जो कि नौ वर्षो के कार्यकाल में उपकेंद्र निर्माण में 101.26 प्रतिशत की तथा उनकी क्षमता में 168.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है –

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 2007–08 की स्थिति	वर्ष 2008–09 के अंत की स्थिति में
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र (संख्या)	1	1
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	12	13
3	132 के.व्ही. उपकेन्द्र	46	47
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1
5	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	596	631
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	52384	59628
योग		**52,980**	**60259**

(9) विद्युत लाईनों का निर्माण :–

मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 98858 कि.मी. थी वह नौ वर्षों में बढ़कर वर्ष 2008–09 में 173648 कि.मी. हो गई है।

मण्डल द्वारा विचाराधीन वर्ष 2008–09 के दौरान अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 17362 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षांत की स्थिति में कुल 173648 कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थी। इस प्रकार वर्षावधि में 11-11 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मंडल गठन से नौ वर्षो की कार्यावधि में 75.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य में विद्युत प्रणाली की वोल्टेज अनुपात अनुसार वर्ष 2008–09 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं.	वोल्टेज (के.व्ही.)	31 मार्च 2008 की स्थिति में	2008–09 में वृद्धि	31 मार्च 2009 की स्थिति में
I	अति उच्चदाब लाईनें			
1	400 के.व्ही. लाईनें	277	--	277
2	200 के.व्ही. लाईनें	2,153	223	2376
3	132 के.व्ही. लाईनें	3,926	210	4,136
4	एच.व्ही.डी.सी. लाईनें	360	--	360
	कुल अति उच्चदाब लाईनें	**6,716**	**433**	**7149**
II	उच्चदाब लाईनें			
5	33 के.व्ही. लाईनें	12526	1137	13663
6	11 के.व्ही. लाईनें	54183	5203	59386
	कुल उच्चदाब लाईनें	**66,709**	**6340**	**73049**
III	निम्नदाब लाईनें			
7	400–230 वोल्ट्स	89,577	11022	100599
	महायोग –	**156286**	**17362**	**173648**

(10) सामान्य विकास कार्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए –

सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2008–2009 की उपलब्धि			
क्रं.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	105
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	380
3	सेवाओं के लिये वितरण लाईन	कि.मी.	236.50 + 62.81 (कनवर्सन)
4	सड़क बत्ती हेतु विवरण लाईन	कि.मी.	189.16 + 28.51 (कनवर्सन)
5	सड़क बत्तियाँ (बिन्दु)	संख्या	5272
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1067
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	827
8	वर्शावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	78406
i)	सिंगल फेस	संख्या	69904
ii)	थ्री फेस	संख्या	8340
9	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	162

(11) आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यों का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में इनर्जी ऑडिट के लिये आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु अगामी वर्ष 2009–10 में रुपये 250.00 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है –

क्रं.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	1461.00
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	1110.00
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	75
4	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि	संख्या	52
5	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	1200
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	800

(12) ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में कुल 19744 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2008–09 के अंत की स्थिति में 19064 ग्राम विद्युतीकृत है। वर्ष 2008–09 में कुल 19 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से मंडल द्वारा एवं 65 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में 84 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 96.56 प्रतिशत रहा।

जनगणना 2001 के अनुसार वित्त वर्ष 2008–09 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 680 अविद्युतीकृत ग्राम हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार की नीति के अनुरुप 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् मार्च 2012 तक विद्युतीकृत किया जाना है। 680 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 624 ग्रामों जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, का विद्युतीकरण का कार्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। वनबाधा रहित 56 ग्रामों में से 20 ग्रामों को, मण्डल के स्वयं के संसाधनों से विद्युतीकरण किये जाने हेतु वर्ष 2009–10 के लक्ष्य में शामिल किया गया है। शेष 36 ग्रामों का विद्युतीकरण **''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण''** कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है। मार्च 2009 की स्थिति में योजनान्तर्गत 1105.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई जिसमें 772 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण 360 डी, इलेक्ट्रीफाईड ग्रामों के विद्युतीकरण 20200 मजरो टोले विद्युतीकरण के साथ–साथ 12086000 ग्रामीण आवास गृहों एवं 7.77 लाख से अधिक बी.पी.एल. आवास गृहों में सघन विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है । मार्च 2009 तक 168.45 करोड़ के कार्य पूर्ण किए गए जिसमें 11 के.व्ही. के 527 किलीमीटर 1536 किमी एल.टी.लाईनों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1203 विद्युत ट्रान्सफार्मरों एवं 13 नग पावर ट्रान्सफार्मरों की स्थापना की गई है । 1572 गांव में सघन विद्युतीकरण एवं 93000 बीपीएल कनेक्सन दिये गये ।

(13) मजरा–टोला विद्युतीकरण :–

जनगणना 1971 के पश्चात राज्य में मजरा–टोलों की संख्या संबंधी वास्तविक जानकारी किसी भी जनगणना विवरण में उपलब्ध नहीं है। अपितु जनगणना 2001 की विवरणी में राज्य में कुल रहवासी क्षेत्रों का उल्लेख जरुर किया गया है। उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मजरा–टोलों की संख्या 35,096 अनुमानित है।

विचाराधीन वर्ष में 2667 मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे वर्ष 2008–09 के अंत तक की स्थिति में कुल 22110 मजरा–टोला अर्थात् राज्य में 63.00 प्रतिशत मजरा–टोलों के विद्युतीकरण हो गया है। केन्द्र शासन की नीति के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी घरों तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी है, जिसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत तैयार कर केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। आगामी वर्ष 2009–10 में मण्डल के स्वयं के संसाधनों से कुल 1,000 मजरा–टोलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। शेष

मजरा–टोलों का विद्युतीकरण **''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम''** के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

(14) पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं राज्य शासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत चार वर्षो में (2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008–09) लगभग 1,19319 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है। नई नीति के तहत प्रति पंप हेतु लाईन विस्तार बाबत् कुल खर्च रुपये 20,000/- से बढ़ाकर रुपयें 50,000/- किये गये है, ताकि अधिक से अधिक कृषक लभान्वित हो सके, और किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान 27235 पंपों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 27482 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया। इन्हें शामिल करते हुए वर्ष 2008–09 के अंत तक राज्य में कुल 226778 पंपों के लाइन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 209917 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त वर्षांत में 5611 अर्द्धस्थायी पंप कनेक्शन विद्यमान थे।

(15) किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है), जिसके अंतर्गत अल्प वर्षा (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राशि रुपये 60,000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है, जिसमें रुपये 50,000/– मंडल द्वारा वहन की जाती है तथा शेष रुपये 10,000/– की राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

विचाराधीन वर्ष 2008–09 में इस योजना के तहत कुल 1674 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्षांत तक कुल 11429 नलकूपों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये।

(16) बी.पी.एल. कनेक्शन (एकल बत्ती) :–

राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के हरिजन, आदिवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल.(एकल बत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को जिनके घर, मंडल की विद्यमान निम्नदाब लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर हैं, उनसे सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षा निधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकल बत्ती) कनेक्शन प्रदाय किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष 2008–09 के दौरान कुल 128790 बी.पी.एल. कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2008–09 के अंत तक राज्य में कुल 1114631 (एकल बत्ती) बी.पी.एल. कनेक्शन विद्यमान है, जिन्हें मंडल द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन कनेक्शनधारियों के प्रथम 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

(17) पारेषण एवं वितरण हानियाँ :–

वर्ष 2008–09 में कुल पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत 33.58 रहा। वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत क्रमशः 33.76, 30.50, 31.07, 29.16, 29.02 एवं 29.41 प्रतिशत था। वर्ष 2009–09 में 5 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

पारेषण एवं वितरण हानि का तुलनात्मक विवरण

क्र.	वर्ष	प्राप्त यूनिट(एम.यू.)	खपत यूनिट (एम.यू.)	हानि (एम.यू.)	प्रतिशत हानि
1	2002–03	9516.39	6303.42	321.97	33.76
2	2003–04	10393.76	7223.43	3170.33	30.50
3	2004–05	11690.48	8058.35	3632.13	31.07
4	2005–06	12501.62	8856.50	3645.12	29.16
5	2006–07	13301.59	9441.89	3859.70	29.02
6	2007–08	15034.77	10613.10	4421.67	29.41
7	2008–09	16751.56	11127.1	4730.13	33.58

(18) विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2008–09 के अंत में निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या 28 लाख 20 हजार है। जो कि वर्ष 2007–08 की तुलना में 6.42 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 17 लाख 97 हजार उपभोक्ता अर्थात् 63.72 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो कि विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 6.3 प्रतिशत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2008–09 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में एकलबत्ती के 35.18 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 1.54 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2007–08 के अंत में क्रमशः 34.52 एवं 1.23 प्रतिशत था।

(19) विद्युत उपभोग का स्वरुप :–

वर्ष 2008–09 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 5161.90 मि.यू. विद्युत की खपत की गई, जो विगत वर्ष 2007–08 की 22.34 प्रतिशत अधिक है । राज्य में विक्रय की गई बिजली का 50.41 प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है ।

राज्य में विक्रय की गई बिजली मे से 42.30 प्रतिशत घरेलू, 7.88 प्रतिशत गैर घरेलू, 7.76 प्रतिशत औद्योगिक, 39.54 प्रतिशत कृषि एवं 2.52 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा । ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमशः 18.22 प्रतिशत घरेलू, 1.22 प्रतिशत गैर–घरेलू, 2.76 प्रतिशत औद्योगिक, 27.67 प्रतिशत कृषि एवं 0.20 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया।

कुल खपत में से वर्ष 2008–09 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 10.93 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 7.99 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2007–08 में क्रमशः 9.77 एवं 6.56 प्रतिशत थी।

(20) राजस्व संग्रहण :–

वर्ष 2007–08 में राज्य की उपभोक्ताओं से कुल रुपये 921.01 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया ।

(21) बकाया राशि :–

वर्ष 2008–09 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि कुल रुपये 291.16 करोड़ है, कुल राशि का 49.91 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विरुद्ध पाया गया। कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रु. 10.04 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों पर रुपये 7.09 करोड़ राशि बकाया है।

अध्याय–10
उद्योग

भिलाई इस्पात संयत्र : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख प्रतिष्ठान है । संयंत्र ने अपनी श्रम शक्ति का भरपूर एवं सफलतम उपयोग करते हुये बीते वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2008–09 में भी इस्पात उत्पादन, विक्रय एवं लाभार्जन के क्षेत्र में अनेक नये कीर्तिमान स्थापित किये । इस संयंत्र को अब तक 9 बार उत्कृष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिये दी जाने वाली प्रधानमंत्री टाफी से पुरस्कृत किया गया है इसके अलावा समय समय पर उत्पादकता, गुणवत्ता, सुझाव, सुरक्षा, पर्यावरण, क्रेडा आदि क्षेत्रों में भी भिलाई का नाम देश में प्रसिद्व है ।

वर्ष 2008–09 की अवधि में संयत्र ने 5.39 मिलियन टन हाट मेटल, 5.18 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.49 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जोकि इन उत्पादों की मापित छमता से क्रमशः 21.1 प्रतिशत 32.1 प्रतिशत व 42.5 प्रतिशत अधिक है । यह एक मात्र संयत्र है जिसने देश में लगातार विगत 16 वर्षों सें विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन अपनी मापित क्षमता से अधिक किया है । वर्ष 2008–09 में 7.46 मिलियन टन सिनटर, 5.39 मिलियन टन हाट मेटल, 5.18 मिलियन टन क्रूड इस्पात, 2.65 मिलियन टन एस. एम. एस.–2 से क्रूड स्टील 6.55 लाख टन वायर राड्स, 9.90 लाख टन रेल एवं स्ट्रक्चरल 8.14 लाख टन परिसज्जित यू. टी. एस. –90 रेल पातों का उत्पादन 7.56 लाख टन मर्चेन्ट्स उत्पाद, 36.04 लाख टन परिसज्जित (फिनिस्ड) इस्पात एवं 44.9 लाख टन विक्रय योग्य इस्पात आदि का उत्पादन कीर्तिमान स्थापित किये गये ।

मुख्य परियोजना

1. कोक ओवन बैटरी न.5 एवं 6 का पुनः निर्माण ।
2. एक और नया स्लेब कास्टर की स्थापना ।
3. इस्पात मंत्रालय के सौजन्य से दो नई योजना यथा होशंगाबाद एवं उज्जैन में कार्यनीति संसाधन इकाई की स्थापना ।
4. उत्कर्ष प्रोग्राम अन्तर्गत ई.आर.पी. (इन्टर प्राईज रिसोर्स प्लानिंग) प्रणाली का विकास कर इसे लागू किया गया । प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक परिवेश में अधिक लाभार्जन के उद्देश्य संयंत्र तकनीकी/आर्थिक पैरामीटर में लगातार सुधार करता रहा है इसी कड़ी में वर्ष 2008–09 में श्रम उत्पादकता 300.5 प्रति व्यक्ति प्रति टन रही है । कोक दर 491.0 किलोग्राम प्रति टन गलित धातु (हाट मेटल) रही है । पानी की खपत 3.04 घन मीटर प्रति

टन क्रूड इस्पात, औसत कनवर्टन लाइनिंग लाईफ 6428, आर.एच. डीगैसर के द्वारा 11067 और लेडल फर्नेश के द्वारा 9943 हीटस का शोधन भी अब तक के श्रेष्ठ वार्षिक निष्पादन है । विषम परिस्थितियों और लागत मूल्यों में वृद्धि के बावजूद संयंत्र ने वर्ष 2008–09 में 4965.44 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है । वैश्विक मंदी के बावजूद भिलाई इस्पात संयत्रक का लाभ अर्जन का लगातार 21 वॉ विश्व कीर्तिमान है ।

वर्ष 2009–10 की योजना

वर्ष 2009–10 के लिए 5.8 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल), 5.53 मिलियन टन अपरिस्कृत स्पात (क्रुड स्टील) व 4.77 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का लक्ष्य रखा गया है । अप्रैल से सितम्बर 2009 की अवधि में संयत्र ने 2.68 टन गलित धातू 2.56 मिलियन टन क्रूड स्टील व 2.19 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया है । भारतीय रेलवे के लिये 3.92 लाख से भी अधिक यूटीएस–90 रेलपातों का उत्पादन किया है । बाजार की आवश्यकता के अनुरूप मर्चेंट, वायर राड्स, प्लेट एवं परिसज्जित (फिनिश्ड) इस्पात का उत्पादन क्रमशः 3.275 लाख, 3.170 लाख, 6.02 लाख तथा 17.081 लाख टन किया गया ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड, कोरबा : बालको संयंत्र की अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 लाख मेट्रिक टन (संयंत्र–1) एवं 2.5 लाख मेट्रिक टन (संयंत्र–2) अर्थात कुल 3.57 लाख मेट्रिक टन एल्युमीनियम धातु की है ।

नये स्मेल्टर संयत्र में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालको ने 270 मेगावाट का निजी संयंत्र पहले से है । बालकों (संयंत्र–2) विद्युत आवश्यकताओं पूरा करने के लिये 540 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र बनाया गया । जो अब पूरी क्षमता पर प्रचालन में है ।

बालकों (संयंत्र–1) में बाजार के मांग के अनुरूप गुणवत्ता युक्त उत्पादन तैयार करने के लिये आधुनिकीकरण की अनेक योजनाओं पर कार्य पूरा होने से साकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे है । एल्यूमिना संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता 2 लाख मेट्रिक टन है जिसमें वर्ष 2007–08 में 195785 मेट्रिक टन हाइड्रेट का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2008–09 में बढ़कर यह 172342 मेंट्रिक टन एल्यूमिना हाइड्रेट का उत्पादन हुआ। इसीतरह केल्साईल्ड एल्यूमिना का उत्पादन वर्ष 2007–08 में 101316 मेट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2008–09 में 127041 मेट्रिक टन हुआ वही रोल्ड उत्पादन वर्ष 2007–08 में 61227 मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 57398 मेट्रिक टन उत्पादित किया गया ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य							
	इन्गाट्स		प्रापजी राडस		रोल्ड उत्पादन		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2002–03	20490	12922	47490	29947	27510	18272	95490	61141
2003–04	13149	11834	48243	44865	35696	35696	97088	92395
2004–05	6342	5707	34551	32132	31803	31803	72696	69642
2005–06	46462	47251	63302	645255	50391	58456	160155	170232
2006–07	184482	249832	72948	112263	57572	93366	315002	455461
2007–08	195785	234496	101183	135962	61693	92397	358671	462855
2008–09	172342	195528	127041	158150	57398	79991	356781	433669
2009–10 (दिसम्बर)	41536	33346	108902	134679	50279	37689	200717	205714

विक्रयः– वर्ष के दौरान विक्री योग्य एल्यूमीनियम का उत्पादन 356513 मे.टन वर्ष 2008–09 के दौरान किया गया जिसमें इन्गाट्स एल्यूमीनियम 172172 मी.टन प्रापजी राड्स 127019 मे.टन एवं रोल्ड उत्पादन 57322 मे.टन हुआ ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभागः

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्ड्रस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है । इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है ।

1. औद्योगिक नीति :–राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2009–14 दिनांक 1 नवम्बर 2009 से प्रभावशील हो गई है, नीति का मुख्य उद्देश्य कोर सेक्टर के अलावा अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए उत्तम बुनियादी एवं औद्योगिक अधोसंरचना की स्थापना, प्रतिस्पर्धी एवं सुगम औद्योगीकरण को तीव्र करना एवं जिले के स्थान पर विकास खण्ड को आर्थिक दृष्टि से युक्ति–युक्त दोहन की योजना इकाई बनाया गया है । नवीन औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिलाओं विकलांगों, सेवानिवृत्त सैनिकों, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को अन्य उद्यमियो की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं एक वर्ष अधिक अवधि हेतु छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान है ।

2. लघु उद्योग इकाईयों को कच्चा माल प्रदाय :– वर्ष 2008–2009 में 31666 मेट्रिक टन अयस्क का आबंटन लघु उद्योगों हेतु इस्पात मंत्रालय से प्राप्त हुआ जिससे 1705.990 टन लौह इस्पात एवं एम.एस वायर रॉड प्राप्त हुआ है ।

3. राज्य में औद्योगिक पूंजी निवेश :–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना :–राज्य गठन के पश्चात् दिसंबर, 2009 तक 174 वृहद/मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है इसमें रू. 7517433.72 लाख रू. का स्थायी पूंजी निवेश एवं 98276 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है ।

(ब) लघु उद्योगों की स्थापना :–

वर्ष 2007–2008 में माह अक्टूबर 07 तक 332 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये जिनमें रू. 8813.11 लाख का पूंजी निवेश किया गया तथा 3956 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इनमें से 08 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 43.61 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 79व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह से 07 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 20.20 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 50 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ ।

(स) एम.ओ.यू. का निष्पादन :–

राज्य गठन के पश्चात शासन के साथ 136 एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया 178207 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है । जिसके विरूद्ध 20174 करोड़ का वास्तविक निवेश हो चुका है । राज्य गठन के पश्चात नवम्बर 2009 तक 174 वृहद/मध्यम उद्योंगो की स्थापना हुई है । इसमें 7517433.72 लाख रू. का स्थाई पूंजी निवेश हो चुका है । जिसके अन्तर्गत भिलाई इस्पात संयत्र भिलाई के 182 सहायक उद्योग की इकाई साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर की 65 इकाई एवं एन.एम.डी.सी. की 03 सहायक उद्योग शामिल है ।

(द) लघु उद्योगों की स्थापना : वर्ष 2009–2010 माह अक्टूबर 2009 तक 268 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किए गए । जिसमें 7543.01 लाख का पूंजी निवेश किया गया तथा 3341 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इनमें 04 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा 35.30 लाख का पूंजी निवेश तथा 32 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह 04 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा 36.00 लाख पूंजी निवेश एवं 25 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ ।

(ई). प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :–

वित्तीय वर्ष 2008–2009 में इस योजना के तहत् राज्य को 579 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ । लक्ष्य के विरूद्ध 1671 प्रकरण बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये बैंक शाखाओं

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमि. उत्पादन (मेट्रिक टन में)
(संदर्भ तालिका क्रमांक–5.1)

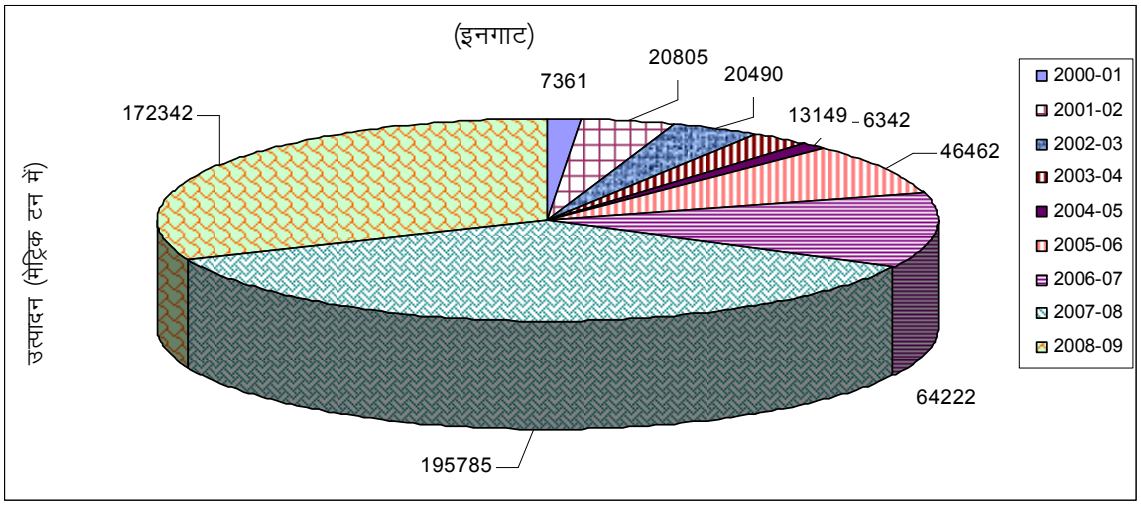

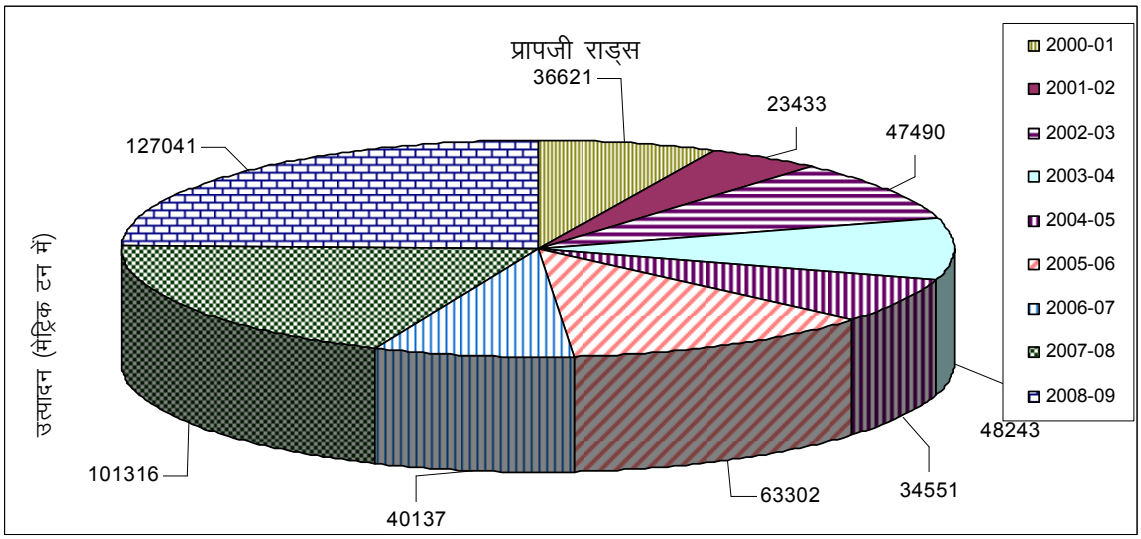

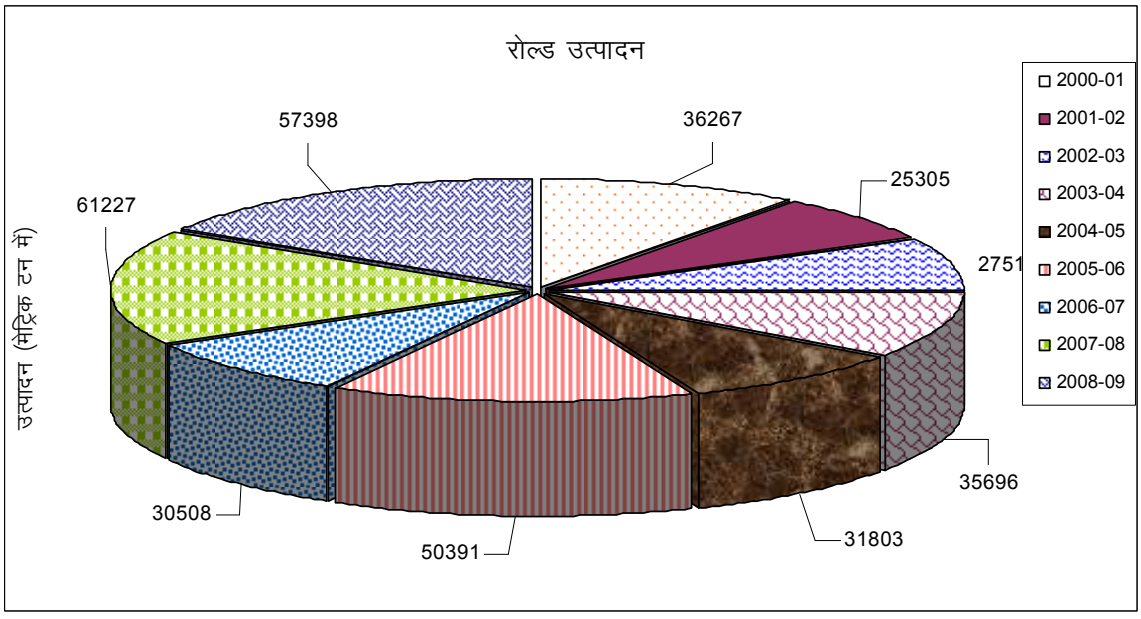

द्वारा 536 प्रकरणों में रू. 2570.73 लाख रू. ऋण स्वीकृत कर 373 प्रकरणों में रू. 1264.5 लाख का ऋण वितरण के विरूद्ध 427.19 लाख मार्जिन मनी अनुदान दिया गया । इसी प्रकार वर्ष 2009–10 हेतु राज्य को 579 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है एवं बैंक शाखाओं को अक्टूबर 2009 तक1868 प्रकरण प्रेषित किए गए हैं । बैंक शाखाओं द्वारा 92 प्रकरणों में राशि रू. 620.72 लाख स्वीकृत कर 03 प्रकरणों में 32.89 लाख का ऋण वितरित किया गया है ।

4. औद्योगिक अधोसंरचना का विकास :–

बाक्स नं–10.1

नवीन औद्योगिक क्षेत्र

	भौतिक प्रगति	**वित्तीय स्थिति**
बिलासपुर (दगोरी)	चयनित भूमि–795.920 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
रायगढ़ (लारा)	चयनित भूमि–1465.847 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
रायपुर (तिल्दा)	चयनित भूमि–2502.561 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
गंगापुर जि–सरगुजा	चयनित भूमि–30.27 हेक्टेयर	अधोसंरचना का कार्य प्रारंभ प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्र
बिलासपुर (तिफरा)	प्रस्तावित भूमि 57.397हे. 35.653 शासकीय भूमि एवं 21.744 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।
धमतरी (श्यामतराई)	प्रस्तावित भूमि 34.820हे. 8.830 शासकीय भूमि एवं 25.990 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।
रायपुर (बेलटुकरी)	प्रस्तावित भूमि 79.736हे. 79.736 शासकीय भूमि एवं 26.55 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि हस्तांन्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5. विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना :–

अ. एल्यूमीनियम/मेटल पार्क:–रावाभाठा रायपुर में एल्यूमीनियम/मेटल पार्क की स्थापना 191.355 हेक्टर भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से निगम के अधिपत्य में प्राप्त 56.776 हेक्टर भूमि पर अधोसंरचना का कार्य किया जा रहा है । ग्राम अछोली एवं कन्हेरा में 36.758 हेक्टेयर शासकीय भूमि अधिपत्य के कार्यवाही की जा रही है।

ब. अपरेल पार्क (इन्ट्रीग्रेडेट टैक्सटाईल्स पार्क):–इन्ट्रीग्रेडेट टैक्सटाईल्स पार्क की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी में लगभग आठ एकड़ भूमि पर स्थापित करने की कार्यवाही की गई है । परियोजना की लागत प्रथम चरण में लगभग 23.00 करोड़ रू. होगी । उक्त पार्क में 100 रेडीमेंट गारमेंट इकाईयों की स्थापना की जायेगी ।

स. हर्बल/मेडिसिनल पार्क:–ग्राम बंजारी एवं बागौद तहसील कुरूद जिला धमतरी में लगभग 250 एकड़ भूमि पर हर्बल/मेडिसनल पार्क की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है । यह पार्क पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जायेगा। अधोसंरचना विकास हेतु परियोजना लागत लगभग 62.00 करोड़ रू. होगी ।

द. फूड प्रोसेंसिंग पार्क :–ग्राम इन्दावनी जिला–राजनांदगांव में 300 एकड़ में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत फुड प्रोसेंसिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है । अधोसंरचना विकास हेतु परियोजना लागत लगभग 31.00 करोड़ रू. होगी ।

इ. जेम्स एण्ड ज्वेलरी एस.ई.जेड:–नई राजधानी क्षेत्र रायपुर में लगभग 70 एकड़ में जेम्स एण्ड ज्वेलरी एस.ई.जेड पार्क की स्थापना पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत किया जाना है । इसकी परियोजना लागत लगभग 170.00 करोड़ रू. होगी ।

फ. इंजीनियरिंग पार्क :– भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में 300 एकड़ भूमि पर इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है जिसकी लागत 20.00 करोड़ रू. होगी इस पार्क में मुख्यतः स्टील कास्टिंग एवं फोजिंग पाईप एवं ट्यूब नट बोल्ट इलेक्ट्रिकल एक्यूपमेंट बेल्डिंग इलेक्ट्राड एवं अन्य इंजीनियरिंग इकाईयां स्थापित की जायेंगी ।

औद्योगिक विकास केन्द्रों की प्रगति : राज्य के औद्यागिक विकास केन्द्रो में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	विकास केन्द्र का नाम	विकास केन्द्र का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपलब्ध भूमि (हेक्टर में)	स्थापित उद्योग		
				संख्या	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ो में)	रोजगार संख्या
1	सिलतरा	1676.00	1260.00	62	728.36	3176
2	बोरई	800.00	436.84	108	1335.46	6608
3	उरला	302.17	232.41	335	508.93	12203
4	सिरगिट्टी	449.39	371.56	244	450.00	6025

इसके अतिरिक्त निम्न लघु औद्योगिक क्षेत्र (आई.आई.डी.सी) प्रस्तावित है ।

क्र	स्थान	जिला	स्थापित भूमि		
			शा.भूमि (हे.)	निजी भूमि (हे.)	कुल भूमि (हे.)
1	तिफरा	बिलासपुर	35.653	21.744	57.397
2	श्यामतराई	धमतरी	8.830	25.990	34.820
3	टेकनार	दन्तेवाड़ा	19.27	–	19.27
4	कापन	जंजगीर–चांपा	79.739	–	79.736

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र महासमुन्द (बिरकोनी) में लगभग 200 एकड़ पर लघु उद्योग केन्द्र की स्थापना का प्रथम चरण कार्य पूर्ण हो गया है । हरिन छपरा जिला कबीरधाम में 50 एकड़ भूमि पर लघु उद्योग केन्द्र नयनपुर–गिरवरगंज जिला–सरगुजा में 100 एकड़ भूमि पर लघु उद्योग केन्द्र का कार्य प्रगति पर है । विकास केद्रों में मूल भूत सुविधा विकसित की जा रही है । जिसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डव्हलपमेंट कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया है ।

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है । संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है । छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है ।

1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है । इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नही होती है । ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध है वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है । विभाग द्वारा स्वस्थ्य डिंब समूह रियायती दर पर 1.00 रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ्य डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है । जिससे वर्ष में तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है । प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 550 रू. से 950 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है । उक्त योजना प्रदेश के 17 जिलों में संचालित 129 टसर केन्द्रों एवं टसर परियोजना के 152 केन्द्र वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2008–09 में 375.894 लाख नग पालित टसर ककून उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध अब तक का सर्वाधिक उत्पादन

385.40 लाख नग का उत्पादन हुआ । योजनान्तर्गत 19997 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। 14361 हे. साजा, अर्जुनी का टसर खाद्य उपलब्ध है विभागीय केन्द्र अंतर्गत 5228 वन क्षेत्र में 5178 तथा रेशम परियोजना के अन्तर्गत 3955 हेक्टेयर पौधरोपण युक्त क्षेत्र है । जिसमें विभागीय केन्द्र के अन्तर्गत 3220 एवं वन क्षेत्र के अन्तर्गत 4165 एवं परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 3955 हेक्टेयर पौधरोपण युक्त क्षेत्र है ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 दिसम्बर
1.	पालित टसर	लाख नग में	218.603	310.961	364.525	431.305	457.10	434.987	289.17
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	9414	11493	14865	17133	18991	20067	19997

2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :–

वर्ष 2008–09 में रेशम प्रभाग के अधीनस्थ जिले दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, जशपुर एवं कोरिया में 86 नैसर्गिक बीज प्रगुणन कैम्प तथा 586.74 लाख उत्पादन/संगहण किया गया योजनान्तर्गत 43761 हितग्राही लाभान्वित हुए । वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर तक 38 नैसर्गिक बीज प्रगुणन लक्ष्य के विरूद्ध 29 कैंप लगाया गया एवं 765.00 लाख नग नैसर्गिक बीज उत्पादन कर 42853 हितग्राही लाभान्वित किये गये ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (दिसम्बर)
1.	नैसर्गिक कोशा संग्रहण	लाख नग में	828.79	758.164	378.87	506.05	586.74	754.57	765.00
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	35752	57218	36759	37342	33716	43761	42853

टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 853 रीलिंग एवं 253 स्पीनिंग मशीन संचालित है । योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 1058 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है । उन्नत मोटराईज्ड मशीन जिसकी कीमत 14240 रूपये है का 45 प्रतिशत अनुदान रेशन बोर्ड द्वारा दिया जाता है, उत्पादन कर वर्ष 2008–09 में 146265 कि.ग्रा. टसर रा–सिल्क एवं स्पन धागा का उत्पादन किया गया है । वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर तक 140747 कि.ग्रा. धागा उत्पादित किया गया है ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004 –05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 दिसम्बर
1.	टसर रा–सिल्क एवंस्पन धागा	कि. ग्रा.	65650	127250	101299	104541	126298	146265	140747

जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–आपरेशन (जे.बी.आई.सी.) जापान द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना :–

छत्तीसगढ़ राज्य में जापानीज बैंक फार इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन द्वारा वित्त पोषित 07 वर्षीय छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना बिलासपुर संभाग में संचालित की जा रही है । परियोजना की कुल लागत रू. 117.16 करोड़ है जिसमें ऋण राशि रू. 64.87 करोड़ (53.37 प्रतिशत) एवं शेष राशि राज्यांश रू. 52.29 करोड़ (44.63 प्रतिशत) है । परियोजना अंतर्गत रू. 97.57 करोड़ रू. व्यय कर 4000 हेक्टर क्षेत्र में ट्रसर खाद्य पौध रोपण पूर्ण किया जा चुका है । इस योजना से 155 स्व–सहायता समूह के 341 स्व सहायता समूहों 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही लाभान्वित हुए है ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (दिसंबर)
1.	टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	218.603	310.961	364.525	431.305	457.10	434.987	289.17
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या में	9414	11493	14865	17133	18991	20067	19997

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाएं : केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित विभिन्न राज्यों के सहयोग से 10 वीं पंचवर्षीय योजना में उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम की सफलता के मद्दे नजर राज्य सरकारों की मांग के अनुसार 10 वीं पंचवर्षीय योजना में भी इस कार्यक्रम को निरंतर रखा गया है । वर्ष 2008–09 में सीड सेक्टर के लिए 37.50 लाख, ककून सेक्टर हेतु 282.075 लाख एवं पोस्ट ककून सेक्टर हेतु 86.90 का वितरण किया गया है । रेशम प्रभाग द्वारा समस्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष

2008–09 में 67988 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं वर्ष 2009–10 में 70,000 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदर्शन प्लाट योजना :–

प्रदर्शन प्लाट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित निजी कृषकों के स्वयं की भूमि जिसमें फैन्सिंग एवं सिंचाई की सुबिधा उपलब्ध है यह योजना ली जा रही है । शहतूती पौधरोपण योजना के प्रसार/प्रदर्शन के तौर पर चयनित कृषक की भूमि पर विभाग द्वारा प्राधिकृत तकनीकी कर्मचारी के पर्यवेक्षण में हितग्राहियों को सामग्री एवं अन्य अनुदान के रूप में 15000 रू. प्रति एकड़ के मान से राशि व्यय की जावेगी । मलबरी कीट पालन के द्वारा प्रथम वर्ष 50 किलोग्राम द्वितीय वर्ष 125 किलोग्राम एवं तृतीय वर्ष से 250 किलोग्राम का उत्पादन होता है । कृषक वर्ष में 5 फसल का कृमि पालन कर सकता है एवं उससे 15000 से 20000 तक की आय प्राप्त कर सकते हैं । उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रेशम प्रभाग में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि एवं हितग्राहियों को सहायता :–

क्र.	वर्ष	बीज कृमिपालक को सहायता	व्यावसायिक कृमिपालक को सहायता	निजी अण्डा उत्पादक	मलबरी कृषक को सहायता	ईरी एवं मलबरी कृषक को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2003–04	340	866	42	225	125	1598
2.	2004–05	840	1400	82	155	100	2577
3.	2005–06	840	1350	50	142	50	2432
4.	2006–07	325	690	43	110	50	1228
5.	2007–08	100	1000	40	100	–	1240
6.	2008–09	200	1700	40	200	150	1150
	योग	**2645**	**7006**	**297**	**942**	**475**	**12025**

क्र.	वर्ष	टपक सिंचाई योजना हेक्टर में	ग्रेनेज भवन (टसर ग्रेन्यूअर)	रियेरिंग हाउस मलबरी	सी.आर.सी.	पी.पी.सी. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2003.04	10	42	20	02	06
2.	2004–05	10	82	15	02	10
3.	2005–06	05	50	15	01	11
4.	2006–07	0	43	0	0	3
5.	2007–08	30	40	75	05	35
6.	2008–09	100	40	50	05	10
	योग	**155**	**297**	**175**	**55**	**75**

ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

राज्य गठन के पश्चात प्रथमबार प्रायोगिक रूप से जशपुर, सरगुजा बस्तर एवं कांकेर जिले में अरंडी का पौधा रोपित किया जाकर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया । वर्ष 2008–09 में 6125 कि0ग्रा0 ईरी ककून का उत्पादन किया गया है । वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर 09 तक 6402 कि0ग्रा0 ईरी ककून उत्पादन किया गया है तथा इस योजनान्तर्गत 479 हितग्राही लाभान्वित हुये है । इसका विस्तार बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा क्षेत्र रायगढ़ के धरमजयगढ़ में भी वर्ष 2009–10 से भी किया जा रहा है । इरी रेशम का प्यूपा खाने के उपयोग में लाया जा सकता है एवं मछली हेतु खाद्य आहार भी तैयार किया जा सकता है ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (दिसंबर)
1.	इरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	1084	1177	2148	3810	4370	6127	6402
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	104	155	479	607	578	370	479
3.	पौध रोपण क्षेत्र	एकड़ में	55	116.50	183.50	196	187	99	223.50

ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जा सकती है एवं प्रति हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–9000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी ।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में गैर परम्परागत मलबरी योजना के विकास हेतु नवीन मलबरी विकास कार्यक्रम वर्ष 2003–04 से क्रियान्वित की जा रही है ।

प्रदेश में 87 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 09 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित है । वर्ष 2008–09 में 36224 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन किया गया । वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 2009 तक 23176 किलोग्राम मलबरी ककून का उत्पादन किया गया ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (दिसंबर)
1.	मलबरी ककून उत्पादन	कि. ग्रा.	14005	20387	27414	34339	41632	36224	23176

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

प्रदेश में हाथकरघा उद्योग में लगभग 49509 बुनकरों को बुनाई रोजगार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे. हुए है । हाथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना, हैल्थ पैकेज, वेलफेयर योजना, बाजार अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास योजनाएं तथा प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएं संचालित है ।

(1) शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना :– वर्ष 2002–03 में रू. 5.00 करोड़ का प्रदाय आदेश विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ था, एवं वर्ष 2007–08 में रू. 16.00 करोड़ का प्रदाय आदेश विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ है । जिसमें 11,000 बुनकर रोजगार में संलग्न है । वर्ष 2008–09 में शासकीय वस्त्र प्रदाय की राशि 34.84 करोड़ रू. है जिसमें 15000 बुनकर रोजगार में संलग्न है । वर्ष 2009–10 में शासकीय वस्त्र प्रदाय का लक्ष्य 46.46 करोड़ रू. रखा गया है ।

(2) टाटपट्टी का उत्पादन एवं प्रदाय योजना :– वर्ष 2007–08 में लोक शिक्षण विभाग से 1.39 लाख नग टाट्पट्टी का उत्पादन प्रदाय हेतु आदेश प्राप्त हुआ है । उक्त प्रदाय आदेश का उत्पादन वर्ष 2007–08 में किया जाकर लगभग 1.39 लाख नग टाट् पट्टी प्रदाय किया जा चुका है । उक्त उत्पादन कार्यक्रम में लगभग 3000 लोगों को रोजगार दिया गया । वर्ष 2008–09 में राशि रू. 101388 नग टाट पट्टी एवं राशि 226. 32 लाख हुआ वर्ष 2009–10 में 1.00 लाख नग टाट पट्टी उत्पादन लक्ष्य रखा गया है ।

(3) गणवेश प्रदाय योजना :– वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विभाग को 16,63,909 नग गणवेश सिलाई कर प्रदाय किया गया है । जिसमें प्रतिवर्ष बुनाई कार्य में लगभग 10,000 बुनकरों को एवं सिलाई कार्य में 12,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है । वर्ष 2008–09 में 15.31 करोड़ रू. का गणवेश उत्पादन हुआ है । वर्ष 2009–10 में 20.00 करोड़ रू. राशि का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(4) कंबल एवं ऊनी ब्लेजर के प्रोसेसिग यूनिट की स्थापना :–राष्ट्रीय श्रम विकास योजनान्तर्गत राजनांदगांव जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बुनकरों द्वारा वर्ष 2008–09 में 60 हजार नग कंबल एवं 20 हजार मीटर ब्लेजर का उत्पादन किया गया है । इस संस्थान में 110 करघे एवं 350 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है ।

(5) बुनकरों के समग्र विकास के लिए एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :– ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है । उक्त योजना में बुनकरों के क्लस्टर एप्रोच विकास एवं समूह विकास योजना सम्मिलित है । उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में फेस–II में छुईखदान, जिला–राजनांदगांव के लिये 60.00 लाख मुगझर, जिला–रायपुर के लिए राशि रूपये 60.00 लाख, बजावण्ड, जिला–जगदलपुर 54.00 लाख एवं जिला रायगढ़ एवं कटगी को क्रमशः 58.73 लाख तथा चंद्रपुर जिला जांजगीर को 52.50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है । वर्ष 2008–09 में उपरोक्त एप्रोच के लिए 27.284 लाख स्वीकृत किया गया है । प्रदेश के राज्य बुनकर संघ एवं 30 प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति को गुणवत्ता हैण्डलूम मार्क पंजीकृत किया गया है एवं इन्हे सीधे बाजार से जोड़ने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में 204.00 लाख हाथकरघा वस्त्रों का विक्रय विभिन्न प्रर्दशनियों में किया गया है । वर्ष 2008–09 में 250 लाख हाथ करघा वस्त्रों का विक्रय समितियों एवं राज्य बुनकर संघ द्वारा किया गया ।

(6) प्रदेश के बुनकरों के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का प्रारंभ किया गया है । साथ ही बुनकरों की संस्कृति परंपरा एवं कौशल को बढ़ावा देने हेतु दो उत्कृष्ट बुनकरों को एक–एक लाख पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है । देश का सातवॉ भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा (जिला–जांजगीर) वर्ष 2006–07 में प्रारंभ किया गया है । वर्ष 2008–09 में 97.19 लाख का आबंटन एवं वर्ष 2009–10 में 144.50 लाख का आबंटन प्राप्त है । संस्थान के माध्यम से हाथकरघा क्षेत्र में डिजाईन विकास एवं टैक्स टाईल टेस्टिंग व्यवस्था से बुनकरों को अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।

(7) प्रदेश के 140 बुनकर सहकारी समितियों को बैंक कालातीत ऋण माफ करने हेतु वर्ष 2007–08 में 1.44 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है । इससे प्रदेश के 10407 बुनकर लाभान्वित होंगे ।

(8) वर्ष 2008–09 में बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत 1000 रूपये प्रिमियम पर अधिकतम 15000 रूपये वार्षिक चिकित्सा सहायता दी जाती है । वर्ष 2008–09 में 3003 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है । वर्ष 2009–10 में 988.30 रू. प्रीमियम पर 15000 रू. वार्षिक चिकित्सा दी जाती है ।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक की प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के ब्यापक अवसर सृजित करना है । बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

रोजगार सृजन कार्यक्रम :– वर्ष 2008–09 से भारत सरकार द्वारा 20000 तक आबादी वाले ग्रामों में 20 हजार तक आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए बैंको से ऋण व बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है । परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में 25.00 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है । वर्ष 2008–09 में 434 इकाईयों में 521.03 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 373 इकाईयों पर 878.155 लाख रूपये मार्जिन मनी स्वीकृत की गई जिससे 246 इकाईयों को 523.43 लाख अनुदान वितरण किया गया एवं 2443 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ ।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः– योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि स्वयं उद्यमी को अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति/पिछड़ावर्ग/अल्प संख्यक एवं महिला शारीरिक रूप से विकलांग हितग्राही को वहन करना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 30 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत पात्रता होती है । इसी प्रकार सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की पात्रता होती है । आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी राशि 2 वर्ष तक उद्योग चलते रहने तथा बैंकों की किस्तें समय पर चुकाने की स्थिति में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जायेगी । छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2007–2008 में 2809 इकाईयों की स्थापना पर रू. 628.76 करोड़ ऋण एवं रूपये 280.35 लाख मार्जिन मनी अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय कर 8598 परिवारों को

रोजगार उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2009–10 में 434 इकाईयों की स्थापना पर 521.00 लाख रू. का लक्ष्य के विरूद्ध सितम्बर 2009 तक 40 प्रकरणों में 124.91 लाख रू. की स्वीकृति बैंक से प्राप्त हो चुकी है ।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर आयोग मान्य स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है । योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे–छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है । योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । राज्य के सभी जिले में वर्ष 2008–09 में 3811 इकाईयों की स्थापना पर 375.60 लाख अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया था । जिसमें 8061 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 2007–08 में 2809 ग्रामीण इकाईयों हेतु 628.76 लाख परियोजना लागत पर 280.35 लाख अनुदान का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 8598 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2008–09 में 3811 इकाईयों की स्थापना पर 375.60 लाख अनुदान राशि का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 8061 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2009–10 में 4214 इकाई में 415.20 लाख रू. अनुदान राशि का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें 8428 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

कारीगरों को प्रशिक्षण योजना :–वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू. 9.45 लाख रू. का बजट आबंटन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्राप्त हुआ था । जिसके विरूद्ध प्रदेश के 971 व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है । वर्ष 2009–10 में तीनों मांग संख्या 41, 64 एवं 56 में रू. 24.06 लाख का बजट आबंटन तथा 1885 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है ।

सूती पोली खादी उत्पादन :–खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 9 सूत इकाई बुनाई केन्द्र स्थापित है जहां 602 ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है जिसमें 154 कारीगर बुनकर कार्य में लगे है । इन केन्दों द्वारा उत्पादित कपड़ों की विक्री विभागीय 3 संचालित विक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है ।

बांसकला केन्द्र :– राज्य बस्तर जिले में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला केन्द्र संचालित है । इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश की भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है इस केन्द्र पर 20 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है । वर्ष 2008–09 में 5.57 लाख रू. के बांस शिल्प का उत्पादन किया गया। पूर्व स्टाक को मिलाकर कुल 7.17 लाख रू. के बांस शिल्प का विक्रय किया गया ।

विभागीय खादी उत्पादन :–वर्ष 2008–09 में 104.70 लाख रू. का सूत एवं 112.12 लाख रू. के खादी वस्त्र का उत्पादन हुआ जो कि तीन भण्डार गृहों द्वारा पूर्व स्टाक मिलाकर 196.13 लाख रूत्र की विक्री की गई है । वर्तमान में 138.79 लाख रू. के स्टाक बिक्री योग्य है ।

अध्याय–11

खनिज

राष्ट्र के औद्योगिक विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक खनिज उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है । वर्ष 2008–09 में लगभग 12482. 69 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ । राष्ट्र में उत्पादित खनिजों के सकल मूल्य का (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मूल्य को छोड़कर) 27.00 प्रतिशत है तथा प्रदेश खनिज उत्पादक राज्यों में तृतीय स्थान पर रहा । वित्तीय वर्ष 2008–09 में खनिजों से राज्य शासन को 1237.30 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो विगत वर्ष की तुलना में 208.92 करोड़ रूपये अधिक है । वर्ष 2009–10 में अक्टूबर, 2009 तक 731.71 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है ।

छत्तीसगढ़ को सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क के उत्पादन में सम्पूर्ण राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है । प्रदेश में कोयला, बाक्साईट, डोलोमाईट, चूना पत्थर एवं लौह अयस्क का उत्पादन बृहत् पैमाने पर हो रहा है साथ ही सामरिक महत्व में टिन अयस्क का पूरे राष्ट्र में एक मात्र उत्पादक राज्य है । प्रदेश क्वार्टजाइट एंव डोलोमाइट के उत्पादन में द्वितीय तथा लौह अयस्क उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा ।

बॉक्स क 11.1

खनिज अन्वेषण

- वर्ष 2008–2009 में राज्य में खनिज अन्वेषण कार्य की गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2008–2009 में 3834 वर्ग किलोमीटर, सर्वेक्षण/मानचित्रण, 110 घन मीटर पिटिंग, 6746 मीटर वेधन तथा 23507 (मूलको) नमूनों का विश्लेषण कार्य किया गया ।
- राजनांदगांव जिले में सवेक्षण के दौरान क्वार्टज खनिज के 22.00 लाख एवं 12.00 लाख टन क्ले के भण्डार प्राप्त हुए हैं साथ ही 82.6 लाख टन सीमेन्ट एवं 12.00 लाख टन चूना पत्थर एवं रायपुर जिले में 274.81 लाख टन चूना पत्थर भण्डार अनुमानित किए गए । कांकेर जिले में 1.74 लाख टन उच्च श्रेणी लौह अयस्क के भण्डार अनुमानित किए गए है ।
- सरगुजा जिले के पथराई क्षेत्र में 4.00 लाख टन बाक्साईट के भण्डार एवं कोरबा जिले के शैला क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त भंडार चिन्हित किए गए तथा रायगढ़ जिले के गारेफ्लेमा क्षेत्र में 480.00 लाख टन कोयले के अतिरिक्त भंडार चिन्हित किए गए ।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 में अवैध उत्खनन के 368 प्रकरण पकड़े गए, उनसे रु. 26.80 लाख अर्थ दंड वसूल किया गया तथा अवैध परिवहन के 2096 प्रकरणों पर रु. 91.18 लाख की राशि वसूल की गई है । वर्ष 2009–10में अक्टूबर 2009 तक अवैध परिवहन के 621 प्रकरणों पर 26.52 लाख रू. अर्थ दंड एवं अवैध उत्खनन के 56 प्रकरणों पर 12.85 लाख रू. वसूल किए गए ।

खनिज आधारित उद्योग :–राज्य में प्रमुखतः खनिज आधारित उद्योग भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र, कोरबा में भारत एल्यूमीनियम संयंत्र तथा बृहद ताप विद्युत संयत्र स्थापित है इसके अतिरिक्त 07 सीमेंट संयत्र 71 स्पंज आयरन संयंत्र तथा 01 रिफेक्ट्री संयंत्र भी कार्यरत है ।

गौण खनिजों का उत्पादन :–वर्ष 2008–09 में राज्य में 261.17 करोड़ रू. मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज का प्रकार	उत्पादन मात्रा (धन मीटर में)	उत्पादन मूल्य (हजार रूपयों में)
पत्थर	5313402	825101
मिट्टी	1544042	296652
चूना–पत्थर	6937972	1138863
मुरूम	3186382	341607
ग्रेनाईट	69700	802
फर्शी पत्थर	25793	8653

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित :– कार्पोरेशन की अल्पकालीन मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार मुख्य खनिजों की रिया यतें प्राप्त कर संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन कर व्यवसाय बढ़ाना है किन्तु रेत खनिज को रायल्टी मुक्त करने के कारण यह व्यवसाय बंद हो गया है । वर्तमान में अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति के माध्यम से टिन अयस्क का संग्रहण कर आदिवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं सरगुजा के मैनपाट बस्तर में केशकाल एवं दन्तेवाड़ा में टिन, बाक्साईट एवं कोरेण्डम खनिज हेतु कार्यरत है । इसी तरह सी.एम.डी.सी. एवं एन.एम.डी.सी बैलाडीला आयरन ओर डिपाजिट क्रमांक 13 एवं 4 के दोहन हेतु संयुक्त प्रक्षेत्र कंपनी कार्यरत है । सरगुजा मैनपाट क्षेत्र में 6 खजिन पट्टा 110.697 हेक्टर तीन वर्ष के लिए उत्खनन एवं विक्रय हेतु खनिज पट्टा दिया गया है ।

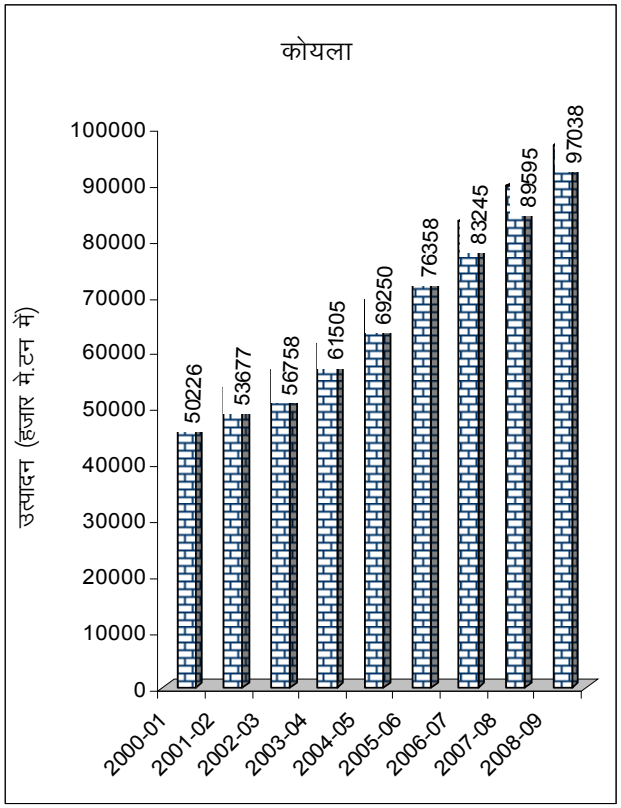
कोयला
उत्पादन (हजार मे.टन में)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
50226
53677
56758
61505
69250
76358
83245
89595
97038
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

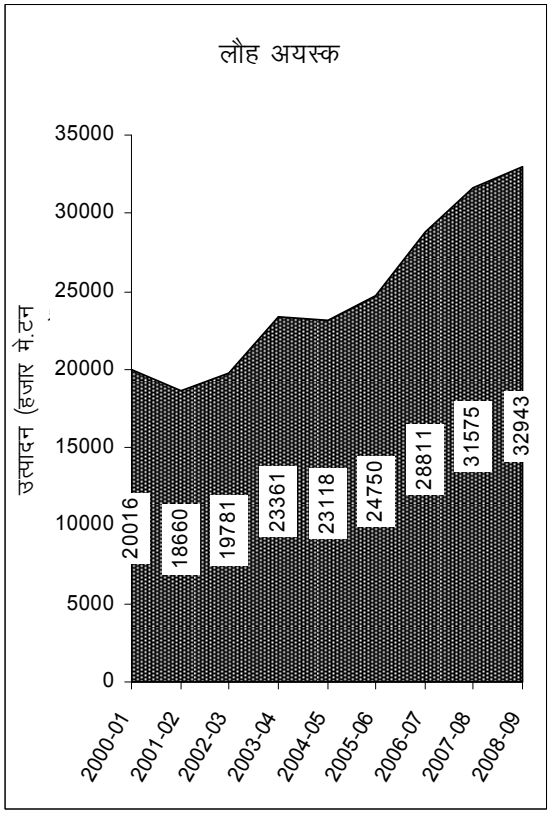
लौह अयस्क
उत्पादन (हजार मे.टन
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
20016
18660
19781
23361
23118
24750
28811
31575
32943
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

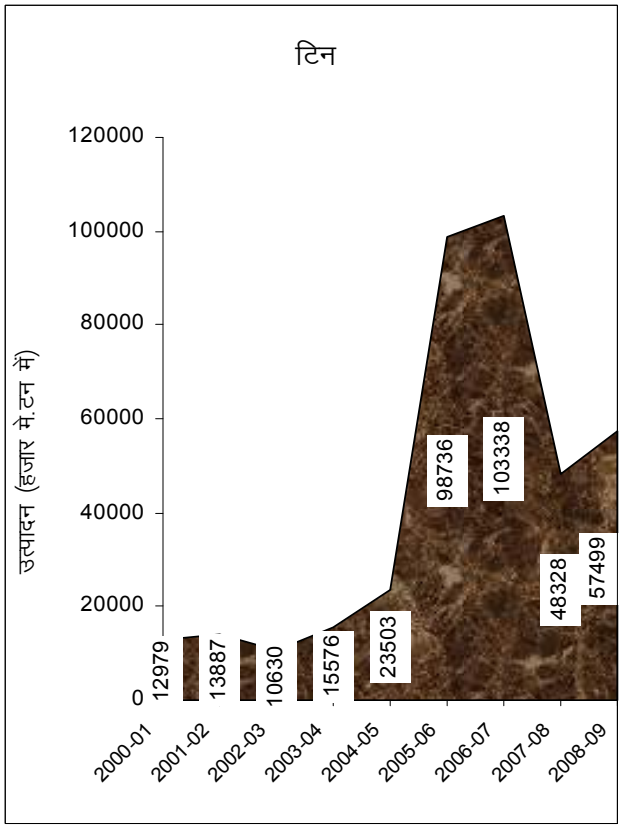
टिन
उत्पादन (हजार मे.टन में)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
12979
13887
10630
15576
23503
98736
103338
48328
57499
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

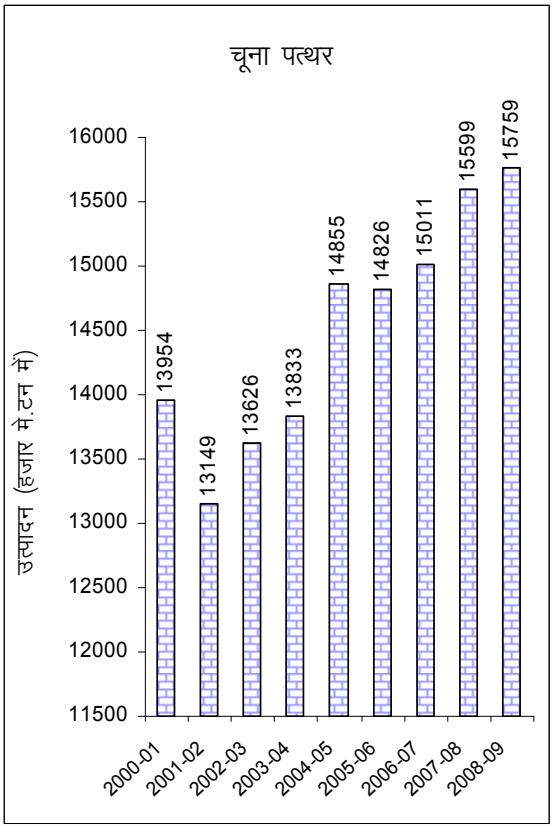
चूना पत्थर
उत्पादन (हजार मे.टन में)
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
13954
13149
13626
13833
14855
14826
15011
15599
15759
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

अध्याय–12

परिवहन सुविधाएँ

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिवहन के कमी के परिणाम–स्वरूप सड़क परिवहन के प्रमुख संसाधन मालयानों तथा यात्रीयानों का आन्तरिक परिवहन संचालन व्यवस्था में अपना एक विशिष्ठ स्थान है ।

मार्च 2008 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1929 हजार थी जो मार्च 2009 में बढ़कर 2167 हजार हो गई है । इस प्रकार कुल पंजीकृत वाहनों में 12.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि कार एवं जीप में 15.62 प्रतिशत, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड में 36.99 प्रतिशत, यात्री वाहन में 20.93 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 10.94 प्रतिशत परिलक्षित हुई है । उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष कुल पंजीकृत वाहनों में द्विपहिया वाहनों का प्रतिशत 95.13 रहा ।

वर्ष 2008–09 में शुल्क एवं मोटर यानों पर देय कर आदि से 315.50 करोड़ रू. राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष्य में 311.29 करोड़ रू. का राजस्व संग्रहण किया गया । जो गत वर्ष की तुलना में 34.20 करोड़ रू. अधिक है । वर्ष 2009–10 में शुल्क एवं मोटर यानों देयकर आदि से 351.47 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष्य में माह सितम्बर 2009 तक 156.15 करोड़ रू. का राजस्व संग्रहण किया गया, विगत वर्ष इसी अवधि में 140.37 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ था ।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थापित (म.प्र.रा.स.प.नि) एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम 31.12.2002 तक कार्यरत था । छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निगम को समाप्त कर परिवहन क्षेत्र में निजीकरण किया गया है । इसके कारण राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन में वृद्धि हुई है । पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक नये समझौता सम्पन्न किए गए हैं । वाहन रजिस्ट्रीकरण एवं चालक लायसेंस हेतु स्मार्ट कार्ड योजना प्रस्तावित है । केन्द्र सरकार के योजनानुसार प्रत्येक वाहनो में हाई सिक्यूर्टी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की योजना है जिसे परिवहन कार्यालय में तैयार किया जावेगा। राज्य के सीमावर्ती चार स्थानों में पाटकोहेरा, भगतदेवरी, शंख एवं वाड्रफनगर में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटोयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किये जा रहे हैं, जहॉ वाणिज्य, वन, खनिज, कृषि एवं परिवहन विभाग एक ही स्थान पर चेकिंग का कार्य सम्पादित करेंगे, इससे अंतराष्ट्रीय परिवहन में सुगमता आयेगी ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं 16 मैदानी परिवहन कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्रथम चरण में आयुक्त कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण कर शेष कार्यालयों का कार्य प्रगति पर है । इसी तरह कम्प्यूटरीकृत एवं एकीकृत जॉच चौकी की भी स्थापना की जा रही है । वाहन चालक लायसेंस एवं वाहन के पंजीयन किताब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाना प्रस्तावित है । इस योजना से पंजीयन किताब के रूप में लायसेंस एक चिप्स युक्त कार्ड दिया जायेगा इससे वाहन स्वामी को डूप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों से मुक्ति मिलेगी ।

कुल पंजीकृत वाहन वर्ष 31 मार्च –1998 से 31 मार्च –2009 तक

(हजार में)

31 मार्च तक	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / तिपहिया	यात्री वाहन बस	मालवाहन ट्रक	द्विपहिया वाहन	अन्य (ट्रेक्टर ट्राली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1998	28	06	09	31	526	44	644
1999	29	07	10	32	585	50	713
2000	31	07	12	35	643	53	781
2001	34	08	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1711	97	1375
2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2007	78	16	27	85	1396	126	1728
2008	90	18	31	97	1553	139	1928
2009	104	20	36	107	1745	155	2167

सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है । वर्ष 2008–2009 में 7358 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 77 वृहद पुलों का निर्माण किया गया और 218 वृहद पुल का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2009–10 में 2016 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं 29 वृहद पुलों का निर्माण पूरा किया गया तथा 190 वृहद पुल कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 2008–09 में कुल 2186.12 करोड़ रू. के विरूद्ध 1670.42 करोड़ रू. का व्यय किया गया वर्ष 2009–10 में माह सितंबर तक 1996.87 करोड़ रू. के प्रावधान के विरूद्ध 735.62 करोड़ रूपये व्यय किये गये है । राज्य में सुगम एवं द्रुतगामी यातायात हेतु कुल 3106.75 कि.मी. लम्बे दो उत्तर दक्षिण तथा चार पूरब पश्चिम कॉरीडोर का निर्माण जारी है । अभी तक 1181 कि.मी. मार्ग पूर्ण किया जा चुका है एवं 32 नग पुल–पुलिया निर्माण पूर्ण तथा 14 नग पुल–पुलियों का कार्य प्रगति पर है । माह सितंबर, 2008 तक 352.48 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है । रेल्वे ओव्हरब्रिज के अंतर्गत तीन रेल्वे ओव्हरब्रिज (दाधापारा, आमानाका रायपुर व तिफरा बिलासपुर) में 28.97 करोड़ का कार्य पूरा किया गया है तथा 08 रेलवे ओव्हरब्रिज के कार्य प्रगति पर है । उसलापुर, अकलतरा, दुर्ग–भिलाई, रायगढ़, डोंगरगढ़, टेकारी, तिफरा, चकरभाटा अंडरब्रिज का कार्य प्रगति पर है ।

आर्थिक एवं अंर्तराज्यीय महत्व की सड़क योजना अंतर्गत कुल 1 कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2008–09 में कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं किया, इस वर्ष रू. 10.37 करोड़ आबंटन के विरूद्ध रू. 3.25 का व्यय किया गया है । इन कार्यो पर माह 09/2009 तक रू. 0.89 करोड़ का व्यय किया गया है । 2009–10 में रू. 71.41 करोड़ के 3 प्राक्कलन स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन को प्रेषित किए गए हैं, जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है ।

एल.डब्लू.ई. योजनांतर्गत केन्द्र शासन को 34 सड़क कार्यो के रू. 2619.70 करोड़ के 82 प्राक्कलन केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं, जिनमें से 5 सड़क कार्यो के लिए 16 प्राक्कलन पर रू. 170.58 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, शेष हेतु स्वीकृति अपेक्षित है । स्वीकृत कार्यो के निविदा हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

बाक्स न–12.1

निर्माण कार्य व उनकी प्रगति

- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य को 49 कार्यो हेतु कुल 291.31 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसमें से अभी तक कुल 32 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 17 कार्य प्रगति पर है । इन कार्यो पर सितंबर, 2008 तक 9.24 करोड़ रू. व्यय किया गया है । 11 अन्य नवीन सड़कों हेतु 344.86 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।
- मनीला स्थित एशियन डेब्लपमेंट बैंक जो कि एक अंर्तराष्ट्रीय संस्था है के प्रथम चरण में 6 मार्ग प्रगति पर है । जिसकी कुल लम्बई 811 कि.मी. एवं अनुमानित लागत लगभग 697.11 करोड़ रू. है । द्वितीय चरण में 9 मार्ग 438.58 कि.मी. लागत 403.74 करोड़ रूपये है 1 कार्य पूर्ण 8 कार्य प्रगति पर है
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय कुल 761 भवन का कार्य वर्ष 2008–09 में पूर्ण किए गए थे । 815 कार्य प्रगति पर है इन कार्यो हेतु रू. 408.21 करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. 356.90 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं । इस वर्ष इन कार्यो पर सितंबर, 2008 तक रू. 333.98 करोड़ आबंटन के विरूद्ध 87.97 करोड़ रूपये व्यय कर 82 भवन पूर्ण एवं 701 भवन के कार्य प्रगति पर है ।
- महत्वपूर्ण भवनों में छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली (16.00 करोड़ लागत) ट्रॉजिस्ट हॉस्टल (3.03 करोड़) नवीन विश्राम गृह (14.37 करोड़) का कार्य पूर्ण किया गया है । हाई कोर्ट भवन छत्तीसगढ़ नवीन, इन्जीनियरिंग कालेज, पुलिस अकादमी, जंगलवार फेयर कालेज, कांकेर का निर्माण मुख्य है प्रगति पर है ।

अध्याय–13

श्रम एवं रोजगार

रोजगार एवं प्रशिक्षण

राज्य निर्माण के पश्चात 09 नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं 42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त व्यवसायों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । जिसमें विभिन्न हाईटेक व्यवसाय जैसे कम्प्यूटर हार्डवेयर, इन्फारमेंसन टेक्नालॉजी, कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिसटेंट में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

बाक्स न–13.1

रोजगार एवं प्रशिक्षण

- राज्य के रोजगार कार्यालयों में चालू पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सितम्बर 2009 तक 12.87 लाख है ।
- जनवरी 2009 से सितम्बर 2009 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 2.26 लाख बेरोजगारों का पंजीयन कराया गया है । जिमसें से 658 बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिसमें 48 महिलाएँ 61 अनुसूचित जाति, 219 अनुसूचित जन जाति 189 पिछड़ें वर्ग के उम्मीदवार थे ।
- वित्तीय वर्ष 2009–10 में शासन ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार मे स्थापित करने हेतु 38 व्यवसायों मे प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की है । इस हेतु शासन से 88.00 लाख रू. शासन से प्राप्त हुए हैं एवं सितम्बर 2009 तक 3499 आवेदकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया है ।

सेंटर आफ एक्सीलेंस : केन्द्र शासन के सहयोग से राज्य में चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें भिलाई, माना, कोरबा एवं रायगढ़ में सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में 08 अन्य संस्थानों बलौदाबाजार, गौरेला, डौण्डी लोहारा, दुर्ग भिलाईनगर एवं राजनांदगांव का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है । साथ ही केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में डौण्डी लोहारा एवं बलौदाबाजार में पृथक भवन निर्माण के लिए क्रमशः 123.66 लाख एवं 122.65 लाख रू. की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 13.70 लाख रू. की लागत से बिलासपुर एवं बस्तर में प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है यहॉ आई.टी.आई प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । इससे लगभग 1200 अतिरिक्त युवा प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे ।

विश्वकर्मा योजना : अल्प शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके निवास के आस–पास रोजगार नियोजन की दृष्टि से 20 संस्थाओं में 1.00 करोड़ की लागत से बहुकौशलीय तकनीकी प्रशिक्षण में 800 युवा स्व–रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष 2007–08 में 62.39 लाख रू. व्यय किया गया है ।

नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण :–प्रावधानित पिछड़े एवं आदिवासी अंचल में 8 नवीन प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसमे 484 सीटों में व्यवसाय विषयक प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

नवीन संस्थायें :–पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजनान्तर्गत विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 13 संस्थाओं को उन्नयन हेतु सहमति दी गई है । शासन द्वारा प्रति संस्था 2.50 करोड़ ब्याज रहित दीर्घ कालिक ऋण प्रदान किया गया है । मशीनों के आधुनिकीकरण कर प्रशिक्षण संस्थाओं में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 704.00 लाख के आधुनिक मशीन/औजार उपकरण क्रय हेतु उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 2008–09 में दो नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विश्रामपुरी जिला बस्तर एवं भटगावं जिला सरगुजा में 160 नवीन पाट्यक्रम अनुसार व्यवसाय प्रशि़क्षण हेतु स्वीकृति दी गई है ।

छात्रावासों में सुविधा :– आदिवासी अंचलों में छात्रावासों में मूलभूत सुविधा हेतु 20.00 लाख के फर्नीचर एवं 10.00 लाख की पुस्तकें क्रय करने हेतु उपलब्ध कराया गया है ।

शिक्षित बेराजगारों को बेरोजगारी भत्ता :–इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को जो 18 से 35 वर्ष के बीच है तथा 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रोजगार कार्यालय में दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत हैं । जिस परिवार की वार्षिक आय 11000 से कम हो ऐसे बेरोजगारों को आगामी दो वर्षो के लिए 500 रू. प्रतिमाह की दर से बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है । वर्ष 2009–10 में शासन द्वारा 835.50 हजार रू. का आबंटन किया गया है । प्राप्त आंबटन/व्यय/लाभान्वित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निम्नानुसारहै :–

(हजार रूपयों में)

मांग संख्या	आबंटन राशि (2009–10)	व्यय राशि (1.4.2009 से 30. 09.2009 तक)	लाभान्वित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या
आदिवासी क्षेत्र आयोजना	172.50	29.25	872
अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना	125.00	19.96	811
सामान्य	538.00	58.68	2281
योग	**835.50**	**107.89**	**3964**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण इलाके के ऐसे प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाना है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत मार्च 2009 तक 1298.00 करोड़ रूपयें की राशि निर्गमित की गई है । अन्य प्राप्तियों एवं वर्ष 2008 की शेष राशियों को जोड़कर 1973.52 करोड़ के विरूद्ध मार्च, 2009 तक 1434.30 करोड़ रूपये व्यय किये गये है । इस प्रकार कुल राशि के विरूद्ध 72.68 प्रतिशत व्यय कर 1243.48 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित हुए । मार्च, 2009 तक कुल स्वीकृत 100550 कार्यों में से 53691 कार्य पूर्ण हुए । प्रावधान अनुसार कुल पंजीकृत 28.76 लाख परिवारों में से रोजगार की मांग करने वाले 22.70 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह सितंबर, 2009 तक पूर्व अवशेष एवं अन्य प्राप्तियों को जोड़कर 1212.36 करोड़ रू. उपलब्ध है, जिसके विरूद्ध 658.14 करोड़ रू. व्यय किए गए हैं । उपलब्ध राशि के विरूद्ध 54.28 प्रतिशत राशि व्यय की गई है एवं 580.90 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए है । माह सितम्बर 2009 तक कुल स्वीकृत 61139 कार्यो में से 26006 कार्य पूर्ण किए गए । योजनान्तर्गत अब तक पंजीकृत 34.59 लाख परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई । जिसके विरूद्ध 12.61 परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया । योजना प्रारंभ से सितम्बर 2009 तक 34.59 लाख परिवारों के कुल 54. 06 लाख खाते बैंक/डाकघरों में खोले जा चुके हैं ।

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना ''नवा अंजोर'':– विश्व बैंक से ऋण लेकर राज्य के दो जिले बीजापुर एवं नारायणपुर को छोड़कर 16 जिले के 40 विकासखण्डों में संचालित है । परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के साधनहीन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विशेषकर महिलाओं तथा सीमांत कृषक परिवार समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । परियोजना लागत 522.14 करोड़ रू. है जिसमें से माह अक्टूबर 2009 तक 279.20 करोड़ रू. व्यय किया जा चुका है ।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में 20000 समहिज समूहों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 20716 समूहों को लाभान्वित किया जाकर 184.85 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है । जिसमें अक्टूबर 2009 तक कुल 20716 समूहों के माध्यम से 111458 परिवारों को लाभान्वित किया गया जिसमें 15207 अनुसूचित जाति 40845 जन जाति 52112 अन्य पिछड़ावर्ग तथा 3094 सामान्य वर्ग के गरीब परिवार सम्मिलित है ।

स्वर्ण जंयती ग्राम स्वराज योजना :–गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को छोटे–छोटे उद्यमी तैयार कर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाना है । वर्ष 2008–09 में मार्च 2009 तक 114.50 करोड़ वित्तीय उपलब्धि अर्जित कर 45743 परिवारों को लाभान्वित किया गया जिसमें 6985 अनुसूचित जाति 17948 अनुसूचित जनजाति एवं 25064 महिला परिवार लाभान्वित किए गए । उपलब्ध राशि 75.45 करोड़ में से मार्च 2009 तक 69.19 करोड़ की राशि व्यय की गई है । वर्ष 2009–10 में मार्च सितम्बर 2009 तक 52.17 करोड़ में कुल 16800 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है । जिस पर 28.91 करोड़ की राशि व्यय की गई है ।

इन्दिरा आवास योजनाः– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश 75 व 25 प्रतिशत का है । योजनान्तर्गत नये आवास निर्माण हेतु 35000 रूपये तथा आवास उन्नयन हेतु 15000 रूपये का अनुदान देय है ।

वर्ष 2008–09 में 104.43 करोड़ उपलब्ध राशि में से 100.20 करोड़ के व्यय से 27919 नये आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया गया । वर्ष 2009–10 में माह सितंबर, 2009 तक 133.16 करोड़ उपलब्ध राशि में से 81.32 करोड़ के व्यय से 42505 नये आवास निर्माणाधीन है ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)- यह योजना प्रदेश के तीन जिलो जांजगीर चांपा रायपुर एवं दुर्ग को छोड़कर सभी जिलों में क्रियान्वित है योजना का उद्देश्य नगरपालिका निकायो का नियोजन एवं योजना क्रियान्वयन क्षेत्र में क्षमता विकास एवं विकास अनुदान का प्रावधान है । वर्ष 2008–09 में क्षमता विकास निधि अन्तर्गत 22.10 करोड़ की राशि के कार्य स्वीकृत किये गये है । जिसमें 17.50 करोड़ व्यय कर 4.00 करोड़ की लागत से एक सेटकाम स्टूडियो एवं 110 विकासखण्ड मुख्यालय में पंचायत में संसाधन केन्द्रों का निर्माण स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 25 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (निमोरा, जिला–रायपुर) में 2838 जन प्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

विकास अनुदान मद अन्तर्गत कुल 417.36 करोड़ आबंटन के विरूद्ध मार्च 2009 तक 212.10 करोड़ व्यय किए गए हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 134.16 करोड़ अर्थात कुल 346.26 करोड़ रू. व्यय किए गए हैं । योजनान्तर्गत मार्च

2009 तक 17531 कार्य पूर्ण कराये गये हैं एवं चालू वर्ष में स्वीकृत 45459 कार्यो में से 6165 कार्य पूर्ण है ।

जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरियाली)

सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.):– 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत योगदान से संचालित है । नवगठित राज्य के 8 जिलों के 29 विकास खण्ड वर्ष अन्तर्गत सूखा ग्रस्त पाये गये है । इन विकास खण्डों में वर्ष 2006–07 तक स्वीकृत कुल 932 माइक्रो वाटरशेड परियोजनाएँ संचालित है, जिसकी सकल राशि 277.704 करोड़ है एवं उपचार योग्य क्षेत्र 461490.95 हेक्टर है । वर्ष 2008–09 तक इनमें 49.238 करोड़ राशि प्राप्त हुई, जिसमें से 25.484 (52 प्रतिशत) करोड़ का उपयोग कर 34366.15 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया, तथा 3043.60 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया । वर्तमान वर्ष 2009–10 में माह सितंबर, 2009 तक कुल उपलब्ध राशि 31.67 करोड़ में से 12.22 (39 प्रतिशत) करोड़ रूपये का उपयोग कर 13824.99 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया जा चुका है तथा 309.16 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया है ।

एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लू.डी.पी.) :– 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 91.66 एवं 8.34 प्रतिशत अर्थात् 11:1 के अनुपात के योगदान से संचालित है । इन विकास खण्डों में वर्ष 2006–07 तक स्वीकृत कुल 14 जिलों में 63 विकासखण्डों में कुल 70 परियोजनाएँ संचालित है । जिनकी सकल लागत राशि 228.380 करोड़ है एवं उपचार योग्य क्षेत्र 384333 हेक्टर है । वर्ष 2008–09 तक इनमें रूपये 46.56 करोड़ राशि प्राप्त हुई है जिसमें 25.71 (55 प्रतिशत) करोड़ का उपयोग कर 40475.13 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया तथा 2999.43 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया । वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक कुल उपलब्ध राशि 27.99 करोड़ में से 6.78 (24 प्रतिशत) का उपयोग कर 13721.24 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया, एवं 270.00 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया ।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई है । योजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2009 के अंत तक 1000 या इससे अधिक आबादी (पहाड़ी/रेगीस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में 500 या इससे अधिक) की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है । प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 में भारत सरकार द्वारा 956.83 किमी लंबाई की 112 सड़कें 812 पुल–पुलिया स्वीकृत की गई, तथा रू. 91.92 करोड़ राशि प्रदान की गई । अभी तक कुल स्वीकृत में से 112 सड़कें 919.25 किमी लंबाई तथा 826 पुल–पुलिया पूर्ण कर 114.34 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

वर्षवार प्रधान मंत्री संड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

स्वीकृत एवं भौतिक लक्ष्य					भौतिक उपलब्धियॉ एवं व्यय			
वर्ष	राशि (करोड़ रू. में)	संख्या	लंबाई कि.मी.ा	पुल पुलिया (संख्या)	राशि (करोड़ रू. में)	संख्या	लंबाई कि.मी.	पुल पुलिया (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000–01	91.92	112	956.83	812	114.34	112	919.25	826
2001–02	220.00	176	1122.53	1635	319.69	272	1711.12	2176
2002–03 2003–04	158.02	117	790.55	1186				
2004–05	412.59 104.06	70	1872.72 504.61	3402 779	341.73 89.84	330 54	1655.58 357.03	1840 484
2005–06	448.72 3.19	429 2	1951.27 10.30	2699 33	389.09 389.59	410 –	1734.41 1760.91	1571 1675
2006–07	587.12	561	2516.13	3759	52.43	50	2176.10	2111
2007–08	2037.00	1251	6836.68	8941	967.92	252	1651.34	3561
2008–09	1111.80	1049	3819.82	5777	151.01	23	70.07	1036
योग	**6479.87**	**5320**	**25499.59**	**36626**	**3919.55**	**3011**	**14494.88**	**19295**

वर्ष 2006–07 में सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के छठवें चरण के अंतर्गत 503.43 करोड़ रूपये लागत की 357 सड़कें लम्बाई 1702.86 कि.मी. तथा 2407 पुल–पुलियो, तथा एशियन विकास बैंक की सहायता में तृतीय चरण के तहत 587.12 करोड़ रूपये लागत की 567 सड़कें 2145.08 कि.मी. लम्बाई, तथा 4012 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई । उन पर क्रमशः 12.77 करोड़ तथा 59.53 करोड़ रूपये का कार्य करते हुए कुल 382 पुल–पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–08 हेतु सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1251 सड़कों, 6836.68 कि.मी. लंबाई, 8941 पुल–पुलियों, लागत 2037.30 करोड़ की राशि स्वीकृति हुई । जिसके अन्तर्गत 252 सड़कें लम्बाई 1651.34 कि.मी एवं 3561 पुल–पुलिया पूर्ण कर 697.92 करोड़ रू. व्यय किए गए ।

वर्ष 2008–09 हेतु सामान्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 1111.80 करोड़ की राशि से 1049 सड़कें 3819.82 कि.मी तथा 5777 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसके अन्तर्गत 23 सड़के लंबाई 70.07 कि.मी एवं 1036 पुल पुलियां पूर्ण कर 151.01 करोड़ रू. व्यय किए गए हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक कुल रू. 6479.87 करोड़ की राशि से 5320 सड़कें लंबाई 25499.59 कि.मी. तथा 36626 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसके अन्तर्गत माह सितम्बर 2009 तक अंत तक 3011 सड़कें, लम्बाई 14494.88 किमी तथा 19295 पुल–पुलियाँ पूर्ण कर 3919.55 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके है ।

अध्याय–14

सामाजिक सेवायें

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है ।

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रदेश के 16 जिलों में स्थित 19 शिक्षा जिलों की भूमिका राष्ट्र के विकास की धारा में अशिक्षा एवं निरक्षरता के क्रम में शिक्षा की भूमिका अहम् हो गई है । देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा एवं जागरूक हो इस हेतु यह आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थाओं को देश में सुदृढ़ तंत्र स्थापित कर शैक्षणिक पहचान स्थापित कर सके ।

प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं का स्तरवार विवरण :

क्र.	स्तर	शिक्षा विभाग	आ.जा.क.वि		सर्व शिक्षा अभियान	स्थानीय निकाय शिक्षा	अनुदान प्राप्त		मद रसा बोर्ड	गैर अनु प्राप्त	जन भागी दारी	योग
			शाला	आश्रम			शिक्षा	आ. जा.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	10	11	12
1	प्राथमिक स्तर	15689	16941	0	9285	–	178	05	176	2406	–	44680
2	पूर्व मा. स्तर	9208	6202	10	7146	–	57	05	27	1501	–	24156
3	हाई स्कूल	1171	439	8	0	–	–	–	41	554	366	2579
4	उ.मा.विद्यालय	1010	622	13	0	20	78	02	–	586	175	2506
	योग	**27078**	**24204**	31	**16431**	**20**	**313**	**12**	**244**	**5047**	**541**	**73921**

1. दर्ज संख्या वृद्धि अभियान :

शिक्षा के अधोसंरचना के विकास के लिये शिक्षा को घर–घर तक पहुचाने के लिये छात्रों के पहुंच सीमा के भीतर शालाओं की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है । राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः 44680, 24156, 2579 एवं 2506 है एवं इन विद्यालयों

में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या 5449623 है, जिनमें 2906797 बालक एवं 2542426 बालिकाएं है । उपरोक्त में से अनुसूचित जाति कुल संख्या 750268 है जिसमें 413344 छात्र एवं 336924 छात्रायें अध्ययनरत हैं । इसी तरह अनुसूचित जन जाति की कुल छात्र/छात्रायें 1724267 हैं जिसमें 952268 छात्र एवं 771999 छात्रायें अध्ययनरत हैं ।

2. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं एवं शहरी क्षेत्रों की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु –

- एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- प्रदेश के 1189 हाई स्कूल एवं उ.मा.विद्यालयों के 186000 बालिकाओं के लिये 54/– रूपये प्रति छात्रा की दर से शासन द्वारा भुगतान किया गया है ।
- प्रदेश के 16 जिलों में जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है ।
- इस योजना के अन्तर्गत सत्र 2009–10 में 403 केन्द्र संचालित है । जिनमें कुल 78000 छात्राओं को योजना का लाभ मिल रहा है । वर्तमान में 300 विद्यालयों में आईसीटी योजना संचालित है एवं 800 विद्यालयों के लिए प्रस्तावित है ।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 हेतु रू. 1240.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से अब तक रू. 1058.46 लाख व्यय किये जा चुके है । वर्ष 2009–10 में 525.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 248.97 लाख व्यय किया गया एवं 78000 छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

3. सरस्वती सायकल प्रदाय योजना :–

राज्य के हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदान कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है । सत्र 2007–08 से 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को भी सायकल के प्रदाय से जहां शालाओं में आवागमन की सुविधा प्रदान है वहीं बालिकाएं शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो रही है ।

इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को लेडीस ब्लैक सायकल के वितरण की कार्यवाही की गई है । 2007–08 में से योजना का लाभ पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को भी प्रदान किया जा रहा है । वर्ष 2008–09 हेतु रू. 1346.89 लाख का व्यय कर प्रति छात्रा 2400 रू. नगद सायकल खरीद हेतु प्रदाय किए गए ।

4. निःशुल्क गणवेश योजना :–प्राथमिक विद्यालय (1 से 5) की अजा, अजजा एवं बी.पी. एल. वर्ग के अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क गणवेश योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 रू. 572. 29 लाख रू. व्यय कर 448624 छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया गया है । वर्ष 2009–10 में इन योजनाओं के लिए 9.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इससे लगभग 5.40 लाख छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्राप्त होंगे ।

5. छात्र सुरक्षा बीमा :–

इस योजनान्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दुर्धटना बीमा का संरक्षण प्रदान किया गया है । जिसमें दुर्घटना–जनित मृत्यु, पूर्ण अपंगता अथवा स्थाई अपंगता होने पर 10,000 रूपये एवं एक अंग भंग होने पर अथवा आंशिक अपंगता पर 5,000 रूपये एवं उपचार हेतु 500 रू. की सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2008–09 अन्तर्गत 386 लाभान्वितों को 48.20 लाख रू. व्यय कर 40.00 लाख रू. के दावों का भुगतान किया गया है ।

6 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/पुस्तकालय योजना :–

इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किया जा रहा है ।

वर्ष 2005–06 से शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की गई है ।

वर्ष 2008–09 में कक्षा 11 से 12 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं समस्त बालक–बालिकाओं को पुस्तक योजना के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें प्रदाय की गई ।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग (पाठ्यपुस्तक निगम) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान कर रही है । वर्ष 2008–09 हेतु रू. 36.97 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से रू. 36.95 करोड़ व्यय कर 48.11 लाख प्राथमिक स्तर के छात्र–छात्राओं एवं माध्यमिक स्तर के 2.21 लाख छात्र/छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ है । वर्ष 2009–10 में कक्षा 1 से 10 स्तर के विद्यार्थियों को 17481832 पुस्तकें वितरित की गई है ।

7 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

योजना में औसतन 200 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेश के 146 विकासखण्डों के 47176 शालाओं के करीब 3517727 विद्यार्थीगण लाभान्वित हो रहे हैं जिसमें 1774937 स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत है ।

प्रदेश में 12196 शालाओं में पंचायत द्वारा, 18762 शालाओं में महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 268 शालाओं में स्थानीय निकायों 185 शालाओ स्वयंसेवी संगठन पहल द्वारा एवं शेष 760 शालाओं में शाला विकास समिति एवं जन भागीदारी समिति द्वारा भोजन व्यवस्था की जा रही है ।

मध्यान्ह भोजन केन्द्रो के प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु 127.77 लाख का व्यय प्रस्तावित है । इसमें बाह्य एजेन्सी के द्वारा मूल्यांकन कराया गया । इस हेतु जिला मुख्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर रखा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा को घर–घर पहुंचाने के लिए राज्य निर्माण के पश्चात 4215 प्राथमिक शाला, 5647 माध्यमिक शाला, 563 हाईस्कूल एवं 352 उच्चतर माध्यमिक शालाएं प्रारंभ की गई है ।

सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत पांच वर्षो में 1051 प्राथमिक शाला भवन, 8468 उच्च प्राथमिक शाला भवन एवं 37292 अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति प्रदान की गई है । आदिवासी अंचल में 10 बच्चों की उपलब्धता पर 1370 प्राथमिक स्तर ज्ञान ज्योति विद्यालय खोले गये । 565 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई है । 36 नाईट शेल्टर के माध्यम से 1803 कामकाजी बच्चें एवं आदिवासी क्षेत्रो में 24 डारमेंट्री संचालित कर 2350 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया । नक्सल प्रभावित क्षेत्र दन्तेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में 18 पोटा केबिन तैयार कर 7422 शाला त्यागी बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के मुख्याधारा से जोड़ा गया ।

राजीवगांधी शिक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापी करण है । जिसके अन्तर्गत वर्ष 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सुविधा युक्त उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है । इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001 से लगातार अभीतक प्रयास जारी है । इन प्रयासों में सभी बसाहटों में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शाला प्रारंभकर शिक्षकों के नये पद स्वीकृति, शिक्षक भर्ती, शाला

भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक प्रदाय, पेयजल सुविधा, शौचालय, रेम्प निर्माण आदि का कार्य किया जाता है । वर्ष 2008–09 में 9276 प्राथमिक शाला, 15951 उच्च माध्यमिक शाला भवन प्रारंभ किए गये एवं 4652 शिक्षा गारण्टी शाला का प्राथमिक शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 2009–10 में 01 प्राथमिक शाला एवं 404 उच्च प्राथमिक शाला प्रारंभ किए गये । वर्ष 2008–09 में नामांकन दर्ज बच्चों में से कक्षा 1 से 8 तक 32.55 लाख बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों को शाला प्रारंभ होने के साथ निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया एवं अध्ययनरत बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बाल मित्र संयुक्त अभ्यास पुस्तिका एवं ग्रेडिंग कार्ड उपलब्ध कराई गई है ।

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र 2009–10 में शिक्षक प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में ही प्रारम्भ किया जाकर 126121 शिक्षकों को 20 दिवसीय एवं 12276 नव नियुक्त शिक्षाकर्मियों को 30 दिवसीय एवं 7951 अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित करने की कार्यवाही जारी है ।

2. निःशक्त बच्चों की शिक्षा :–समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत 46153 निःशक्त बच्चे चिन्हाकित है । माह जुलाई अगस्त में ALIMCO कानपुर सहयोग से निःशक्त बच्चों की जांच एवं आवश्यकता निर्धारण हेतु जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर 54 स्थानों पर सर्जरी योग्य निःशक्त बच्चों को चिन्हाकित कर प्रमाण पत्र दिया गया । 3452 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है ।

3. ज्ञान ज्योंति केन्द्र :– आदिवासी जिलों में ऐसे ग्राम/बसाहट जहॉ 6–14 वर्ष आयु के 10 बच्चे उपलब्ध हों वहॉ पर प्राथमिक शाला खोलने का निर्णय लिया गया है जिसे ''ज्ञान ज्योंति केन्द्र'' नाम दिया गया है । इसके अंतर्गत 9 आदिवासी जिलें में 1370 नवीन प्राथमिक शाला खोले गये हैं । जिन्हे ज्ञान ज्योंति विद्यालय के नाम से जाना जाता है । अभी तक कुल 16895 बालक/बालिकाएँ अध्ययनरत है ।

4. पोटा केबिन :–

राज्य के दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में जहॉ की धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है । जहॉ नक्सलियों द्वारा स्कूल, भवनों एवं आश्रम शालाओं को क्षतिग्रस्त/ध्वस्त किया जा रहा है । वहॉ के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति एवं शिक्षा को सतत् जारी रखने की दिशा में कुल 27 पोटा

केबिन स्थापित कर शाला त्यागी बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया जा रहा है ।

इन प्रत्येक पोटा केबिन 5–5 सौ अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था सहित सुविधा मुहया करायी गई है । जिसमें लगभग 13,000 बच्चे अध्ययनरत हैं ।

5. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBC) :–

इस कार्यक्रम के तहत राज्य के पिछड़े सुविधा विहीन क्षेत्रों की निर्धन परिवारों की शाला त्यागी बालिकाओं को जो पांचवीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं । उन्हे कक्षा आठवीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय व्यवस्था सहित मुहॅया करायी जा रही है । राज्य में इस तरह के विद्यालयों की कुल स्वीकृत संख्या 93 है । जिनमें से 89 (KGBC) 100 सीटर एवं 4 (KGBC) 50 सीटर हैं । इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भोजन, गणवेश, कापी–किताब, लेखन सामाग्री, साबुन–तेल आदि निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है । इन सभी 93 विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की कुल दर्ज संख्या 9057 है ।

6. बालिकाओं की प्रारभिंक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) :–

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6–14 वर्ष की सभी बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने, महिला–पुरूष भेद–भाव को समाप्त करने एवं महिला–पुरूष साक्षरता दर को समाप्त करने के लिए महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु यह विशेष कार्यक्रम शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (ई.बी.बी.) जहॉ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 46.13 प्रतिशत से कम है, तथा राष्ट्रीय महिला–पुरूष साक्षरता दर में अंतर, राष्ट्रीय महिला–पुरूष साक्षरता दर में अंतर 21.7 प्रतिशत से अधिक है । इसके अतिरिक्त जहां अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा वहॉ महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है एवं शहरी गन्दी बस्ती क्षेत्र में संचालित है।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के 74 (ई.बी.बी.) विकासखण्डों में संचालित है इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 3री से 8वीं तक की 4.30 लाख बालिकाओं को वर्ष 2009–10 में गणवेश प्रदाय किया जा रहा है जो अन्य कार्यक्रमों के तहत दिये जा रहे गणवेश के अतिरिक्त है ।

स्वास्थ्य सेवायें

राज्य में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सा संस्थाओं को छोड़कर मुख्य रूप से 17 जिला चिकित्सालय, 144 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 715 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 शहरी सिविल अस्पताल, 10 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 4776 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी जिला चिकित्सालय में स्थापित क्षय रोग केन्द्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, सामानान्तर रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के अन्तर्गत एक महाविद्यालय, 06 जिला आयुर्वेदिक हास्पिटल एक फार्मेसी, 691 आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है । प्रदेश 29 सिविल डिस्पेंसरी साथ ही साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एच.एफ डब्लू.टी.सी) अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र 14, जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर 04, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल 13 एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल 03 संचालित हैं । राज्य में लेप्रोसी नियंत्रण रोग इकाई हेड क्वार्टर में 100 विस्तर लेप्रोसी होम तथा रायपुर में एक पाली क्लीनिक में 10 बिस्तर हास्पिटल संचालित है ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :–

वर्ष 2002 से विजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008–09 के लिए 1.00 लाख मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर 2009 तक प्रदेश में कुल 87040 मोतियाबिंद आपरेशन किए गए है जो लक्ष्य 87 प्रतिशत है एवं 556805 छात्रों का नेत्र परीक्षण कर 8657 छात्रों को निःशुल्क चश्में वितरित किए गए । वर्ष 2009–10 में 1.00 लाख नेत्र आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत माह अक्टूबर 2009 तक 29968 आपरेशन पूरे किए गये । अभी तक 563559 छात्रों का नेत्र परीक्षण किया गया एवं 3015 चश्मा वितरण आवश्यकतानुसार प्रदाय की गई । वर्ष 2008–09 में 117 नेत्र प्राप्त हुए जिसमें से 115 नेत्र प्रत्यारोपित किए गए हैं । वर्ष 2009–10 में 94 नेत्र प्राप्त हुए जिसमें 90 नेत्र का प्रत्यारोपण किए गए । वर्ष 2008–09 में 503.00 लाख दृष्टिहीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किए गए एवं वर्ष 2009–10 में माह अक्टूबर 2009 तक 11.00 लाख व्यय किए जा चुके हैं ।

बिलासपुर जिला चिकित्सालय में नेत्र बैंक की स्थापना हेतु 10.00 लाख रू. का आंबटन किया गया है एवं मेडिकल कालेज रायपुर में आर.आई.ओ स्थापित करने हेतु तथा 23 विजन सेन्टर की स्थापना हेतु 90.00 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया है ।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. एवं एम.सी. की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	डीटीसी	टी.यू	एम.सी	प्रोज. जनसंख्या
1	रायपुर	1	7	36	3477132
2	दुर्ग	1	6	31	2327602
3	राजनांदगांव	1	3	14	1481211
4	बिलासपुर	1	5	24	2303082
5	धमतरी	1	2	9	813017
6	कांकेर	1	3	13	752655
7	रायगढ़	1	3	17	1461882
8	कबीरधाम	1	2	8	675619
9	जांजगीर–चांपा	1	3	12	1520880
10	महासमुन्द	1	2	11	993986
11	कोरबा	1	4	13	1169568
12	जशपुर	1	3	16	854861
13	जगदलपुर	1	5	24	1504833
14	कोरिया	1	3	13	676529
15	दन्तेवाड़ा	1	3	14	830924
16	सरगुजा	1	8	41	2277219
	योग	**16**	**62**	**296**	**24031000**

RNTCP संचालित सभी जिलों में 1 जनवरी सितम्बर 2009 में 26626 नये संदेहास्पद क्षय रोगियों की जांच की गई जिसमें 3239 धनात्मक क्षय रोगी पाये गये जिसमें से डाट्स के अन्तर्गत 2828 धनात्मक सहित 6837 क्षय रोगी निःशुल्क उपचाररत है । राज्य का धनात्मक क्षय रोगियों का उपचार दर 82 प्रतिशत, सफलता दर 88 प्रतिशत एवं नये खोजे गये रोगियों का वार्षिक दर 53 प्रतिशत तथा नये खखार धनात्मक रोगियों वार्षिक दर 56 प्रतिशत है ।

विवरण	1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक	1 अप्रैल 2009 से सितम्बर 2009 तक
खखार मरीजों की संख्या	108301	51950
खखार की जांच की धनात्मक मरीजों की संख्या	12622	6755
स्पूटम निगेटिव की संख्या	10903	5188
एक्स्ट्रा पल्मोनरी की संख्या	3293	1803
माह के अन्त में उपचार रत कुल क्षय रोगी	27304	13911
इलाज प्रारंभ होने के पश्चात तीन माह में स्पूटम निगेटिव हुए मरीजों की संख्या	9274	4764
इलाज के पश्चात रोग मुक्त हुए नये स्पूटम मरीज की संख्या	10510	5396
रोग मुक्ति दर	83 प्रतिशत	81 प्रतिशत
सफलता दर	87 प्रतिशत	87 प्रतिशत

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाये ।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश की कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो कि माह सितम्बर 2009 में 2.63 प्रति दस हजार है । वर्तमान में नवम्बर 2009 तक उपचाररत रोगी संख्या 6241 है जिन्हे नियमित बहुऔषधी उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है । वे विकास खण्ड जिसका प्रभाव दर दो या दो से अधिक था वहॉ परामर्श वं सघन प्रचार प्रसार द्वारा कुष्ठ संबंधी जानकारी देकर स्व–प्रेरणा से जांचकेन्द्र में आने हेतु अभियान चलाया जा रहा है ।

विवरण	31 मार्च की स्थिति में						सितम्बर 2009
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	15385	13110	9040	6052	7784	5453	4486
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	17949	18034	12519	7249	6215	8016	3701
डपचाररत मरीजों की संख्या	12918	7994	4515	3322	5465	7984	6241

परिवार कल्याण कार्यक्रम : परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करना है । इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति में मुख्य रूप से वर्ष 2010 तक प्रदेश में जन्म दर का स्तर 21 प्रति हजार जनंसख्या जो वर्तमान 26.5 प्रति हजार है तथा शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार है । जीवित जन्म तक लाये जाने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं शिशु स्वास्थ्य संबर्धन कार्यक्रमों का पालन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है इसके अतिरिक्त सकल प्रजनन दर में अपेक्षाकृत कमी लाते हुए इसे 2.1 पर लाना है । गर्भ निरोघक साधनों के माध्यम से लक्ष्य दम्पति संरक्षण दर 65 प्रतिशत तक लाना है । वर्ष 2008–09 में यह दर राज्य स्तरीय माध्यमों से 64.85 प्रतिशत रही । जिसमें स्थायी गभनिरोधक साधनों से लक्ष्य दंपति संरक्षण दर 43.54 प्रतिशत रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वैच्छिक आधार पर तथा समुदाय की आवश्यकतानुसार स्थायी तरीके के रूप में नसबंदी तथा अस्थायी अन्तराल विधि के रूप में लूप निवेशन निरोध एवं ओरल पिल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है । परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुखी बनाने के लिए पुरूष तथा महिला नसबंदी आपरेशन स्वीकार कर्ता को प्रदाय की जाने वाली छतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में नसबंदी 147166 व्यक्तियों द्वारा कराई गई जोकि लक्ष्य का 78.33 प्रतिशत है । इसी तरह लूप निवेशन 115238 द्वारा अपनाई गई जोकि लक्ष्य का 99.79 प्रतिशत है । निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या 305651 रही जोकि लक्ष्य का 81.22 प्रतिशत है । इसी तरह ओरल पिल्स उपयोगकर्ता 218465 रही जोकि लक्ष्य का 84.49 प्रतिशत है । वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर तक नसबंदी स्वीकारकर्ता की संख्या 79458 है (40.81 प्रतिशत), लूप निवेशन 78402 (64.49 प्रतिशत), निरोध उपयोगकर्ता 233958 (62.17 प्रतिशत) एवं ओरल पिल्स उपयोगकर्ता 178100 (68.88 प्रतिशत) है ।

मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम :–

मातृ एवं शिशु कल्याण के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय टीकाकरण अन्तर्गत टी.टी.के 634727 टीके दिये गये जोकि लक्ष्य का 89.59 प्रतिशत है । इसी तरह डी.पी.टी. पोलियों एवं मीजल्स के ड्राप/इन्जेक्शन 5 साल तक के बच्चों को लगाये गये । जिसमें डी.पी.टी 556264 (83.37%) पेालियो 570285 (88.54%) बीसीजी 596144 (92.56%) एवं मीजल्स 571890 (88.79%) प्रतिशत टीके/ड्राप दिये गये ।

वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 2009 तक टी.टी.के 450476 टीके दिये गये जोकि लक्ष्य का 63.56 प्रतिशत है । इसी तरह डी.पी.टी. पोलियों एवं मीजल्स के ड्राप/इन्जेक्शन 5 साल तक के बच्चों को लगाये गये । जिसमें डी.पी.टी 423338 (65.70%) पेालियो 422646 (65.60%) बीसीजी 438359 (68.04%) एवं मीजल्स 421134 (65.36%) प्रतिशत टीके/ड्राप दिये गये ।

शिशु स्वाास्थ्य एवं मातृ स्वास्थ्य :–

वर्ष 2008–09 में शिशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु 606328 (91.47 प्रतिशत) शिशुओं को विटामिन ए के खुराक दिये गये एवं मातृ स्वास्थ्य के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को 03 ए.एन.सी. चेकअप 545121 (83.38 प्रतिशत) आई.एफ.ए. टेबलेट का वितरण 551150 (77.50 प्रतिशत) संस्थागत प्रसव 175859 (31.71 प्रतिशत) एवं निरीक्षित प्रसव 537140 (94.71 प्रतिशत) हुए । वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर तक शिशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु 635003 (86.87 प्रतिशत) शिशुओं को विटामिन ए के खुराक दिये गये एवं मातृ स्वास्थ्य के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को 3 ए.एन.सी. चेकअप 393658 (55.54 प्रतिशत) आई.एफ.ए. टेबलेट का वितरण 482959 (68.14 प्रतिशत) संस्थागत प्रसव 162211 (34.49 प्रतिशत) एवं निरीक्षित प्रसव 403452 (95.73 प्रतिशत) हुए ।

पल्स पोलियों अभियान : राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियों अभियान की सफलता का अन्दाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विगत 03 वर्षो में एक भी धनात्मक प्रकरण प्रदेश में दर्ज नहीं हुआ है । पल्स पोलियों अभियान अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में प्रथम चरण 06 जनवरी 2008 में 3515702 (99.88%) बच्चों को दवा पिलाई गयी है । द्वितीय चरण 10 फरवरी 2008 को 3525020 (100.00%) बच्चों को दवा पिलाई गई । वर्ष 2008–09 में माह फरवरी 2009 में 3531938(98.63%) बच्चों को दवा पिलाई गई ।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य मलेरिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है । अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथ. स्वा. केन्द्रो में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है ।

राज्य में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008 में 3227877 स्लाइड (रक्त पट्टी) का मलेरिया हेतु परीक्षण का लक्ष्य था जिसमें उपलब्धियॉ 3227877 स्लाइड की रही । इस परीक्षण में 147814 पॉजिटिव पाई गयी जिसमें से 115773 पैल्सीफैरम मलेरिया पाए गए । सिलेक्टिव वेक्टर कन्ट्रोल के अन्तर्गत कीटनाशक दवा का छिड़काव जैविक

नियंत्रण व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है । दवा छिड़काव के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में डीडीटी एवं कांकेर, दन्तेवाड़ा एवं जगदलपुर में सिन्थेटिक पायरेथ्राइड का छिड़काव किया जाता है ।

संजीवनी कोष : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों के गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु संजीवनी कोष की स्थापना की गई है जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बिमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु 25000 रूपये से 1.5 लाख की सहायता मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है । वर्ष 2008–09 में ऐसे 394 व्यक्तियों को 2.61 करोड़ की राशि दी गई । जिसके अन्तर्गत 360 हृदय रोग 59 कैंसर रोग एवं 47 अन्य अन्य मरीज शामिल है । वर्ष 2009–10 में अब तक 128 व्यक्तियों को 1.45 करोड़ की राशि ईलाज हेतु दी गई जिसके अन्तर्गत 99 हृदय रोगी 10 कैंसर रोगी एवं 19 अन्य मरीज शामिल है ।

राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम : मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में जोनल ब्लड टेस्टिंग सेन्टर मेजर ब्लड बैंक कार्यरत हैं, राज्य के सभी 16 जिलों एवं 32 सामुदायिक केन्द्रों में कुल 100 आई.सी.टी.सी (समेकित परामर्श केन्द्र) स्थापित हैं एवं 48 नये केन्द्रो को अतिशीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है । राज्य में 16 ब्लड बैंक हैं एवं राज्य के सभी जिले में एस.टी.डी. क्लीनिक कार्यरत है जहॉ यौन रोगों के जांच के लिए महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सुविधा उपलब्ध है । वर्तमान में राज्य में 32 सेटीनल सर्वेलेंस साइटस कार्यरत हैं । वर्ष 2007–08 में 03 नये ब्लड बैंक प्रारंभ किए गए हैं । और नये स्वेच्छिक परामर्श जॉच केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो गया है । अब तक 48 आई.सी.टी.सी. एवं 33 एस.टी.डी. क्लिनिक एवं 04 सी.टी. सेंटर कार्यरत है ।

ब्लड बैंक के द्वारा रिपोर्ट की गई एचआईबी पाजिटिव/एड्स मरीजों की संख्या की संख्या 3137, वीसीटीसी/आईसीटीसी के द्वारा इन मरीजों की संख्या 4975 एवं पीपीटीसीटी के द्वारा 29 एचआईवी पाजिटिव पाये गये हैं । इस तरह पाजिटिव महिलाओं की संख्या 450 एवं पुरूषों की संख्या 730 तथा बच्चों की संख्या 110 है ।

एआरटी सेंटर में अब तक 2063 मरीजों का पंजीयन किया गया । जिसमें 706 महिलायें 1204 पुरूष एवं पंजीकृत बच्चों की संख्या 153 है जिसमें बालक 91 एवं बालिकाएं 62 पंजीकृत हैं । जानकारी ही बचाव है इस बावत रेल्वे रिजर्वेशन फार्म के पीछे, टोल प्लाजा बैंक, आकाशवाणी, दूरदर्शन प्रमुख शहरों के सुरक्षा चौराहे पर एवं कालेज स्तर पर

रेड रिबन क्लब के माध्यम से एचआईव्ही/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं । अब तक 29 ऐसे क्लब का गठन किया गया है जो कालेज स्तर पर युवाओं को नियंत्रण ही बचाव संबधी जानकारी जन सामान्य को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।

जिलेवार एचआईवी पाजिटिव :–

क्र.	जिला	एचआईवी पाजिटिव
1	रायपुर	2468
2	दुर्ग	580
3	राजनांदगांव	375
4	बिलासपुर	475
5	रायगढ़	103
6	सरगुजा	110
7	जगदपुर	227
8	कांकेर	55
9	कोरबा	134
10	महासमुन्द	189
11	धमतरी	62
12	कवर्धा	83
13	जांजगीर–चांपा	38
14	दन्तेवाड़ा	11
15	जशपुर	22
16	कोरिया	33
	योग	**4975**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय एवं स्वच्छता

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति :–

भारत भाासन के निर्देशानुसार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का सन् 2003 में पुनः सर्वेक्षण किया गया है। इसके अनुसार कुल 19744 ग्रामों के 72775 बसाहटें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित की गई है। माह सितम्बर 2009 तक कुल 72731 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। ग्रामीण पेय जल आपूर्ति कार्य को वर्ष 2009 से ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' नाम दिया गया है । सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए इस योजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पीने योग्य घरेलू उपयोग हेतु निश्चित गुणवत्ता का पानी पर्याप्त मात्रा में हर समय हर परिस्थिति में उपलब्ध रहना चाहिए । राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' अन्तर्गत निर्धारित वर्ष 2009–10 में निर्धारित लक्ष्य 14754 के विरूद्ध नवम्बर 2009 तक 5066 सफल नलकूप खनित किए जा चुके हैं ।

उक्त चिन्हित 72775 बसाहटों में 5021 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई जिनमें से 184 बसाहटों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष 4837 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था :–

राज्य में कुल 200861 स्थापित हैण्डपंपों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है, जो राष्ट्रीय मापदण्ड प्रति 250 व्यक्तियों की तुलना में लगभग 84 व्यक्तियों में एक हैण्डपंप स्थापित कर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जो कि राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ष के दौरान 5141 हैण्डपंप स्थापित किए गए ।

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था :–

भारत निर्माण योजना के अधीन चिन्हित समस्त 35320 शालाओं में पेयजल व्यवस्था का कार्य वर्ष 2008–09 तक पूर्ण किया जा चुका है। नई चिन्हित 2869 शालाओं में टंकी तथा नल से पानी उपलब्ध करा दिया गया है । 300 शालाओं में कार्य प्रगति पर है । माह नवम्बर 2009 तक नवीन 245 शालाओं मे पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है।

नलजल–योजना :–

नल–जल योजना का कियान्वयन केन्द्रीय गतिवर्धित कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। पच्चीस लाख रूपये से अधिक लागत की योजनाएं

बजट में स्कूटनाईज मद तथा 25 लाख रूपये से कम लागत की योजनाओं को विभागीय बजट के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2049 स्वीकृत नलजल प्रदाय योजनाओं में से 1344 योजनायें पूर्ण की जाकर संचालन–संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी है। 129 योजनायें आंशिक रूप से पूर्ण है, जिनसे ग्रामवासियों को पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 471 योजनाओं के कार्य प्रगति पर एवं 105 योजनाओं के कार्य प्रारंभिक प्रक्रिया पर है ।

स्पॉट सोर्स योजना :–

स्पॉटसोर्स योजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 2081 स्पॉट सोर्स योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 1591 योजनाओं को पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ है तथा संचालन–संधारण हेतु सम्बधित ग्राम पंचायतों को हस्तातरित की जा चुकी है तथा 278 स्पॉट सोर्स योजनाओं के कार्य प्रगति पर है एवं 212 कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं ।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण जिलो के लिए जनभागीदारी से क्रियान्वित की जाने वाली सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत गृह शौचालय के निर्माण हेतु लागत 2500 रू. बी.पी.एल. परिवारों को 2200 रूपये प्रति हितग्राही सहयोग राशि दिया जाना प्रस्तावित है। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की कुल संख्या 1553540 एवं गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों की कुल संख्या 1811886 है। सम्पूर्ण परियोजना की लागत 442.11 करोड़ रूपये है, जिसमें कुल निर्मित निजी शौचालयों की संख्या बी.पी.एल. 702745 एवं ए.पी.एल. 633683 है इस तरह कुल 1336428 शौंचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ।

कुल निर्मित स्कूल सेनेटरी काम्पलेक्सों की संख्या 44545 एवं आंगनबाड़ी स्वच्छता परिसर में 7648 काम्पलेक्स का निर्माण पूर्ण किया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु भारत शासन ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 1500 ग्रामपंचायतों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसका सत्यापन पश्चात पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जायेगा ।

शहरीय क्षेत्र :–

राज्य में कुल 162 शहर/नगर है। जिनका निकायों के गठन की दृष्टि से वर्गीकरण क्रमशः नगर पालिका निगम 10, नगर पालिका परिषद–28 एवं नगर पंचायत–124 है। नगरीय नलजल प्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

नगरों की श्रेणी	कुल	पूर्ण	प्रगतिरत योजनाएं	योजना बनाने का कार्य प्रगति पर
नगर निगम	10	2	6	2
नगर पालिका	28	8	13	7
नगर पंचायत	124	50	21	53
कुल योग	**162**	**60**	**40**	**62**

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाऊन (UIDSSMT) कार्यक्रम के अंतर्गत 3 नगरीय जल प्रदाय योजना क्रमशः बिलासपुर (4142.60 लाख) रायगढ़ (1524.50 लाख) तथा कोण्डागांव (451.00 लाख) एवं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (JNNWRM) कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर जलप्रदाय योजना लागत रू. 303.64 लाख की स्वीकृति हुई है। जिनके कार्य प्रगति पर है।

तकनीकी शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 38 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 15 पॉलिटेक्निक संस्थायें है । 38 इन्जीनियरिंग महाविद्यालय में 03 शासकीय 33 निजी एवं 02 स्वशासी स्ववित्तीय संस्थायें है । हाल में ही शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर को नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी का दर्जा प्राप्त हुआ है एवं वर्ष 2006–07 से एन.आई.टी.ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । राज्य में बी. ईं पाढ्यक्रम की कुल प्रवेश क्षमता एन.आई.टी के अलावा 11880 एवं पॉलिटेक्निक में 2830 हैं 09 निजी संस्थायें फार्मेसी विषय, 08 एम.बी.ए 01 आर्कीटेक्चर एवं 06 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में निजी संस्थायें पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं । इन महाविद्यालायें में 810 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है । इन महाविद्यालयों में इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, इलेक्ट्रानिक्स, टेली–कम्यूनिकेशन, बायोटेक, बायो मेडिकल, कम्प्यूटर साइंस, एवं परम्परागत पाठ्यक्रम– सिव्हिल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कैमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम– इनर्जी, वाटर रिसोर्स एवं कम्प्यूटर टेक्नालाजी के कोर्स संचालित है ।

वर्ष 2006–07 में यू.टी.आई. पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर का अधिग्रहण कर नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है । 300 प्रवेश क्षमता वाले इस महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर साईंस, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित है । वर्ष 2007–08 में सिविल इंजीनियरिंग का नया पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है । साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में एक

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यलाय 02 पालिटेक्निक एवं कन्या पालिटेक्निक क्रमशः अंबिकापुर कोरबा एवं जगदलपुर में स्थित है ।

सत्र 2009–10 में राज्य शासन ने रायपुर जिले के गरियाबंद तहसील में तथा नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर एवं रायपुर में सह–शिक्षा पालिटेक्निक की स्थापना हेतु 12.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । साथ ही बिलासपुर में एक कन्या पालिटेक्निक की स्थापना की गई है जिसकी क्षमता 135 है ।

केन्द्र शासन द्वारा नये पालिटेक्निक भवन/उपकरण हेतु 12.00 करोड़ रू. प्रति कालेज स्वीकृति दी है एवं 03 जिले में 9.5 करोड़ रू. की राशि वर्ष 2008–09 से जारी है ।

राज्य शासन ने सत्र 2008–09 में बी.पी.एल. छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत 10.00 लाख रू. का प्रावधान के विरूद्ध 21 छात्र छात्रायें लाभान्वित हुई हैं । प्रवेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की फीस फ्री स्कीम के तहत मेरिट आधार पर महिला विकलॉग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र–छात्राओं को ट्यूशन फीस मॉफ की जाती है । यह लाभ कुल क्षमता की 10 प्रतिशत सीटों पर उपलब्ध है ।

उच्च शिक्षा

1. छत्तीसगढ़ राज्य के 159 शासकीय 203 अशासकीय अनुदान रहित एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में लगभग 95903 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 18945 सामान्य छात्र 13831 अनुसूचित जाति तथा 21120 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 41957 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं ।

2. 12 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता मूलक संस्थान घोषित किया गया है । इसी प्रकार 8 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है । तथा दो महिला महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है ।

3. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को विज्ञान संस्थान के रूप में उन्नत किया जा रहा है एवं 17 शासकीय महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं ।

4. 21 महाविद्यालयों में अंग्रजी लेब की स्थापना की गई । राज्य के 4 महाविद्यालयों में ई–क्लास रूम योजना चिप्स के माध्यम से प्रारंभ की गई है जिसके अन्तर्गत आई.आई.टी कानपुर के शिक्षा विदों द्वारा महाविद्यालय कैम्पस में उच्च स्तरीय अध्यापन उपलब्ध कराया जा रहा है । दो नये ई–क्लासरूम प्रारंभ करने हेतु शासन की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

5. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अकादमिक स्टाफ कालेज का भवन निर्माण अन्तर्गत 10.00 करोड़ रू. के विरूद्ध 8.37 करोड़ रू. व्यय किया गया है । इसी तरह बस्तर में विश्वविद्यालय कैम्पस का निर्माण एवं गुरूघासीदास कैम्पस भवन का निर्माण प्रस्तावित है । जिसमें साहित्यिक गतिविधियों शोध पुरातत्व एवं संस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ साहित्यक अकादमी की स्थापना की गई है ।

6. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 34832 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय किया गया है जिस पर 1.10 करोड़ रू. व्यय किए गए ।

7. समस्त शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. का प्रशिक्षण एवं 150 प्रतिभावान छात्र/छात्राओं का चयन कर यू.पी.एस.एसी एवं पी.एस.सी परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है ।

8. वर्ष 2008–08 में 2 नये विश्वविद्यालय जगदलपुर एवं अंबिकापुर में खोले गये है एवं 5 नये शासकीय महाविद्यालय वर्ष 2009–10 में स्थापित किए गए ।

9. बिलासपुर जिले के ग्राम कोटा एवं रायपुर जिले के ग्राम गुल्लु में 02 नवीन विश्व विद्यालय की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई है ।

10. बी.पी.एल. छात्र योजनान्तर्गत 4749 विद्यार्थियों को 1.65 करोड़ रू. की छात्रवृत्ति दी गई है ।

समाज सेवा

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है । निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों के देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है ।

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 200 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है । गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है । पेंशन की पात्रता केवल

राज्य के निवासियों के लिये ही है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–2009 में 12589.48 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 844139 हितग्राही लाभान्वित हुए । वर्ष 2009–10 में 6639.68 रूपये व्यय कर 757307 हितग्राहियों को आर्थिक सुरक्षा पेंशन दी गई ।

1.2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य शासन द्वारा जुलाई, 1996 से संचालित भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राज्य द्वारा क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एकीकरण किया जाकर युक्तियुक्तकरण किया गया है । फलस्वरूप, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 300 रूपये प्रति माह एकमुश्त पेंशन दी जा रही है । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–2009 में 11832.72 लाख रूपये व्यय कर 505120 हितग्राहियों को भुगतान किया गया । वर्ष 2009–2010 में माह सितंबर तक 6485.76 लाख रूपये व्यय कर 500667 हितग्राहियों को जीवन यापन हेतु वृद्धावस्था पेंशन दी गई ।

1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 10,000 रू. दिये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है । इस योजनान्र्तगत वर्ष 2008–2009 में 10343 हितग्राहियों को 1034.30 लाख की सहायता प्रदान की गई है । वर्ष 2009–2010 में 4070 हितग्राहियों को 407.00 लाख रूपये की सहायता दी गई ।

1.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–50 वर्ष तक की विधवा/परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को 200 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है । वर्ष 2008–2009 में 202363 हितग्राहियों को राशि रू. 4533.82 लाख रूपये का भुगतान किया गया है । वर्ष 2009–2010 में 204911 हितग्राहियों को 2464.64 लाख रूपये की सहायता दी गई ।

1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है । इस योजना में 40 से 64 वर्ष आयु वर्ग की विधवाएं लाभान्वित होंगे । इस योजनान्तर्गत रू. 3840.00 लाख रू. (रूपये अड़तीस करोड़ चालीस लाख) जिलों को आबंटन दिया गया है, इससे 160000 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।

1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन येाजना :–यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है । इस योजना में 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को

लाभान्वित किया जाना है । इस योजनान्तर्गत रू. 528.00 लाख (रूपये पांच करोड़ अट्ठाईस लाख) जिलों को आबंटन दिया गया है, इस योजना के अन्तर्गत 22000 हितग्राही लाभान्वित किये गए हैं ।

1.7 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :–

निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं । शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं । मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, व बिलासपुर में विद्यालय संचालित हैं । इन स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 में राशि रू. 120.61 लाख रूपये अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसमें 1778 मंद वुद्धि बच्चे लाभान्वित हुए । वर्ष 2009–2010 में 1679 मंदबुद्धि विकलांग बच्चों के लिए 71.26 लाख रूपये व्यय किये गये ।

2. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– वित्तीय वर्ष 2008–2009 में इस मद में राशि रू. 93.25 लाख रूपये की छात्रवृत्ति 14290 निःशक्त हितग्राहियों को वितरित की गई । छात्रवृत्ति हेतु निःछात्र/छात्राओं के अभिभावकों की आय सीमा 8000 प्रतिमाह एवं 40 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों की निःशक्तता आवश्यक है । वर्ष 2009–2010 में 3599 बच्चों को 9.63 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है ।

3. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को ट्रायसिकल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बेंत की छड़ी आदि उपलब्ध कराये जाते हैं । इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक साथ ही रू. 5000 से अधिक एवं रू. 8000 तक आय सीमा होने पर संबधित हितग्राही को भारत सरकार की सहायक यंत्र उपकरणो की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग की सहायता योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि की पूर्ति की जाती है । वर्ष 2008–09 में रू. 260.44 लाख रूपये की राशि राज्य मद से व्यय कर 8496 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण प्रदाय किए गए । वर्ष 2009–2010 में माह नवम्बर तक 610 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण खरीदी हेतु 57.04 लाख रूपये व्यय किये गये ।

4. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वालंबी बनाने के उद्देश्य से 21000 रूपये प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है । विवाह योग्य 18 से 45 आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 आयु के पुरूष जिसमें से एक अथवा दोनों व्यक्तियों को निःशक्त हो योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का प्रावधान है । वर्ष 2008–09 में 416 जोड़े को 87.36 लाख रूपये एवं वर्ष 2009–10 में 261 विवाहित दंपत्ति को 54.81 लाख रूपये की सहायता दी गई ।

5. समाज रक्षा कार्यक्रम : किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरूद्ध बच्चों हेतु राज्य के 16 जिलों में किशोरों के संरक्षण, भरण–पोषण, चिकित्सीय देख–रेख एवं पुनर्वास की व्यवस्था हेतु संस्थाएं संचालित है । जिसमें अवरूद्ध बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी गई है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना पर रू.145.77 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 1931 हितग्राहियों को पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करायी गई । वर्ष 2009–10 में नवम्बर 2009 तक 139.17 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 1232 किशोरों को लाभान्वित किया गया है ।

6. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम** :– प्रदेश के निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों को सहायता अधिनियम 1970 अन्तर्गत अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को वृद्धा आश्रम संचालन करने हेतु जिले में संग्रहित निराश्रित निधि की व्याज राशि से पात्रतानुसार 90 प्रतिशत राशि प्रदाय की जाती है । वृद्ध जनों के लिए देखभाल केन्द्र सचल चिकित्सा यूनिट सहित विभागीय मान्यता प्राप्त प्रदेश में 12 वृद्धाश्रम संचालित है । जहॉ 365 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है । वर्ष 2008–09 में केन्द्रीय अनुदान 4.21 लाख रूपये वृद्धाश्रम को दिये गये है ।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

(1) शालेय शिक्षा :– राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही है । विभाग द्वारा 16941 प्राथमिक शालाएँ 6202 माध्यमिक शालाएँ 439 हाई स्कूल 622 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 5 आदर्श उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय 5 कन्या शिक्षा परिसर 8 एकलव्य आवासीय विद्यालय 1 गुरूकुल विद्यालय एवं 13 खेल परिसर संचालित है ।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है ।वर्ष 2008–09 में 413117 अनुसूचित जाति

के विद्यार्थियों को 838.00 लाख रूपये की छात्रवृत्तियाँ एवं अनुसूचित जनजाति 828109 विद्यार्थियों को 603.91 लाख की छात्रवृत्तियाँ दी गई तथा पिछड़ा वर्ग के 818563 विद्यार्थियों को 850.00 लाख रूपये की छात्रवृत्तियॉ दी गई है ।

वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 191673 अनुसूचित जाति, 263920 जनजाति एवं 311739 अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को क्रमशः 393.00, 732.50 एवं 519.83 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई ।

(3) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11 वी एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 2008–09 में क्रमशः 28.77, 47.00 एवं 1390.00 लाख राशि की छात्रवृत्ति दी गई जिसमें अनुसूचित जाति के 51304, अनुसूचित जनजाति के 69163 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 94651 छात्र/छात्राऍ लाभान्वित हुए ।

वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के 35509 विद्यार्थियों को 1077.00 लाख राशि की छात्रवृत्ति दी गई ।

(4) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके अलावा सहाता अनुदान भी दिया जाता है । वर्ष 2008–09 में 18509 छात्र–छात्राओं को 194.48 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई । वर्ष 2009–10 में सितम्बर तक 3305 छात्र–छात्राओं को माह सितंबर तक 150.00 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई ।

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1757 छात्रावास संचालित है । प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है । वर्ष 2008–09 में इन वर्गों के क्रमशः 11807,50366 विद्यार्थियों को 930.48, 2932.12 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई । वर्ष 2009–10 में माह सितंबर, 2009 तक 11132 अनुसूचित जाति एवं 45868 जनजाति के विद्यार्थियों को क्रमशः 527.46 एवं 1289.05 लाख रूपये सितंबर तक की छात्रवृत्ति दी गई है ।

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनॉंचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है जिसमें प्राथमिक स्तर के 945 एव माध्यमिक स्तर के 193 आश्रम शालाएँ संचालित है। इन आश्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं को वर्ष 2008–09 में क्रमशः 249.18, 4415.72 लाख रूपये

छात्रवृत्तियाँ दी गई जिसमें 2466 एवं 68493 छात्र–छात्राएँ लाभान्वित हुई है । वर्ष 2009–10 में उपरोक्त छात्र/छात्राओं को माह सितंबर, 2009 तक 104.28 एवं 2496.74 लाख रूपये की उपरोक्त छात्रवृत्तियॉ दी गई है।

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में 42339 अनु.जाति एवं 384974 छात्र–छात्राओं को गणवेश वितरण किये गये । वर्ष 2009–10 में 40000 अनु.जाति एवं 362000 छात्र–छात्राओं को गणवेश हेतु जारी की गई है ।

(8) निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमी एवं दसवी में अध्ययनरत छात्राओं विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दिये गये है । वर्ष 2008–09 में 2573 अनुसूचित जाति एवं 19172 अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7970 तथा विशेष पिछड़ी जाति के 145 छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय किये गये है जिस पर कुल 675.35 लाख रूपये व्यय किये गये है । वर्ष 2009–10 में कुल 26000 सायकल अनु.जाति, जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जाति को सायकल प्रदाय करने हेतु 350.50 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है ।

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है । वर्ष 2008–09 में 25216 अनुसूचित जाति की कन्याओं को 157.68 लाख एवं अनुसूचित जनजाति की 6160 कन्याओं को 30.81 लाख रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई ।

(10) अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई वर्ष 2008–09 में ऐसे 756 परिवारों को 122.10 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है । वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 305 परिवार को 47.03 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(11) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में बैठने वाले छात्र–छात्राओं की परीक्षा प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है वर्ष 2008–09 में 430 अनुसूचित जाति एवं 5273 अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को क्रमशः 17.00 एवं 37.00 लाख रूपये की राशि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई है ।

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से बारह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है वर्ष 2008–09 में 16.87 लाख बच्चों को गर्म भोजन प्रदाय किया गया वर्ष 2009–10 में 16.86 लाख रूपये बच्चों को दोपहर गर्म भोजन दिया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में 8364.10 लाख रूपये एवं वर्ष 2009–10 में माह सितंबर 2009 तक 1414.52 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 8 संस्थाओं को 937.68 लाख रूपये एवं वर्ष 2009–10 में सितंबर 2009 तक इन्हीं संस्थाओं को 107.86 लाख का अनुदान दिया गया था ।

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियाँ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है । जिनके द्वारा 249 अधोसंरचना के कार्य, सामुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए गए, योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 548.72 लाख रूपये की लागत से 249 कार्य संपन्न किये गये ।

(15) अनुसूचित जाति विकास :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है । वर्ष 2008–09 में 1123 कार्य हेतु 3311.31 लाख रूपये का व्यय किए गए । वर्ष 20098–10 में 178 नये कार्य हेतु 607.084 लाख रूपये माह सितंबर, 2009 तक व्यय किये गये है ।

(16) एकीकृत आदिवासी परियोजनाएँ :– आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एकीकृत विकास योजना, माडा पॉकेट एवं लघु अंचलों का गठन किया गया है । राज्य में 19 परियोजनाए एवं 9 माडा पॉकेट एवं 2 लघु अंचल संचालित है । परियोजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

विवरण	वर्ष/वर्ग	उपलब्धि	व्यय
परियोजना	2008–09	1146	6573.02
माडापाकेट	2008–09	13	484.48
लघु अंचल	2008–09	18	47.82

(17) आदिवासी विकास अभिकरण :– बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र के अंचलों में त्वरित तथा सर्वांगिण विकास हेतु आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है जिसमें समस्त सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, समाज सेवी संस्थाओं मुख्य सचिव, सचिव एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को शामिल किया गया है । वर्ष 2008–09 में 1002 नवीन कार्य हेतु 3541.39 लाख रूपये एवं बस्तर हेतु एवं 830 नये कार्य हेतु सरगुजा विकास प्राधिकरण द्वारा 3118.55 लाख रूपये व्यय किये गये है । वर्ष 2009–10 में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र हेतु माह सितम्बर 2009 तक 59 कार्य हेतु 316. 10 एवं सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र के 92 कार्य हेतु 583.35 लाख रू. स्वीकृत किए गए ।

(18) ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र/छात्राओं को जो दसवी एवं बारहवी बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है । प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु क्रमशः 67.20 एवं 29.80 लाख रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है । यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है ।

(19) स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु छात्र/छात्राओं के लिये 44.76 लाख रूपये की राशि छात्रावास में निवासरत 11658 छात्रों/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण/उपचार हेतु व्यय किये गये है ।

(20) वाहन चालक प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से योजना लागू की गई है जिसमें इन वर्गों के 128 युवाओं को 20.36 लाख रूपये तक व्यय करने हेतु जिला स्तर पर आबंटित की गई है । वर्ष 2009–10 में 268 आदिवासी एवं अनु.जाति के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(21) एअर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना :– वर्ष 2008–09 में 36 अनुसूचित जाति/जनजाति के युवतियों को एअर हॉस्टेस प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इसी तरह वायुयान पायलेट प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक वर्ग से तीन–तीन व्यक्तियों का चयन कर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में इस योजना पर 34.00 लाख रूपये व्यय किये गये है । वर्ष 2009–10 में 40 आदिवासी एवं अनु.जाति को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है ।

महिला एवं बाल विकास

आई.सी.डी.एस सेवा योजना :– योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती है । 1. पूरक पोषण आहार 2. स्कूल पूर्व शिक्षा 3. टीकारण 4. स्वास्थ्य जांच 5. संदर्भ सेवा एवं स्वास्थ्य/पोषण शिक्षा । उपरोक्त सेवायें हेतु आदिवासी, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में 150 से 300 की जनंसख्या में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 300 से अधिक जनसंख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 150 से 400 की जनसंख्या पर मिनी आंगवाड़ी केन्द्र एवं 400 से अधिक की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया है । 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में कुपोषण अत्यधिक शिशु एव मातृ मृत्यु दर जैसी गम्भीर समस्या रही है । भारत सरकार ने प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य बच्चों को सम्पूर्ण विकास कुपोषण शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु एवं शाला त्यागने की प्रवृत्ति का कम करना । स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से बच्चों की उचित देख भाल हेतु माताओं की क्षमता का विकास करना तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है । वर्ष 2007–08 में 05 नवीन परियोजनाओं सहित कुल 34937 आंगनवाड़ी एवं 2319 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है जिसके माध्यम से जहॉ 0 से 03 आयु वर्ग के 11.06 लाख, 3–6 आयु वर्ग के 8.07 लाख बच्चे तथा 4.80 लाख गर्भवती व धातृ महिलाओं दर्ज कर लाभान्वित किया जा रहा है ।

एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से शिशु मृत्यु दर की संख्या में निम्नानुसार परिवर्तन दर्ज किया गया है :–

देश/प्रदेश	वर्ष 2000 कुल	वर्ष 2008 कुल	वर्ष2008 ग्रामीण	वर्ष 2008 शहरी
भारत	68	53	58	36
छत्तीसगढ़	79	57	59	48
मध्यप्रदेश	87	70	75	48

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत कुल 163 बाल विकास परियोजनाएं हैं । इनमें से 50 (ग्रामीण) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था, 06 (शहरी) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था पोषण आहार कार्यक्रम संचालित है, शेष 96 (ग्रामीण) परियेाजनाएं केयर पोषित है । इनमें भारत शासन स्तर पर गठित जी.ई.ए.सी. कमेटी का क्लियरेंस प्राप्त न होने से केयर खाद्यान्न प्रदाय में उत्पन्न व्यवधान के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भारत शासन के निर्देशों के आधार पर राज्य शासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाकर खाद्यान की स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि हितग्राही बच्चे एवं महिलाएं पोषण आहार कार्यक्रम से वंचित न रहने पायें । वर्तमान में 146 (ग्रामीण) बालविकास परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दलिया तथा 6 शहरी परियोजनाओं एवं 2 विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडी टू ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । योजनान्तर्गत 163 बालविकास परियोजनाये है जिसमें 34935 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं । इसके अतिरिक्त भारत शासन द्वारा 2319 अतिरिक्त बालवाड़ी केन्द्र तथा 05 शहरी बाल विकास परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है । वर्तमान में लगभग 6 माह से 6 वर्ष के आयु तक के 19.13 लाख 0–6 आयु वर्ग के बच्चों तथा 5.12 लाख गर्भवती–शिशुवती माताओं तथा 4.68 किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में पोषण आहार कार्यक्रम पर कुल 187.17 करोड़ रू. तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह सितम्बर 2009 तक 68.15 करोड़ रू. व्यय किया गया है ।

किशोरी बालिकाओं से संबधित नेशनल न्यूट्रीशन मिशन योजना :– इस योजना अन्तर्गत भारत शासन द्वारा सरगुजा जिले का चयन किया गया है । योजनान्तर्गत 11 से 15 वर्ष की 30 किलोग्राम से कम किशोरी बालिका तथा 15 से 19 वर्ष की 35 किलोग्राम से कम बजन की किशोरी बालिका को 6 किलोग्राम बी.पी.एल. दर का चावल दिये जाने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना हेतु 376.36 लाख रू. की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है योजनान्तर्गत हितग्राहियों की संख्या लगभग 94000 है ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

महिलाओं को ऋण/आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाओं का संवर्धन, पोषण और उनमें सहायता देना सम्मिलित है । वर्तमान में महिला कोष द्वारा 13500 महिला एवं स्व–सहायता समूहों को रू. 37025 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध

कराये गये । कोष द्वारा जारी ऋण वितरण नीति के अनुसार प्रत्येक समूह को प्रथम क्रम 20000/– रू. तक का ऋण तथा सफलता पूर्वक भुगतान पश्चात 50000 रू. तक एक मुश्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है । जोकि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में प्रभावशील है । प्रदत्त ऋण पर स्व–सहायता समूह से 5.5 प्रतिशत एवं अशासकीय समिति से 6.50 प्रतिशत ब्याज गणना का प्रावधान है । प्रदायित ऋण के विरूद्ध वसूली लगभग 78.22 प्रतिशत है । वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भौतिक लक्ष्य 3250 स्व–सहायता समूह एवं 370.25 लाख रू. का ऋण स्वीकृत किए गए । वर्ष 2009–10 से महिला कोष द्वारा सक्षम तथा स्वाबलंबन योजनान्तर्गत 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु 1.00 लाख रू. तक ऋण 6.5 प्रतिशत ब्याज दर तथा 5000 रू तक का प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा ।

किशोरी शक्ति योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में समस्त 158 बाल विकास परियोजनाओं में इस योजना को लागू किया गया इससे 47400 किशोरी बालिकाओं को को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया । सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ स्व–सहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवो में बाल विकास के नारे लेखन, कुपोषित बच्चों की देखभाल इत्यादि कार्य भी योजनान्तर्गत किए गये । वर्ष 2008–09 में 158 एकीकृत बाल विकास परियोजना में शाला त्यागी 11 से 18 वर्ष आयु की 47400 बालिकाओं को तथा वर्ष 2009–10 में 163 परियोजनाओं में 48900 किशोरी बालिकाओं को चयन कर स्वास्थ्य एवं पोषण से संबधित व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा । जिन्हे स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आई.एफ.ए. टेबलेट सिकलसेल एनीमिया परीक्षण एवं क्रिमीनाशक टेबलेट दी जायेगी । साथ ही इन्हे आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं से संबंद्ध किया जायेगा ।

आयुष्मति योजना : (राजीव जीवन रेखा योजना में समाहित)

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । जिसके अन्तर्गत जिला/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड चिकित्सालयों में रोगी महिलाओं को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भरती रहने पर 400 रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 1000 रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज दवाइयॉ टानिक एवं पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया

जाता है । यह अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के अतिरिक्त है । रोगी महिला के साथ आए परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में अक्टूबर 2009 तक 9394 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा 20.00 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बाल संरक्षण गृह : संस्था में 18 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ्य बच्चों को आवास शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में स्थित पांच बाल संरक्षण गृह संचालित है । बालको हेतु जांजगीर, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 163 बच्चे लाभान्वित हुए है तथा 26.10 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बालवाड़ी सह संस्कार केन्द्र : 0–6 आयु वर्ष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए रायपुर तथा बिलासपुर में शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र संचालित है जहॉ सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 65 बच्चे लाभान्वित हुए हैं तथा 26.10 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

अध्याय–15

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक:– वर्ष, 2008–09 में बैंकों की संख्या छः एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 198 है ।

वर्ष 2008–09 में बैंकों की अँशपूंजी घटकर 8492.46 लाख रू. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान 768.43 लाख रूपये रहा । वर्ष 2007–2008 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 186593.36 लाख रूपये एवं 252957.21 लाख रूपये थी । जो वर्ष 2008–2009 में क्रमशः 4.23, एवं 4.79 प्रतिशत कम हो कर 186593.36 एवं 252957.21 लाख रूपये हो गई । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2008–2009 में 70148.56 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 60975.30 लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं 9173.26 लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं । इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 80670.15 लाख रूपयों का रहा । वर्ष 2008–2009 में चार जिला सहकारी बैंकों को 2824. 42 लाख़ रूपये का लाभ हुआ है, एवं दो बैंकें का 144.43 लाख रू. की हानि हुई है ।

प्राथमिक सहकारी कृषि समितियॉ : राज्य में वर्ष 2008–2009 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2007–2008 के समान ही है । इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2008–2009 में 21.09 लाख हो गई है ।

कुल सदस्यों में से 3 लाख 40 हजार अनुसूचित जाति, तथा 6 लाख 39 हजार अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं । प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2007–2008 में 24492.11 लाख रूपये थी । यह वर्ष 2008–2009 में कम होकर 24071.23 लाख रूपये हो गई है । कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2008–2009 में 32701.09 लाख रूपये का अल्प ऋण वितरित किया गया, जिसमें 12642.88 लाख रूपये मध्यकालिन ऋण के रूप में है । इसी अवधि में कुल ऋणी सदस्यों की संख्या 13.05 लाख रही जिसमें 2.01 लाख अनुसूचित जाति तथा 2.45 लाख सदस्य अनुसूचित जनजाति के रहे । वर्षान्त पर सोसायटियों की बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि 31021.80 लाख रूपये रही है ।

अध्याय–16

बचत एवं विनियोजन

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : अल्प बचत योजना में अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा व्याज की राशि कम होने के कारण निवेशक अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं । अतः बचत योजनाओं में निवेशकों की रूचि कम हुई है ।

अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष

राज्य में बैंकों की कुल संख्या 45 व शाखाओं की कुल संख्या 1502 हुई है । इनमें वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 35 है जिसमें निजी क्षेत्र में 13, सार्वजनिक क्षेत्र में 22, सहकारिता क्षेत्र के 7 एवं तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामिल है । राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार है:–

राज्य में बैकिंग कार्यो की प्रगति

(राशि करोड़ रू.में)

क्र.	विवरण	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	गतवर्ष में वृद्धि	
					राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	शाखाओं की संख्या	1356	1415	1502	–	–
2	कुल जमा	26014.44	31618.04	39742.84	8116.44	25.67
3	कुल अग्रिम	15420.04	19094.61	22878.06	3948.86	20.68
4	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	58.27	60.39	57.57	–	–
5	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	7385.45	8924.81	10933.45	1702.11	19.07
6	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	47.90	46.74	47.79	–	–
7	कृषि में अग्रिम	3196.82	4126.28	4248.35	122.07	2.96
8	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	20.73	21.61	18.57	–	–
9	लद्यु उद्योगों में अग्रिम	1503.72	1858.86	2270.14	852.66	45.87
10	अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	2684.31	2939.67	3667.05	727.38	19.11
11	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	1769.99	2007.16	2270.14	262.98	13.10
12	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	11.48	10.51	9.85	–	–
13	महिलाओं को अग्रिम	893.26	989.33	1201.82	212.15	21.44

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा–ऋण राशि
मार्च के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (संदर्भ 9.1)

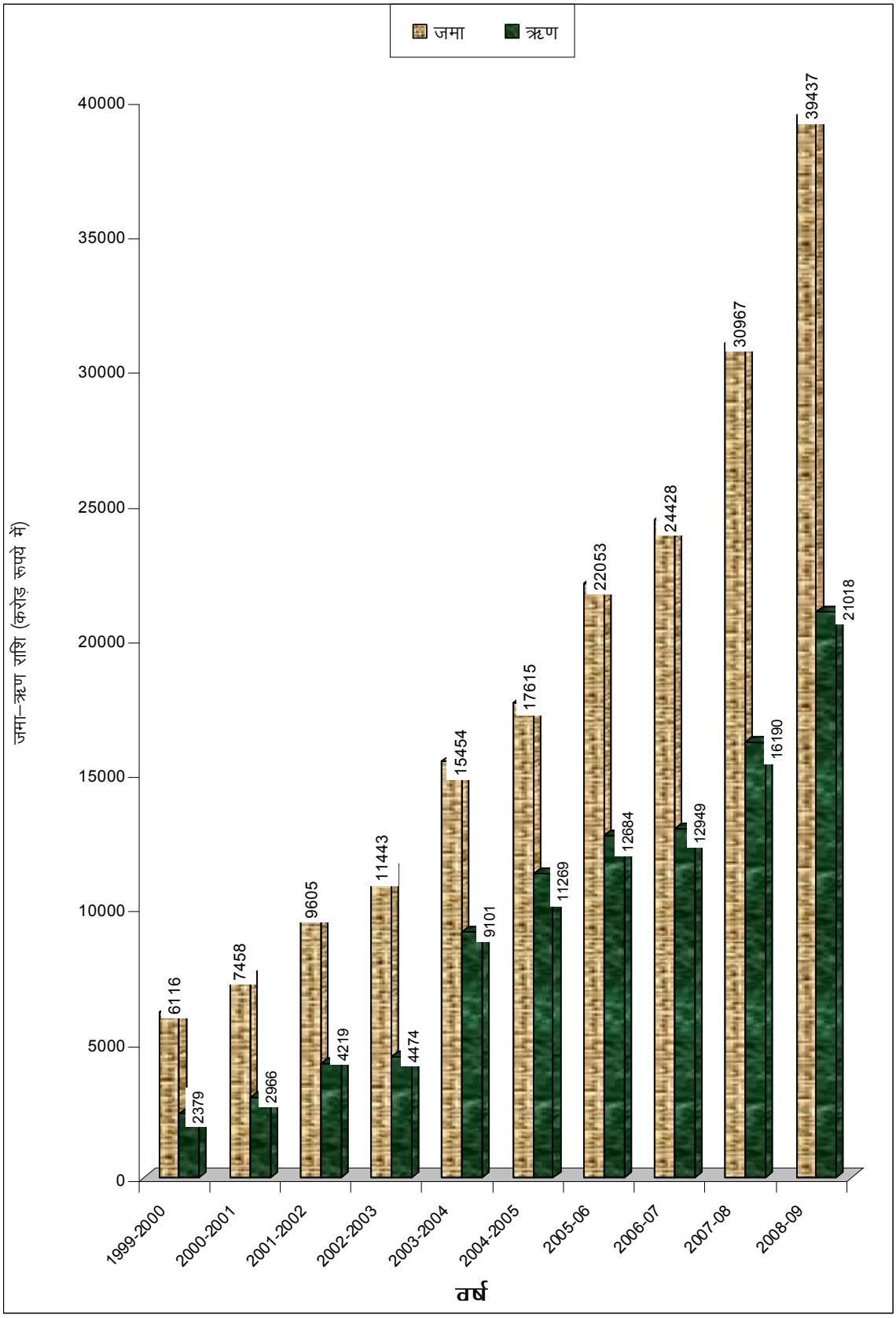

जमाः–राज्य में वित्तीय वर्ष 2009–10 में बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि 39742.84 करोड़ रू. है जो गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की तुलना में 25.62 प्रतिशत अधिक है । विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 8116.44 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई है ।

अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में बैंकों के ऋण की कुल राशि 19094.61 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2008–09 में 20.68 बढ़ कर 22878.06 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार इसमें 3948.86 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई ।

साख–जमा अनुपातः– यह किसी भी बैंक की कार्यक्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य में बैकों का साख–जमा अनुपात 60.39 % रहा । राज्य पुर्नगठन के पश्चात् से यह अनुपात सर्वाधिक है । विगत वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 57.57% था ।

प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 8924.81 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2008–09 में 19.07% बढ़ कर 10933.45 करोड़ रू. हो गई । प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की सर्वाधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में 1702.11 करोड़ रू. दर्ज की गई है ।

कृषि अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में कृषि अग्रिम की कुल राशि 4126.28 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2008–09 में 2.96 % बढ़ कर 4248.35 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार यह वृद्धि 122.07 करोड़ रू. रही । कुल साख की राशि में कृषि अग्रिम का प्रतिशत 2.96% रहा है ।

लघु उद्योगों में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में लघु उद्योगों में अग्रिम की कुल राशि 1858.86 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2008–09 में 45.87% बढ़ कर 2270.14 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 411.28 करोड़ रू. है ।

अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 2939.67 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2008–09 में 19.11 प्रतिशत बढ़ कर 3667.05 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 727.38 करोड़ रू. है ।

अन्य कमजोर वर्ग हेतु अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम की कुल राशि 2007.16 करोड़ रू. थी जो 13.10% बढ़कर 2270.14 करोड़ रू. हो गई, यह वृद्धि 262.98 करोड़ रू. है ।

महिलाओं को अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में महिला वर्गो के लिए अग्रिम की राशि 989.33 करोड़ रू थी जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 1201.82 करोड़ रू. हो गई । जो विगत वर्ष से 21.44 प्रतिशत (212.15 करोड़ रू.) है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुविधाओं का विकास :–वर्ष 2008–09 में सिचाई आवागमन के साधन एवं ग्रामीण स्वाास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में विस्तार हेतु अग्रिम प्रदाय किया गया जिसकें अन्तर्गत सिचाई के 438 नवीन परियोजनाओं हेतु 925.48 करोड़ रू. अग्रिम स्वीकृत किए गये । नवीन सड़को एवं पुल पुलियों हेतु 581 परियोनाओं के लिए 513.74 करोड रू ऋण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनान्तर्गत 14.28 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं । योजनान्तर्गत 4323.48 कि.मी सड़कें, 30917 पुल–पुलियों एवं 306526.22 हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने हेतु ऋण प्रदाय किए गए हैं ।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

1. **उत्पादन ऋण** :– राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश का शिखर बैंक है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए अन्य बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, इस दिशा में कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक के माध्यम से वर्ष 2009–10 हेतु रूपये 362.00 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया है ।

2. **किसान क्रेडिट कार्ड** :– कृषकों की वित्तीय आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंको और वाणिज्यिक बैंको को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 2009–10 में 345995 किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 134755 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये और 1092.95 करोड़ रू. का ऋण सीमा स्वीकृत किया गया जबकि योजना प्रारंभ से अब तक 1342340 किसान क्रेडिट कार्ड हेतु रूपये 3606.89 करोड़ रूपये का अल्पावधि ऋण सीमा स्वीकृत की गई है ।

3. **सूक्ष्म ऋण साख योजना अन्तर्गत स्व–सहायता समूहों को बैंको के साथ जोड़ने का कार्यक्रम** :– स्व–सहायता समूह ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अपनी समस्याओं को पहचानने, अग्राधिकार देने और समस्याओं का समाधान करने में सहायता कर रहा है । उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2009 तक 107874 स्वसहायता समूह बैंक में बचत खाते खुले हैं, और 62278 स्व–सहायता समूह ने बैंक से रू. 117.41 करोड़ के ऋण प्राप्त किए हैं ।

स्व–सहायता समूहों के बैंको बढ़ावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण विकास कार्यक्रम आदि हेतु 1131 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ।

4. वैद्यनाथन कमेटी:– वर्ष 2006–07 सहकारी बैंक में बैद्यनाथन कमेटी को लागू करने के लिए राज्य में समस्त पीएसीएस का स्पेशल आडिट कार्य पूर्ण किया गया है । योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर समिति का गठन किया गया जिसमें नवम्बर 2009 तक 2008 प्रबंधक एवं सदस्यों का क्षमता वर्धन 75 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया है ।

5. ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम:–कृषितर क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने की संभावना को नजर में रखते हुए नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दस्तकार, कारीगरों, बुनकरों आदि की कुशलता वृद्धि हेतु गैर कृषि क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग तथा व्यवसाय करने हेतु, गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 2008–09 में 25 आरआईडीपी एवं 24 कुशलता एवम उत्पाद विकास कार्यक्रम को प्रायोजित कर 1000 से ज्यादा युवक युवतियों को दस्तकारी, कारीगरी आदि का प्रशिक्षण दिया गया ।

6. क्लस्टर विकास कार्यक्रम:– ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों को सामूहिक विपणन सुविधा, कच्चे माल का सामूहिक क्रय, सामूहिक उत्पादन हेतु नाबार्ड ने क्लस्टर विकास नीति के तहत रायगढ़ जिले के रायगढ़ ब्लाक में 06 गांवों में टसर क्लस्टर प्रायोजित किया गया है इस कार्यक्रम द्वारा 06 गांवों के 810 परिवार लाभान्वित होंगे ।

7. ग्रामीण मार्ट:– जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर अपने उत्पादन के निरंतर प्रदर्शन/विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वसहायता समूहों को नाबार्ड द्वारा ग्रामीण मार्ट योजनांतर्गत दुकान लगाने में अनुदान सहायता प्रदान की जाती है । जांजगीर–चांपा एवं रायपुर जिले में एक–एक ग्रामीण मार्ट हेतु स्वसहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

8. प्रदर्शनी/मेला :– नाबार्ड सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु दस्तकारों / कारीगरों को अनुदान सहायता प्रदान करता है वर्ष 2008–09 में रायपुर जिले में राज्य स्तरीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया था इसमें 63 कारीगरो/दस्तकारों द्वारा अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का प्रदर्शन और विक्रय किया गया । इसके अलावा जिला स्तर पर आयोजित कर विभिन्न मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु 16 दस्तकार/कारीगरों को वित्तीय सहायता दी गई है ।

9. भारत सरकार की पूंजीगत विनियोजन संस्थायें :–(क) 30 अक्टूबर 2009 तक ग्रामीण भंडारण योजना के अन्तर्गत 9511.715 लागत वाली 235 परियोजनाओं को मंजूरी दी

गई है । और 1992.616 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई है । इससे कुल 661531 मेट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता निर्मित हुई है ।

(ख) 30 अक्टूबर 2009 तक शीतगृह येाजनान्तर्गत 4111.88 लाख की लागत वाले कुल 27 शीतगृहों को स्वीकृत दी गई है एवं 896.64 लाख की अनुदान सहायता दी गई है । इससे कुल 149382 मेट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हुआ है ।

(ग) 30 अक्टूबर 2009 तक कृषि विपणन आधारित संरचना, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की कुल 6309.687 लाख रू. लागत वाली कुल 107 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है एवं 1239.358 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई है ।

(घ) 30 अक्टूबर 2009 तक राष्ट्रीय जैविक खेती योजना के अन्तर्गत कुल 31.81 लाख लागत वाली कुल 60 परियोजनाओं की स्वीकृत दी गई एवं कुल 3.95 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई है ।

10. **वाटरशेड विकास** :–छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिलों के 18 (शत–प्रतिशत अनुदान) सहायता वाले वाटरशेड परियोजना की स्वीकृति दी गई है जिसमें 19707 हेक्टयर क्षेत्र में मृदा एवं जलसंधारण का कार्य किया जायेगा तथा 7306 परिवार लाभान्वित होंगे ।

11. **आदिवासी विकास निधिः**– आदिवासी परिवारों का उद्यानिकी के माध्यम से अधिक समय तक आये के स्त्रोत प्रावधान करने हेतु राज्य के 12 जिलो में बाड़ी कार्यक्रम हेतु रू. 45.28 करोड़ स्वीकृत किया गया है । इसमें 12500 परिवार लाभान्वित होंगे । ऐसे आदिवासी परिवारों को जिनके पास एक एकड़ जमीन है उद्यानिकी पौधों की खेती हेतु शत–प्रतिशत अनुदान दिये जा रहे हैं ।

12. **ग्राम उत्थान योजना** :–छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के 54 ग्रामों में ग्राम उत्थान योजना के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली, सड़क, ऋण, सूचना एवं बाजार की सुविधाओं हेतु 12 गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता दी गई है । इस वर्ष 10 नये ग्रामों का चयन ग्राम उत्थान योजना के अंतर्गत किया गया इस तरह योजना में शामिल गांवों की संख्या 64 हो गई है । भिलाई इस्पात संयत्र से भी 21 गांवों को इस योजना में शामिल करने पर समझौता हुआ है ।

13. **कृषक क्लब कार्यक्रम** :–बैकों की ग्रामीण शाखाओं स्थानीय क्षेत्र के बैंको, पंचायत राज एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कृषक क्लब स्थापित किया गया है, जो बैकों एवं कृषकों के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े अब तक 1300 ग्रामों में 1275 कृषक क्लब कार्यरत है ।

अध्याय–17

संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन

राजभाषा आयोग :– छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए कार्यरत अमले के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है । वर्ष 2008–09 में इस हेतु राशि रू. 98.20 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 20.01 लाख व्यय किए गए । वर्ष 2009–10 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 62.85 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 13.98 लाख का व्यय हुआ है।

बहुआयामी संस्कृति संस्थान :– बहुआयामी संस्कृति संस्थान, राज्य के समस्त प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, विकास, प्रचार–प्रसार, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन से संबंधित संस्थान होगा, इसे साकार करने के उद्देश्य से आडिटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी आदि तैयार करने की योजना बनाई गई है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश की केन्द्र प्रवर्तित योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2003–04 से प्रारंभ हुई है। इस योजना का डी.पी.आर. राशि रू. 20.19 करोड़ का तैयार कर वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। इस परिसर में आडीटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी, कलाविथिकाएं, संग्रहालय, ग्रंथालय, पार्किंग स्थल आदि तैयार किए जाने की योजना बनाई गई है।

इस योजना के पूर्ण होने पर राज्य के कला एवं संस्कृति के विविध आयामों के विकास हेतु सर्व सुविधा युक्त संकेंद्रित संस्थान प्राप्त होगा। वर्ष 2008–09 में इस हेतु राशि रू. 150.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 150.00 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2009–10 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 150.00 लाख का बजट प्रावधान है।

फोटोग्राफी सेलः– विभाग के अधीन 58 पुरातत्वीय प्राचीन स्मारक है, जिनकी देख–रेख एवं रख–रखाव कार्य किया जाता है। पुरातत्वीय उत्खनन/सर्वेक्षण में प्राचीन पुरातत्वीय स्मारक साईड की खोज होती है। इसका डॉक्यूमेंटेशन तथा विडियोग्राफी की जाती है। साथ ही वांछित स्थलों की समय–समय पर फोटोग्राफी, विडियोग्राफी का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थलों के सर्वेक्षण कार्य के समय वहां की फोटोग्राफी की जाती है। इसके लिए कैमेरा, रील, रील धुलाई, एलबम क्रय आदि किया जाता है। पुरातत्वीय प्रदर्शनी के आयोजन अवसर पर बड़े साईज के छायाचित्र इनलार्ज करवाए जाते हैं तथा प्रदर्शन हेतु रखे जाते हैं। वर्ष 2008–09 में इसके लिए रू. 4.00 लाख का प्रावधान

था, जिसमें से राशि रू. 3.99 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2009–10 में राशि रू. 4.40 लाख का बजट प्रावधान है।

मेला/उत्सव/प्रदर्शनी:– इस योजना का उद्देश्य मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी के माध्यम से संस्कृति एवं पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित जानकारी लोकसाधारण तक पहुंचाता है। इसके अंतर्गत मेला उत्सव व प्रदर्शिनियां राज्य के साथ–साथ राज्य के बाहर भी आयोजित की जाती है।

इसमें बुद्ध जयंती प्रदर्शनी, महावीर जयंती अवसर पर पुरातत्वीय प्रदर्शनी, स्वाधीनता दिवस पर प्रदर्शनी, शहीद वीरनारायण सिंह के छायाचित्रों की प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ में भगवान रामचन्द्रजी के वनगमन मार्ग पर आधारित प्रदर्शनी, विश्व धरोहर दिवस पर छत्तीसगढ़ के राज्य स्मारक/धरोहर पर आधारित प्रदर्शनी, गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल एवं रायपुर में प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ के प्राचीन गहनों (आदिवासी) की प्रदर्शनी, हिन्दी दिवस के अवसर पर रायपुर में प्रदर्शनी, संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्राचीन स्मारकों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी, राज्योत्सव में पुरातत्वीय एवं संस्कृति की झलक से संबंधित प्रदर्शनी, श्री राजीवलोचन महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी, स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रीय रंग समारोह, नाचा महोत्सव, पावस प्रसंग आजादी 50 आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार संगीत प्रतिभा उत्सव, लोक मड़ई मेला राजनांदगांव, दशहरा मेला (बस्तर) जगदलपुर, ग्वालियर म.प्र. के व्यापार मेले में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, रायपुर में राष्ट्रीय शिल्प मेला, लोक नृत्य उत्सव, रायपुर गुरू घासीदास जी की जयंती पर गिरौदपुरी मेला, कुल्लू दशहरा मेला में छ.ग. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, स्वदेशी मेला, जगार, शिल्प मेला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पंथी नृत्य उत्सव, सरस मेला रायपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावानुसार पारम्परिक मेले उत्सव के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2008–09 में इसके लिए रू. 50.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 49.75 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2009–10 में राशि रू. 55.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 1.10 लाख का व्यय हुआ है।

शोध संगोष्ठी:–इस मद के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित विषय पर राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा कलेक्टर सरगुजा को पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित संगोष्ठी के आयोजन हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभायी

गई। हिन्दी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, विश्व धरोहर दिवस पर संगोष्ठी, संग्रहालय दिवस पर संगोष्ठी तथा पुरातत्वीय धरोहर विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

वर्ष 2008–09 में इसके लिए रू. 16.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 14.53 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2009–10 में राशि रू. 19.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 1.97 लाख का व्यय हुआ है।

उत्खनन तथा सर्वेक्षणः– इस मद के अंतर्गत तहसीलवार एवं ग्रामवार सर्वेक्षण कर पुरातत्वीय धरोहर/स्मारक संरचना, पुरावशेष की जानकारी एकत्रित करने हेतु जिला कलेक्टर के माध्यम से कार्य किए जाते हैं तथा पुरातत्वीय विरासत एवं धरोहर का संरक्षण कार्य किया जाता है। वर्ष 2005–06 में पुरातत्वीय नगरी 'सिरपुर' का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। वर्ष 2008–09 में इस योजना के लिए राशि रू. 80.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 76.19 लाख का व्यय किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट प्रावधान राशि रू. 100.00 लाख है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 40.15 लाख का व्यय हुआ है । इसमें महानदी अपरवेली, शिवनाथ नदी घाटी एवं खारून नदी घाटी का सर्वेक्षण कार्य किया जावेगा तथा सिरपुर, महेशपुर व पचराही का उत्खनन कार्य निरंतर जारी रहेगा।

सार्वजनिक पुस्तकालयः– इस मद के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित महंत सर्वेश्वरदास ग्रंथालय को राज्य केन्द्रीय ग्रंथालय का दर्जा दिया गया है। शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित इस ग्रंथालय को ई–लाईब्रेरी के रूप में विकसित कर आधुनिक ग्रंथालय का रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में राशि रू. 100.00 लाख का प्रावधान था, जिसमे राशि रू. 98.39 लाख व्यय हुए। ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएं, ग्लास डोर आलमारियों का क्रय, लकड़ी के रैक्स आदि तैयार किए गए।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए राशि रू. 41.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 2.22 लाख का व्यय हुआ है । इसमें ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्र पत्रिकाओं का क्रय, फर्निचर, कम्प्यूटर उपकरण, आलमारियां क्रय किया जाना है।

विभिन्न शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को अनुदानः– इस मद के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों, सर्वेक्षण, प्रकाशन, प्रदर्शनी, संगोष्ठी के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर तथा पुरातत्व संघ को राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभाग के अंतर्गत

शासकीय तौर पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई में स्थापित है तथा दूसरी संस्था छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान का गठन कर उसे भी स्थापित किया गया है। इन दोनों संस्थाओं को पोषण अनुदान के साथ–साथ सांस्कृतिक गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस मद में राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 29.14 लाख का व्यय किया गया था । इस राशि से 118 ऐसी पंजीकृत संस्थाएं जो कि सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते है, इस हेतु वित्तीय सहायोग/अनुदान प्रदाय किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 23.98 लाख का व्यय हुआ है। इस प्रावधान से विभाग के अंतर्गत स्थापित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ, भिलाई तथा छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान को पोषण अनुदान तथा कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जावेगी। इसके साथ–साथ छत्तीसगढ़ की पंजीकृत संस्थाओं जिनके प्रस्ताव जिलाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी की अनुशंसा से प्राप्त होते है ऐसी लगभग 60 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी।

समारोह हेतु अनुदानः– विभाग के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित करना कला का प्रचार–प्रसार करना, उनकों शासकीय मंच प्रदान करना, उन्हें प्रदेश, देश एवं देश के बाहर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में राशि रू. 252.00 लाख बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 249.33 लाख का व्यय किया गया था। जिसमें उपरोक्तानुसार 10 समारोह/महोत्सवों का आयोजन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राशि रू. 240.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 78.32 लाख का व्यय हुआ है। जिसमें 18 उच्च स्तरीय समारोह (नाट्य संगीत, गायन, शास्त्रीय) महोत्सव का अयोजन किया जाएगा। जिलों में समारोह हेतु वित्तीय सहयोग भी किया जाएगा।

विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थानः–इस योजनांतर्गत स्वामी विवेकानंद के आदर्शो पर आधारित संस्थान का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2008–09 में इस हेतु राशि रू. 50.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 49.67 लाख का व्यय हुआ था। वर्ष 2009–10 में इस योजनांतर्गत 50.00 लाख का बजट प्रावधान प्राप्त हुआ है।

कलाकार कल्याण कोषः– इस योजना मद वरिष्ठ कलाकारों/साहित्यकारों के परिवार को गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है ।

वर्ष 2008–09 के बजट में राशि रू. 5.00 लाख का प्रावधान था। इसके लिए कोषालय में विभागाध्यक्ष के पदनाम से पी.डी. अकाउंट है, इसमें उक्त बजट मद में प्रावधानित राशि प्रतिवर्ष जमा होती है। वर्ष 2008–09 में साहित्यकार/कलाकारों को आर्थिक सहायता के रूप में राशि रू. 5.00 लाख व्यय किए गए।

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस मद में राशि रू. 5.00 लाख का बजट प्रावधान है। पूर्व में प्रति कलाकारों/साहित्यकारों को राशि रू. 5000/– आर्थिक सहायता दी जाती थी। वर्तमान में शासन स्तर पर निर्णय एवं अनुमोदन पश्चात इसमें वृद्धि की गई है। अब प्रति साहित्यकार/कलाकार को राशि रू. 18000/– मात्र आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुक्तांगन संग्रहालयः– विभाग के अधीन पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय एक महत्वाकांक्षी योजना है। पुरखौती मुक्तांगन की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति के मुलतत्व, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर की संपन्नता तथा जनजातीय के साथ प्रकृति के संबंध की अभिव्यक्ति है जिसमें लोक, नागर तथा जनजातीय सांस्कृतिक धारा रूपायित हो। यह एक निर्जिव संग्रहालय न होकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का जीवंत परिसर होगा जहां सृजनशील मानव की कर्मठता आकार ले सकेगी ।

पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से 18 कि.मी. दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के सन्निकट ग्राम उपरवारा स्थित लगभग 200 एकड की विशाल समतल भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

इस परिसर में पैनल, चार्ट, मॉडल के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियां सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल, वनौषधि, कृषि, सिंचाई व्यवस्था आदि प्रदर्शित की जाएंगी। फ्लड हिस्ट्री, टेक्टोनिक हिस्ट्री वनस्पतियों का विकास, नदियों एवं पर्वतों का विकास भी प्रदर्शित किये जाएंगे। कला के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा, इनके साथ खेलगुड़ी, उड़ीसारथ, बस्तर घोटुल, बस्तररथ, राजस्थान गृह, मणिपुर गृह आदि भी विकसित किये जाते है, उपरोक्त प्रकार का विकास करने हेतु परिसर के सिविल कार्यो को करने हेतु ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग को राशियों का समय–समय पर आवंटन किया जा रहा है।

परिसर में कास्य प्रतिमाएं, मूर्तिशिल्प काष्ठ शिल्प, लोह शिल्प, ढोकरा शिल्प, मृदा शिल्प, गोदना चित्रकारी, रजवार शिल्प, बांस शिल्प आदि कलाकृतियों को निर्माण कर स्थापित करने हेतु अलग अलग विधाओं की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। इन कार्यशालाओं में आदिवासी जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र के शिल्पियों कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इन्हे कच्ची सामग्री प्रदाय की जाती है। मुख्य शिल्पियों को प्रतिदिन

रू. 200/–मात्र मानदेय तथा सहायक शिल्पकार को रू. 150/– मानदेय दिया जाता है । परिसर में ही इनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है। एक एक विधा की कार्यशाला 15 से 20 दिन की अवधि तक रहती है तथा शिल्पियों की संख्या 15 से लेकर 30 तक रहती है । इसमें कास्य प्रतिमाएं, लौह शिल्प कलाकृतियां, काष्ठ शिल्प, बेल मेटल शिल्प, भित्ति चित्र पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा सिविल वर्क के तहत सम्पन्न कराए जा रहे है।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2002–03 से आरंभ हुई है जिसमें इस हेतु बजट प्रावधान राशि 40 करोड़ मात्र था।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में राशि रू. 250.00 लाख बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 250.00 लाख का व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में 2009–10 में राशि रू. 250.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 14.61 लाख का व्यय हुआ है। जिसमें ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यो में परिसर में पाथवे का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, फौवारे लगाना, आदिवासीयों के आवास हेतु छोटे छोटे हट का निर्माण, सेल कांउटर शिल्प ग्राम, मुख्य चौक मे जलप्रपात प्रतिकृति, पानी के लिए तालाब तैयार करना, विद्युत व्यवस्था / सेालर उर्जा स्थापित करना, वहां सौदर्यीकरण कार्य अलग–अलग विधाओं की कलाकृतियां निर्माण करने के लिए वर्ष भर 5 कार्यशालाओं को आयोजित करने की योजना है।

गजेटियर और सांख्यिकी विवरणः– इस मद के अंतर्गत कार्यालय के अधिकारियों के कर्मचारियों के वेतनभत्ते एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य किए जाते है।

वर्ष 2008–09 में इस मद में वेतन भत्तों को राशि रू. 12.06 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें कुल राशि रू. 11.55 लाख का व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राशि रू. 20.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से माह सितम्बर तक राशि रू. 7.69 लाख का व्यय हुआ है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा हेतु हॉस्टल एवं आवागमन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । जिसमें महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के विकास हेतु वर्ष 2004–05 में 17.37 करोड़, वर्ष 2005–06 में 18.47 करोड़, वर्ष 2006–07 में

29.30 करोड़ एवं वर्ष 2007–08 में 42.15 करोड़ प्राप्त हुए है एवं 2008–09 में 50.16 करोड़ रू का बजट प्रावधान है ।

1. अधोसंरचना विकास कार्य :– राज्य के सभी जिलों के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का चिन्हांकित कर 20 हाईवे मोटल का निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2008–09 तक 12 पूर्ण एवं शेष का कार्य अंतिम चरण में है, साथ ही 3.14 करोड़ की लागत से 17 स्थानों पर अन्तराष्ट्रीय स्तर के शुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है । 16 स्थानों पर कार्य अंतिम चरण में है । निर्मित मोटलों पर प्रदेश के हाथ करघा, हस्त शिल्प, खाद्य एवं वनोषधि जैसे उत्पाद के विक्रय हेतु उपहार केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ।

विभिन्न पर्यटन केन्द्रों में विकास योजनाओं के तहत टूरिस्ट मोटल यात्री निवास गृह सुलभ काम्पलेक्स एवं उपहार केन्द्रों के निर्माण कार्य पूर्ण किए गये हैं, जिसमें दन्तेवाड़ा जिले में 3.69 करोड़ रू. के कार्य पूर्ण किए गये । बस्तर जिले में कुल 16.61 करोड़ रू. नारायणपुर जिले में मावली मेला हेतु 5.00 लाख रू. के अनुदान, कांकेर जिले के मलांजकुडुम जल प्रपात पर सीढ़ी एवं सी.सी. रोड हेतु 25.00 लाख रू. सहित अन्य कार्यों हेतु 3.77 करोड़ रू के पर्यटन विकास योजनाएँ पूर्ण की गई है । इसी तरह धमतरी एवं रायपुर जिले में क्रमशः 5.64 एवं 25.96 करोड़ रू. के विकास योजनाओं के कार्य पूर्ण किए गए । दुर्ग एवं राजनांदगांव जिलों में 3.22 एवं 3.98 करोड़ रू. के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यक्रम प्रगति पर है । जिला कबीरधाम एवं बिलासपुर में क्रमशः 9.04 एवं 11.06 करोड़ रू. के विकास कार्यक्रम पर्यटन स्थलो में सम्पन्न किए गये । इसी तरह महासमुन्द एवं कोरबा स्थित पर्यटन विकास अन्तर्गत 10.83 करोड़ रू. एवं 3.94 करोड़ रू. के कार्य पूर्ण किए गये, जिसमें महासमुन्द स्थित प्रसिद्ध सिरपुर में लगभग 5.00 करोड़ रू. के 12 कमरों का होटल निर्माण मुख्य है ।

राज्य में स्थित पर्यटन स्थलों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने हेतु प्रदेश के मुख्य रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं दिल्ली अहमदाबाद, कलकत्ता, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, विशाखापट्टनम एवं भोपाल में पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित किए गये हैं ।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विभिन्न दर्शनीय स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय पहिचान दिलाने हेतु पैकेज टूर के द्वारा देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कार्यक्रम संचालित कर रही है ।

अध्याय –18

नगरीय निकाय

सरोवर धरोहर योजना :–शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 9.10 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 29 तालाबों के कार्यों लिये रूपये 495.16 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 में 26 तालाबों का कार्य लिया जाकर रूपये 393.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 361 परियोजनाओं में रू. 3778.45 लाख व्यय कर 208 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

ज्ञानस्थली योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 3 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 5 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 7 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 8 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2007–08 में कुल 34 कार्यो हेतु रू. 175.62 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2008–09 में कुल 12 कार्यो हेतु रू. 44.36 लाख स्वीकृत किए गए हैं। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 896 शाला भवनों में से रू. 2901.58 लाख व्यय कर 776 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना :–राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 7.50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2007–08 में कुल 6 मैदानों के लिए राशि रूपये 73.90 लाख़ की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2008–09 में कुल 2 मैदानों के लिए राशि रूपये 12.62 लाख़ की स्वीकृति दी गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 143 परियोजनाओं में राशि रू. 1360.50 लाख व्यय कर 99 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

पुष्प वाटिका उद्यान योजना :–राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 11.05 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में कुल 5 उद्यानों का विकास कार्य के लिए राशि रूपये 43.49 लाख की स्वीकृति दी गई है एवं वर्ष 2008–09 में कुल 10 उद्यानों के विकास कार्य के लिए राशि रूपये 183.23 लाख की स्वीकृति दी गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि

नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 211 परियोजनाओं में रू. 1762.69 लाख व्यय कर 139 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

मुक्तिधाम निर्माण योजनाः–शहरी क्षेत्र के सभी धर्मो के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 9.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। समस्त नगरीय निकायों में योजना लागू की गई है, जिसमें 190 मुक्तिधाम निर्माण हेतु योजना की लागत रूपए 1700.29 लाख है एवं अभी तक रू. 1474.73 लाख आबंटन किया गया है। वर्तमान में 107 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जाकर 83 मुक्तिधाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना :–राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. 25,000/– की लागत से छोटी दुकान एवं रू. 6500/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक रूपए 2250.02 लाख की लागत से 5522 दुकानों तथा 2241 चबूतरों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा 2391 दुकानें तथा 706 चबूतरों का कार्य प्रगति पर है।

महिला समृद्धि बाजार योजना :–राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से **महिला समृद्धि बाजार योजना** प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2008–.09 तक 778 दुकानों का रूपये 194.50 लाख की लागत से 263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 515 दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 6 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में

नगर पालिका कवर्धा की नई योजना स्वीकृत की गई है। इस प्रकार अब तक कुल 08 निकायों में रू. 21.31 करोड़ की योजना के विरूद्ध रूपए 16.39 करोड़ की राशि जारी की गई है। कुल व्यय राशि रूपए 1396.13 करोड़ है। एक परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है ।

गोकुल नगर योजना :–नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 तक राशि रू. 1272.84 लाख, 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 5 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :–शहरों में निवासरत् आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007–08 में लागू की गई है। प्रथम चरण में 5000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । जिसके विरूद्ध 4758 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है । 2008–09 में द्वितीय चरण में 5200 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :–वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। योजनांतर्गत अब तक 63 हाट बाजार के लिए रू. 2307.36 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 1153.68 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 11 परियोजना पूर्ण किया जाकर 52 हाट बाजार निर्माणाधीन है ।

सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :– वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत

किया जाएगा, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जावेगी। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में रू. 25.00 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें।

योजनांतर्गत अब तक 62 सांस्कृतिक भवन के लिए रू. 1929.40 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 1186.39 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 14 परियोजना पूर्ण किया जाकर 48 सांस्कृतिक भवन का कार्य निर्माणाधीन है ।

अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना (नवीन योजना) :– नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, उन्हें आर्थिक रूप से सुढृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी. डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन. प्रथम चरण में सभी निगमों तथा बड़ी नगर पालिकाओं/जिला मुख्यालय के निकायों में प्रारंभ. 3000 वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत–प्रतिशत अनुदान.

भागीरथी नल–जल योजना (नवीन योजना) :– पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित तंग बस्ती क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान करने की योजना. राज्य के सभी निकायों में चयनित तंग बस्ती क्षेत्रों में कैम्प लगाकर बस्ती में निवासरात गरीब नागरिकों के आवास में निःशुल्क नल–संयोजन की व्यवस्था. योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– की प्रतिपूर्ति. नल संयोजन उपरान्त हितग्राही परिवार द्वारा जलकर का भुगतान प्रतिमाह करना होगा.

विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–

व्यवसायिक परिसरों का निर्माण :–शहरी क्षेत्रों में निकाय के आय के स्रोतों में वृद्धि हेतु व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के साथ–साथ एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सामाग्री मिल सके । व्यवसायिक परिसरों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर पार्किंग, पेयजल तथा शौचालय व्यवस्था हो । इस हेतु वर्ष 2008–09 में अभी तक राशि रूपये 19.03 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

नेशनल अर्बन इंफारमेशन सिस्टम (NUIS) :–शहरी विकास मंत्रालय भारत शासन द्वारा नेशनल अर्बन इंफारमेशन सिस्टम (NUIS) योजना लागू की गई है। परियोजना के अंतर्गत भारत के 137 नगरों के लिए जी.आई.एस. आधारित डाटाबेस एवं उनमें से 24 नगरों के लिए

यूटिलिटी मैपिंग की जावेगी। प्रदेश के भिलाई नगर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा एवं रायपुर को प्रथम चरण की योजना में सम्मिलित किया गया है, जिसमें रायपुर नगर की यूटिलिटी मैपिंग भी की जावेगी। परियोजना लागत रूपये 115.55 लाख है तथा इसकी 25 प्रतिशत राशि रूपये 28.89 लाख राज्यांश के रूप में विभाग द्वारा दिया जा चुका है। परियोजना की गाईडलाईन में राज्य के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली :– भारत शासन, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत नगरीय निकायों में एक्रुअल आधार पर द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने को अनिवार्य अर्बन रिफार्म एजेण्डा में सम्मिलित किया है। इसका क्रियान्वयन समयबद्ध कार्यक्रम के तहत् किया जाना आवश्यक है। 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत इसके लिए अनुदान दिया जावेगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों, संचालनालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों में द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने हेतु विशेषज्ञ परामर्शदात्री संस्था की नियुक्ति की जा चुकी है। संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

अध्याय–19

पंचवर्षीय योजना

1. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–12) :–

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास संकेतकों में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) अवधि हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है:–

क्र.	इकाई	वर्तमान स्थिति	11वी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य
1	2	3	4
1	गरीबी में कमी 1. ग्रामीण प्रतिशत 2. शहरी प्रतिशत	 45.00 7.23	 23.00 5.00
2	शिशु मृत्यु दर (IMR) प्रति हजार जन्म पर	61	30
3	मातृत्व मृत्यु दर(MMR) प्रति हजार जन्म पर	335	126
4	जन्म दर (TFR)	2.6	2.00
5	कुपोषण	55 1999 में	20
6	रक्ताल्पता	NA	27
7	लिंगानुपात	989	999
8	ड्राप आउट रेट	13.62	10
9	साक्षरता दर	65.18%	85%
10	स्थिर भावों पर घरेलू उत्पादन (GDP) विकास दर 1. कृषि एवं संबद्ध सेवायें प्रतिशत 2. उद्योग एवं विनिर्माण प्रतिशत 3. सेवाएं प्रतिशत **योग** प्रतिशत	वर्ष 2008–09 – 3.39 +11.86 +11.55 + 6.81	2011-12 2.00 12.00 7.60 9.00

विभिन्न विकास संकेतकों के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) के लिए रूपये 53730.00 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया है।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना निम्नानुसार अनुमोदित की गई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)

(करोड़ रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	कुल परिव्यय	कुल का प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	3.64
2.	ग्रामीण विकास	4260.06	7.93
3.	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	284.30	0.53
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	13.45
5.	ऊर्जा	1805.37	3.36
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1.52
7.	यातायात	7272.48	13.54
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3369.53	6.27
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1.55
10.	सामाजिक सेवायें	25568.96	47.59
11.	सामान्य सेवायें	336.36	0.63
कुल योग		**53730.00**	**100.00**

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना की 47.59 प्रतिशत राशि सामाजिक सेवा पर व्यय किए जाने के प्रावधान का प्रस्ताव है। सामाजिक सेवाओं के प्रावधानों में मुख्यतः 10.14 प्रतिशत राशि शिक्षा पर, 4.32 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा 14.61 प्रतिशत राशि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य में कृषि के विस्तार के लिए 13.45 प्रतिशत राशि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर तथा यातायात के साधनों के विकास हेतु 13.54 प्रतिशत राशि सड़क सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के वार्षिक योजना के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉः–

वर्ष 2007–08 में अनुमोदित परिव्यय रूपये 7413.72 करोड़ के विरूद्ध रूपये 619611 करोड़ का व्यय किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2008–09 में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 9599.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था, जिसके विरूद्ध रूपये 8137.37 करोड़ का व्यय किया गया। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रूपये करोड़ 623.03 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध रूपये 655.44 करोड़ का व्यय किया गया। ग्रामीण विकास पर रूपये 605.14 करोड़ के विरूद्ध

रूपये 425.79 करोड़ का व्यय किया गया एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 4682.09 करोड़ के विरूद्ध रूपये 4034.58 करोड़ का व्यय किया गया।

वार्षिक योजना 2009–10 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 10947.03 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं को रूपये 789.33 करोड़, ग्रामीण विकास हेतु रूपये 576.24 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु रूपये 968.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 55.35% राशि रूपये 6059.42 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है।

वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित परिव्यय तथा व्यय

(लाख रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वर्षिक योजना 2007–08		वर्षिक योजना 2008–09		वर्षिक योजना 2009–10 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	24030.60	16297.76	62302.83	65544.15	78933.31
2	ग्रामीण विकास	45313.72	35630.39	60514.00	42578.91	57624.65
3	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	29155.51	32072.92	36495.35	32238.81	37731.40
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	97813.67	84868.24	93746.80	91615.24	96870.23
5	उर्जा	11132.83	17987.61	7064.15	11309.35	21180.25
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18318.34	18495.02	20464.20	11814.25	22055.47
7	यातायात	134366.96	102995.14	144243.88	100352.54	111489.53
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	18815.83	19419.06	34864.75	23894.08	28501.30
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	25263.22	48497.20	24061.71	23288.40	25043.21
10	समाजिक सेवायें	326132.23	239109.69	468209.93	403458.22	605941.95
11	सामान्य सेवायें	11029.03	4238.00	7932.40	7643.06	9331.46
	योग	**741371.94**	**619611.03**	**959900.00**	**813737.01**	**1094702.76**

3. जिला वार्षिक योजना

भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदान किया गया है। योजना आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला वार्षिक योजनाएं जिला योजना समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायो की सक्रिय भागीदारी से बनाई जा रही हैं, जो राज्य वार्षिक आयोजनाओं को तैयार करने में सहायक होती हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2009–10 हेतु 8 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजना बनकर प्राप्त हुई थी तथा वर्ष 2010–11 के लिए सभी 18 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजनाएं राज्य योजना मण्डल को प्राप्त हो गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11

(राशि रूपये लाख में)

स. क.	जिला का नाम	जिला योजना वर्ष 2009–10	प्रस्तावित जिला योजना वर्ष 2010–11
1	2	3	4
1	सरगुजा	अप्राप्त	71710.92
2	जशपुर	26210.49	46687.35
3	कोरिया	अप्राप्त	4956.89
4	बस्तर	अप्राप्त	100354.94
5	दंतेवाड़ा	अप्राप्त	24857.87
6	बीजापुर	अप्राप्त	9861.93
7	नारायणपुर	अप्राप्त	14055.45
8	कांकेर	अप्राप्त	48499.88
9	रायपुर	अप्राप्त	30845.34
10	महासमुंद	अप्राप्त	56753.64
11	धमतरी	39876.16	51211.09
12	दुर्ग	अप्राप्त	105788.15
13	राजनांदगांव	80619.96	97777.19
14	कबीरधाम	34375.35	18061.72
15	बिलासपुर	78107.65	110802.01
16	जांजगीर–चाम्पा	39186.92	29495.63
17	कोरबा	51579.56	51192.71
18	रायगढ़	54583.44	91464.76

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों यथा महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण में सहयोग देने के लिए UN-GoI Convergence Program चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत यूनिसेफ तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा एक–एक तकनीकी सहायक पांचों जिलों में उपलब्ध कराया गया है।

भाग–दो

सांख्यिकी तालिकाएँ

:: विषय सूची ::

भाग–दो (सांख्यिकी तालिकाएँ)

1.	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1–3
2.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	4
3.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर 1993–94) भावों के आधार पर	5
4.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	6
5.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर–प्रतिशत	7
6.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर प्रतिशत	8
7.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर प्रतिशत	9
8.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर प्रतिशत	10
9.	छत्तीसगढ़ क शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर प्रतिशत	11
10.	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	12
11.	प्रमुख फसलों का उत्पादन	13
12.	प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन	14
13.	सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र	15
14.	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	16
15.	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक –भिलाई केन्द्र	17
16.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य	18
17.	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन एवं मूल्य	19
18.	महत्वपूर्ण खनिजों का औसत मूल्य	20
19.	सड़को की लम्बाई	21
20.	कुल पंजीकृत वाहन	22
21.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	23
22.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	24
23.	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	25
24.	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	26
25.	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	27

तालिका–1.1

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
भौगोलिक क्षेत्रफल (ग्रामीण पत्रक अनुसार)	**वर्ग कि. मी.**		**137898**
प्रशासनिक संरचना			
जिला	संख्या	जून, 2008	18
तहसीलें	–,,–	–,,–	146
विकास खण्ड	–,,–	–,,–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	–,,–	85
कुल ग्राम	–,,–	जनगणना 2001	20308
कुल जनसंख्या	हजार	–,,–	20834
पुरूष	–,,–	–,,–	10474
स्त्री	–,,–	–,,–	10360
ग्रामीण	–,,–	–,,–	16648
नगरीय	–,,–	–,,–	4186
अनुसूचित जाति	–,,–	–,,–	2419
अनुसूचित जनजाति	–,,–	–,,–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	–,,–	18.06
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	–,,–	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	–,,–	989
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2008–2009	34483
स्थिर (1999–2000) भावों पर	–,,–	–,,–	19521
कृषि वर्ष 2008–2009			
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टर	–,,–	4710
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	–,,–	5683
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1339
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1537
कृषि जोत (कृषि संगणना)			
कृषि जोतों की संख्या	लाख	2000–2001	32.55
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टर	–,,–	5223
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टर	–,,–	1.60

कृषि उत्पादन (वास्तविक)			
अनाज	हजार मेट्रिक टन	2008–2009	5990
खाद्यान्न	–,,–	–,,–	5816
तिलहन	–,,–	–,,–	174
धान	–,,–	–,,–	4707
गेंहूं	–,,–	–,,–	97
मक्का	–,,–	–,,–	140
चना	–,,–	–,,–	190
तुअर	–,,–	–,,–	29
पशु संगणना 2007			
गौवंश पशु	हजार में	2007	9486
भैंस वंशीय पशु	–,,–	–,,–	1603
भेंड़/भेंड़ी	–,,–	–,,–	140
बकरा/बकरी	–,,–	–,,–	2766
सूवर	–,,–	–,,–	412
अन्य पशु	–,,–	–,,–	3319
कुक्कूट	–,,–	–,,–	14245
विद्युत			
अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावाट	2008–2009	1923.85
उत्पादन	लाख किलो वाट घंटे	–,,–	13515.90
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	–,,–	2822
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	–,,–	2183
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	–,,–	19064
विद्युतीकृत पंपसेट/नलकूपों की संख्या	हजार	–,,–	209.91
एक बत्ती कनेक्शन	–,,–	–,,–	991.63
मत्स्योत्पादन			
मछली उत्पादन	हजार मीटरिक टन	2008–2009	158.69
वन			
वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	2008–2009	77986
आरक्षित वन	–,,–	–,,–	25782
संरक्षित वन	–,,–	–,,–	24036
अवर्गीकृत	–,,–	–,,–	9954
राजस्व वन	–,,–	–,,–	18214

परिवहन			
कुल सड़कों की लंबाई	हजार कि. मी.	मार्च, 2009	49.90
पंजीकृत वाहन	हजार	—,,—	2167.00
साक्षरता			
कुल	प्रतिशत	जनगणना, 2001	64.66
पुरूष	—,,—	—,,—	77.38
स्त्री	—,,—	—,,—	51.85
शैक्षणिक संस्थायें			
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	सितम्वर, 2009	44680
माध्यमिक विद्यालय	—,,—	—,,—	15066
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	—,,—	—,,—	2128
माध्यमिक (10+2) विद्यालय	—,,—	—,,—	2242
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय	—,,—	—,,—	159
तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	—,,—	—,,—	129
विश्व विद्यालय	—,,—	—,,—	08
स्वास्थ्य सेवाएं			
जिला अस्पताल	—,,—	2008—2009	15
शहरी सिविल डिस्पेंसरी	—,,—	—,,—	17
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	129
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	707
उप स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	4694
जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय/फार्मेसी	—,,—	—,,—	07
आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक औषधालय	—,,—	—,,—	982
नियोजन			
पंजीकृत बेरोजगार	हजार	2008—2009	226
जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	—,,—	—,,—	1287
नौकरी दिलाये गये व्यक्ति	संख्या	—,,—	658
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
कार्यालय/शाखाएँ	संख्या	मार्च, 2009	1189
जमा राशि	करोड़	—,,—	39437
ऋण राशि	—,,—	—,,—	21018

तालिका क्रमांक 2.1

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (p)	2008-09 (Q)	2009-10 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	585180	418064	648262	537820	800917	654959	934578	1013162	1347097	1324607	1397900
2	वन उद्योग	56463	60360	74677	71649	80356	81833	75774	91767	107751	93987	112949
3	मत्स्य उद्योग	28912	35555	38894	41958	47808	52465	59822	72536	75227	87008	98051
4	खनन तथा उत्खनन	341330	335444	338445	409135	408029	466021	706976	810926	987550	1219367	1326348
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	1011885	849423	1100277	1060561	1337111	1255278	1777150	1988391	2517626	2724969	2935248
5	**विनिर्माण**	381556	380553	373497	494842	697515	1049822	919352	1498448	1805916	2100532	2282315
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	302620	296168	291026	405305	594546	935958	789439	1339526	1621713	1902219	2071070
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	78936	84385	82471	89537	102969	113864	129913	158922	184203	198313	211245
6	निर्माण कार्य	103118	107271	123104	157552	184444	225919	381040	603369	792099	1039935	1342568
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	149493	139222	117518	228826	208678	206974	203868	232100	276970	618736	685494
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	634167	627046	614119	881220	1090636	1482715	1504261	2333917	2874986	3759203	4310376
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	157234	167144	174293	195637	198369	236103	269231	324270	383749	449660	520261
8.1	रेलवे	59444	58472	63419	67531	45232	55878	63122	76091	88980	103946	121430
8.2	परिवहन	65902	75180	72146	89100	107543	129599	151107	187575	226361	263743	298169
8.3	स्टोरेज	2303	3209	2878	2908	3257	2904	2862	3186	3600	3758	4094
8.4	संचार	29584	30283	35851	36098	42336	47722	52140	57417	64808	78212	96568
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	307610	280515	318111	340559	414942	474702	572334	716102	901422	1065002	1213992
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	233301	253026	279683	310207	331786	342049	369995	422125	469124	521696	578769
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	67633	74169	83318	100202	109377	106382	109404	133481	151727	171209	193192
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	165668	178857	196365	210005	222409	235667	260591	288644	317397	350487	385577
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	380675	407462	467451	461080	507365	568056	606914	685823	794943	999889	1226177
11.1	लोक प्रशासन	101621	104666	189881	176037	148226	164235	190445	202010	232011	333853	438035
11.2	अन्य सेवाएँ	279054	302796	277570	285043	359139	403821	416469	483813	562932	666036	788142
स	**उप–योग**	1078820	1108147	1239539	1307484	1452462	1620911	1818474	2148320	2549238	3036247	3539199
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	2724873	2584616	2953935	3249265	3880209	4358904	5099885	6470628	7941850	9520419	10784823
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	232	236	241	245
	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	13292	12486	14134	15183	17799	19547	22466	27891	33652	39504	44020

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)=

स्त्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

तालिका क्रमांक 2.2

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1999–2000) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (p)	2008-09 (Q)	2009-10 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	585180	422080	634862	471441	706048	566370	768120	810411	874328	766560	774809
2	वन उद्योग	56463	56908	64996	58886	64814	60940	53854	55580	59793	53618	56633
3	मत्स्य उद्योग	28912	34736	35491	36945	41110	44449	48773	50995	51594	58748	62586
4	खनन तथा उत्खनन	341330	363859	381858	412695	452018	512365	565737	602310	648606	700064	762695
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1011885**	**877582**	**1117207**	**979967**	**1263990**	**1184124**	**1436483**	**1519297**	**1634321**	**1578990**	**1656723**
5	**विनिर्माण**	**381556**	**367791**	**358150**	**457174**	**565416**	**715377**	**591247**	**893732**	**1011732**	**1038755**	**1148674**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	302620	284495	277789	372865	474367	621352	489575	777800	882936	910681	1010532
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	78936	83296	80361	84309	91049	94025	101672	115933	128796	128073	138142
6	निर्माण कार्य	103118	96547	138235	140833	153950	155089	194746	296828	381226	486882	607058
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	149493	147708	120781	130434	116770	132868	136055	152938	167422	219782	253156
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**634167**	**612046**	**617165**	**728441**	**836136**	**1003334**	**922047**	**1343498**	**1560381**	**1745419**	**2008888**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**157234**	**169048**	**176915**	**197794**	**197322**	**228148**	**254892**	**299040**	**344689**	**378550**	**417132**
8.1	रेलवे	**59444**	**59980**	**66609**	**68040**	**44252**	**53262**	**57984**	**68737**	**75125**	**84313**	**94624**
8.2	परिवहन	65902	73035	69035	82253	95423	109048	120009	137754	157416	173209	189991
8.3	स्टोरेज	2303	3069	2639	2626	2769	2359	2219	2307	2487	2476	2576
8.4	संचार	29584	32965	38633	44874	54879	63479	74681	90242	109660	118553	129940
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	307610	285843	320857	317619	381315	405345	430061	496964	561831	592884	673940
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**233300**	**245926**	**255307**	**274226**	**281764**	**293298**	**311261**	**345144**	**376266**	**412663**	**454619**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	67633	72665	75336	87084	86873	88703	96896	120332	139473	162402	189101
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	165668	173261	179971	187142	194891	204595	214365	224812	236793	250260	265518
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**380674**	**393591**	**437595**	**425296**	**446431**	**479732**	**488633**	**512485**	**567657**	**680110**	**796689**
11.1	लोक प्रशासन	101621	100408	174322	158872	126492	133330	147608	146832	161049	221029	277329
11.2	अन्य सेवाएँ	279054	293183	263273	266424	319939	346401	341025	365652	406608	459081	519360
स	**उप–योग**	**1078820**	**1094408**	**1190674**	**1214935**	**1306832**	**1406523**	**1484847**	**1653633**	**1850443**	**2064208**	**2342380**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2724873**	**2584036**	**2925046**	**2923342**	**3406958**	**3593982**	**3843378**	**4516428**	**5045144**	**5388617**	**6007990**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	232	236	241	245
	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	13292	12483	13995	13660	15628	16117	16931	19467	21378	22359	24522

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम

स्त्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

तालिका क्रमांक 2.3

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (p)	2008-09 (Q)	2009-10 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	558545	388970	615079	499984	758306	603534	876511	946867	1280802	1258312	1328185
2	वन उद्योग	54538	58394	70990	69160	77527	78879	73046	89058	104570	91212	109615
3	मत्स्य उद्योग	26061	31761	34001	36291	40763	43320	49898	66460	68926	79309	89434
4	खनन तथा उत्खनन	270205	268419	264680	341749	339858	387337	599914	691837	835711	1056826	1153796
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**909349**	**747544**	**984749**	**947183**	**1216455**	**1113070**	**1599369**	**1794222**	**2290009**	**2485659**	**2681030**
5	**विनिर्माण**	**272664**	**256808**	**235120**	**345316**	**531582**	**854916**	**688901**	**1222082**	**1472922**	**1713386**	**1861710**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	204684	184856	166389	270936	446313	763089	585399	1094009	1324475	1553568	1691471
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	67980	71952	68731	74380	85269	91827	103502	128073	148447	159818	170239
6	निर्माण कार्य	100183	103566	118813	151950	178172	218721	370491	587253	770942	1012159	1306708
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	87751	77410	59344	123992	110900	102788	91631	106841	127496	284818	315548
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**460598**	**437784**	**413277**	**621258**	**820653**	**1176425**	**1151024**	**1916176**	**2371360**	**3010362**	**3483966**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**135964**	**145930**	**149601**	**168687**	**166860**	**199499**	**229806**	**277360**	**329941**	**386142**	**445278**
8.1	रेलवे	49403	48449	52668	56698	31532	39048	46021	59299	70216	82026	95823
8.2	परिवहन	61482	70256	65512	81200	98586	119948	140119	174139	210146	244851	276811
8.3	स्टोरेज	2243	3145	2821	2857	3197	2842	2791	3089	3491	3644	3970
8.4	संचार	22835	24080	28601	27932	33544	37661	40875	40832	46088	55620	68674
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	304845	277468	314875	337478	411288	470264	567099	710062	893819	1056019	1203752
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**213018**	**229117**	**250089**	**275892**	**291931**	**293803**	**314193**	**358745**	**399351**	**444544**	**493755**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	65690	71737	80708	97341	106282	103193	106033	129637	147420	166349	187708
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	147328	157380	169381	178551	185649	190610	208160	229108	251931	278196	306047
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**360191**	**386214**	**430877**	**432013**	**475087**	**532629**	**565289**	**640520**	**742770**	**927633**	**1133050**
11.1	लोक प्रशासन	84580	87715	157843	152476	122107	136244	157109	166176	190855	274632	360333
11.2	अन्य सेवाएँ	275611	298499	273034	279537	352980	396385	408180	474344	551915	653001	772717
स	**उप–योग**	**1014018**	**1038729**	**1145443**	**1214071**	**1345166**	**1496196**	**1676387**	**1986687**	**2365881**	**2814338**	**3275836**
	कुल योग (अ+ब+स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)	**2383966**	**2224057**	**2543469**	**2782512**	**3382274**	**3785691**	**4426779**	**5697085**	**7027249**	**8310360**	**9440832**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	232	236	241	245
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	11629	10744	12170	13002	15515	16976	19501	24556	29776	34483	38534

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम

स्त्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनाल

तालिका क्रमांक 2.4

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1999–2000) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (p)	2008-09 (Q)	2009-10 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	558545	393524	604012	437328	668821	524990	723921	762128	825747	717978	714974
2	वन उद्योग	54538	54942	61521	56609	62301	58519	51725	53571	57631	51680	54586
3	मत्स्य उद्योग	26061	31091	31063	31818	34913	36916	40751	46321	46865	52517	55578
4	खनन तथा उत्खनन	270205	298872	314323	352782	393325	449809	485331	516655	556371	600507	653428
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**909349**	**778428**	**1010919**	**878537**	**1159360**	**1070234**	**1301727**	**1378676**	**1486615**	**1422682**	**1478567**
5	**विनिर्माण**	**272664**	**250290**	**232880**	**323838**	**421952**	**557978**	**414669**	**691251**	**782388**	**803064**	**887858**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	204684	178890	164936	252896	345669	480729	331801	596234	676828	698096	774638
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	67980	71400	67944	70942	76283	77249	82868	95018	105560	104968	113221
6	निर्माण कार्य	100183	93036	134338	135799	148429	149136	186428	284692	365640	466976	582238
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	87751	87917	67618	37135	32573	49827	51638	62866	68820	90343	104061
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**460598**	**431243**	**434835**	**496772**	**602954**	**756941**	**652734**	**1038809**	**1216848**	**1360383**	**1574157**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**135964**	**148652**	**153958**	**173434**	**170782**	**200523**	**226616**	**266055**	**307161**	**337296**	**371585**
8.1	रेलवे	49403	50275	56398	58097	33270	41910	47131	58291	64187	72037	80847
8.2	परिवहन	61482	68370	62931	75048	87322	100767	110955	126926	145043	159594	175057
8.3	स्टोरेज	2243	3008	2588	2582	2718	2311	2167	2240	2420	2409	2506
8.4	संचार	22835	27000	32042	37706	47473	55535	66364	78598	95511	103256	113174
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	304845	282956	317918	314852	378158	401781	426064	492578	556873	587651	667992
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**213018**	**222958**	**228847**	**244418**	**248510**	**256949**	**271544**	**301904**	**330668**	**364148**	**402785**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	65690	70356	72970	84533	84199	86131	94321	117531	136469	158905	185028
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	147328	152602	155877	159885	164311	170818	177223	184373	194199	205244	217757
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**360190**	**372960**	**403788**	**399215**	**418433**	**451265**	**456941**	**479636**	**531526**	**632331**	**737774**
11.1	लोक प्रशासन	84580	83890	144651	137713	103753	110713	122083	120662	132345	181635	227900
11.2	अन्य सेवाएँ	275611	289070	259137	261502	314680	340551	334858	358973	399181	450696	509873
स	**उप–योग**	**1014018**	**1027526**	**1104511**	**1131919**	**1215883**	**1310518**	**1381165**	**1540173**	**1726228**	**1921426**	**2180136**
	कुल योग (अ+ब+स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)	**2383966**	**2237197**	**2550265**	**2507227**	**2978197**	**3137694**	**3335627**	**3957658**	**4429690**	**4704492**	**5232860**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	232	236	241	245
	प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	11629	10808	12202	11716	13661	14070	14694	17059	18770	19521	21359

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम

स्त्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

तालिका –2.5

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-16.06	-1.12	2.72	-5.15
2	2001-02	29.53	-2.06	11.86	14.29
3	2002-03	-3.61	43.49	5.48	10.00
4	2003-04	26.08	23.76	11.09	19.42
5	2004-05	-6.12	35.95	11.60	12.34
6	2005-06	41.57	1.45	12.19	17.00
7	2006-07	11.89	55.15	18.14	26.88
8	2007-08(P)	26.62	23.18	18.66	22.74
9	2008-09(Q)	8.24	30.76	19.10	19.88
10	2009-10(A)	7.72	14.66	16.56	13.28

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.6

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(1999–2000) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-13.27	-3.49	1.45	-5.17
2	2001-02	27.31	0.84	8.80	13.20
3	2002-03	-12.28	18.03	2.04	-0.06
4	2003-04	28.98	14.78	7.56	16.54
5	2004-05	-6.32	20.00	7.63	5.49
6	2005-06	21.31	-8.10	5.57	6.94
7	2006-07	5.76	45.71	11.37	17.51
8	2007-08(P)	7.57	16.14	11.90	11.71
9	2008-09(Q)	-3.39	11.86	11.55	6.81
10	2009-10(A)	4.92	15.09	13.48	11.49

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.7

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-17.79	-4.95	2.44	-6.71
2	2001-02	31.73	-5.60	10.27	14.36
3	2002-03	-3.81	50.32	5.99	9.40
4	2003-04	28.43	32.10	10.80	21.55
5	2004-05	-8.50	43.35	11.23	11.93
6	2005-06	43.69	-2.16	12.04	16.93
7	2006-07	12.18	66.48	18.51	28.70
8	2007-08(P)	27.63	23.75	19.09	23.35
9	2008-09(Q)	8.54	26.95	18.96	18.26
10	2009-10(A)	7.86	15.73	16.40	13.60

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.8

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(1999–2000) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-14.40	-6.37	1.33	-6.16
2	2001-02	29.87	0.33	7.49	13.99
3	2002-03	-13.10	14.24	2.48	-1.69
4	2003-04	31.96	21.37	7.42	18.78
5	2004-05	-7.69	25.54	7.78	5.36
6	2005-06	21.63	-13.77	5.39	6.31
7	2006-07	5.91	59.15	11.51	18.65
8	2007-08(P)	7.83	17.14	12.08	11.93
9	2008-09(Q)	-4.30	11.80	11.31	6.20
10	2009-10(A)	3.93	15.71	13.46	11.23

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –3.1

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र							
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	**अनाज**								
1.1	धान	3810.1	3777.7	3829.0	3843.8	3854.3	3905.3	3902.9	3928.8
1.2	गेहूँ	97.9	93.8	106.1	99.2	97.1	93.2	95.0	94.4
1.3	ज्वार	9.4	9.3	9.1	8.4	8.5	6.0	7.7	5.3
1.4	मक्का	93.8	94.0	98.6	97.9	101.6	100.1	100.1	99.3
1.5	कोदो–कुटकी	229.3	212.9	205.4	194.2	177.7	161.1	151.9	145.5
1.6	जौ	4.2	4.0	4.4	4.0	3.6	3.5	3.4	3.1
1.7	छोटे अनाज	60.7	57.7	56.4	56.8	50.4	49.1	64.6	54.3
2.0	**दालें**								
2.1	चना	169.5	175.6	204.7	233.3	242.7	231.4	243.5	237.5
2.2	तुअर	50.3	55.7	52.3	52.5	50.7	53.8	50.4	49.2
2.3	उड़द	119.0	122.5	121.3	119.5	117.5	114.5	114.9	110.8
2.4	मूग–मोठ	15.3	16.5	18.1	16.4	17.1	16.6	16.2	16.2
2.5	कुल्थी	61.2	57.5	56.7	55.4	53.9	52.8	53.0	51.6
2.6	लाख (तिवड़ा)	416.8	330.1	460.9	449.4	458.0	425.4	428.6	387.6
3.0	**गन्ना**	7.1	9.1	11.2	12.3	14.5	19.2	19.3	16.0
4.0	**तिलहन**								
4.1	मूँगफली	33.8	34.3	36.3	34.1	32.8	33.1	31.7	30.5
4.2	रामतिल	74.6	72.0	74.4	73.1	72.8	72.8	71.9	70.9
4.3	तिल	23.6	24.8	25.1	24.3	24.6	21.3	21.2	20.0
4.4	सोयाबीन	14.6	15.2	20.8	32.3	46.8	64.5	72.9	81.8
4.5	अलसी	82.3	67.6	75.0	71.1	70.8	64.6	55.9	47.6
4.6	राई सरसों	50.3	47.5	55.3	54.5	57.2	54.5	51.4	52.0

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.2
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन							
		2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008	2008.–09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	**अनाज**								
1.1	धान	5073.7	2634.9	5567.6	4586.8	5267.5	5441.5	5635.0	6021.8
1.2	गेहूँ	103.5	98.6	108.6	85.2	85.2	94.0	104.6	97.4
1.3	ज्वार	9.2	5.8	7.6	4.9	5.8	5.2	7.2	6.3
1.4	मक्का	69.7	122.6	135.0	140.0	109.5	123.5	157.1	139.9
1.5	कोदो–कुटकी	53.9	29.4	50.9	38.6	29.3	30.0	39.2	24.9
1.6	जौ	3.5	3.1	4.3	3.5	3.0	2.8	4.0	2.8
1.7	छोटे अनाज	18.5	13.5	16.8	12.5	13.1	6.9	16.8	9.5
2.0	**दालें**								
2.1	चना	124.6	113.1	197.3	119.7	172.2	193.5	212.4	190.3
2.2	तुअर	20.2	24.1	31.5	26.9	22.5	22.9	26.3	2837
2.3	उड़द	36.3	29.4	35.1	32.6	33.9	34.5	35.1	32.4
2.4	मूँगमोठ	4.4	4.0	4.8	3.9	4.3	4.3	4.2	4.0
2.5	कुल्थी	20.7	13.9	18.4	16.4	17.6	16.6	16.9	16.1
2.6	लाख (तिवड़ा)	230.5	170.3	278.8	175.3	208.2	225.2	553.0	211.0
3.0	**गन्ना**	9.0	10.0	13.3	16.5	19.0	20.3	27.3	22.0
4.0	**तिलहन**								
4.1	मूँगफली	41.7	38.1	40.2	38.1	35.5	37.7	40.0	37.7
4.2	रामतिल	14.6	11.5	13.1	12.0	12.3	12.8	12.8	12.6
4.3	तिल	5.7	6.4	7.1	7.3	7.3	6.4	6.7	6.1
4.4	सोयाबीन	12.0	8.3	18.4	31.0	41.9	64.2	83.6	79.9
4.5	अलसी	22.2	19.7	23.1	16.3	17.5	16.2	17.1	13.0
4.6	राई सरसों	18.7	15.6	22.8	21.4	18.2	21.8	20.6	19.7

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.3

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयावीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998-1999	1006	1174	1072	1270	625	1037	603	275	2668
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	1402	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	1367	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	1425	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	1451	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1198	1027	1188	1404	801	583	977	अनुपलब्ध	2387

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –3.4

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुऍं	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1998–1999	752933	62787	44175	185575	1045470
2	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
3	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
4	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
5	2002–2003	743395	56708	47045	287429	1134577
6	2003–2004	768757	49707	35611	236410	1090487
7	2004–2005	859987	58032	38952	281099	1208070
8	2005–2006	876039	52611	113516	206124	1248290
9	2006–2007	887577	52089	34853	307766	1282285
10	2007–2008	913825	55770	30666	333704	1333965
11	2008–2009	943363	53031	32828	500699	1529921

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –4.1

प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल / किस्म		विपणन वर्ष			
	2002–03	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	4	5	5	6
धान–सामान्य	530	580+40	645+100	850+50	950+100
धान– ग्रेड–ए	560	610+40	675+100	880+50	980+100
ज्वार, बाजरा आदि	485	540	600	860	840
मक्का	485	540	620	840	840
गेंहूँ	620	650	1000	1000	1150
चना	1220	1435	1600	-	-
मूंगफली	1355	1520	1550	-	-
तुअर	1320	1410	1550+40	-	-
उड़द	1330	1520	1700+40	-	-
मूंग	1330	1520	1700+40	-	-
सूर्यमुखी	1195	1500	1510	-	-
राई एवं सरसों	1330	1715	1800	-	-
सोयाबीन काली / पीली	795	900	910	-	-
	885	1020	1050	-	-

* –अनिर्धारित

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।

खरीफ फसलें– धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।

विपणन वर्ष– गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका–4.2

औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– भिलाई केन्द्र

(1982=100)

वर्ष	भिलाई		अखिल भारत	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
1	2	3	4	5
1999	390	373	444	424
2000	390	390	452	441
2001	409	407	462	458
2002	403	413	474	477
2003	417	439	490	496
2004	438	459	504	514
2005	440	480	520	536
(2001=100)				
2006	135	121	122	123
2007	135	132	134	131
2008	137	136	138	135
2009	157	151	156	148
अप्रेल. 2009	163	154	159	150
मई, 2009	166	156	162	151
जून, 2009	170	158	165	153
जुलाई 2009	175	164	172	160
अगस्त, 2009	182	168	176	162

आधार वर्ष मार्च 2007 से (2001=100)

स्त्रोत : लेबर ब्यूरो, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, शिमला ।

तालिका –5.1

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा
का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा, का उत्पादन एवं मूल्य								
	इनगोटस्		प्रापजी रॉडस्		एक्सटूजन		रोल्ड उत्पाद		योग
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000-2001	7361	5806	36621	30337	6283	6276	36267	34398	76817
2001-2002	20805	17382	23433	21443	567	702	25305	28843	68372
2002-2003	20490	12922	47490	29947	-	-	27510	18272	61141
2003-2004	13149	11834	48243	44865	-	-	35696	35696	92395
2004-2005	6342	5707	34551	32132	-	-	31803	31803	69642
2005-2006	46462	47251	63302	64525	-	-	50391	58456	170232
2006-2007	64222	111072	40137	51062	-	-	30508	41607	203741
2007-2008	195785	234496	101316	135962	-	-	61227	92397	462855
2008-2009	172342	195528	127041	158150	-	-	79991	356781	433669
2009-2010	41536	33346	108902	134679	-	-	50279	256509	356513

स्त्रोत–भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ ।

तालिका –5.2

महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मेट्रिक टन में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	50,226	557	20016	695	13954	12979
2001-02	53,677	556	18660	855	13149	13887
2002-03	56758	611	19781	918	13626	10630
2003-04	61505	888	23361	1005	13833	13342
2004-05	69253	1111	23118	1043	14855	23503
2005-06	76358	1332	26084	1109	15088	98734
2006-07	83241	1593	28731	1120	14972	100835
2007-08	90172	1747	30699	1192	15546	61522
2008-09	97038	1671	32943	1297	15759	57499

तालिका –5.3

महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू .में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	300026	2529	49042	1816	18495	10
2001-02	286880	1445	63231	2320	17022	11
2002-03	355239	2188	69834	2351	15145	9
2003-04	334587	2774	84162	2430	15492	13
2004-05	417436	2900	131138	2329	17090	35
2005-06	489378	3861	237338	2524	19316	148
2006-07	532010	5487	326767	2617	21402	184
2007-08	581204	5256	430614	2867	25603	137
2008-09	621928	5743	565245	3232	25817	187

स्त्रोत – भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

तालिका–5.4

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	597	454	245	261	133	77
2001-02	534	260	339	271	129	79
2002-03	525	358	353	256	111	85
2003-04	544	312	360	242	112	97
2004-05	603	261	567	223	115	149
2005-06	641	290	910	228	128	150
2006-07	639	344	1137	234	143	182
2007-08	645	301	1403	240	165	223
2008-09	641	344	1716	241	164	325

स्त्रोत – भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –6.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई
1	2	3	4	5	6
2000-2001	1,827	2,197	3,532	27,526	35,082
2001-2002	1,827	3,611	2,118	27,526	35,082
2002-2003	1,827	3,611	2,118	28,768	36,324
2003-2004	2225	3213	2118	28768	36324
2004-2005	2225	3213	4814	24678	34930
2005-2006	2225	3213	4817	24756	35728
2006-2007	2228	3213	4818	25811	36066
2007-2008	2228	3213	4818	25122	35381
2008-2009	2228	3213	4818	25133	35392
2009-2010 (प्रा.)	2228	3213	4818	25156	35411

(प्रा.) – प्रावधिक

स्त्रोत – मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़

तालिका –6.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1998	28	6	9	31	526	44	644
1999	29	7	10	32	585	50	713
2000	31	7	12	35	643	53	781
2001	34	8	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1117	97	1375
2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2007	78	16	27	85	1395	126	1728
2008	90	18	31	97	1553	139	1928
2009	104	20	36	107	1745	155	2167

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका 7.1

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

नियोजन क्षेत्र (31 मार्च की स्थिति)

गणना वर्ष	शासकीय विभाग (नियमित)	नगरीय स्थानीय निकाय	ग्रामीण स्थानीय निकाय	विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं विशेष क्षेत्र	विश्व विद्यालय	**योग**
1	2	3	4	5	6	7
1999	177988	14102	23535	468	1300	217393
2000	177890	13107	23864	396	1288	216545
2001	182352	12913	24181	399	2092	221937
2002	174273	12871	25795	395	2323	215657
2003	174423	14514	31083	184	2228	222432
2004	175124	15472	35122	14	2536	228268
2005	174453	12552	38500	426	2296	228227
2006	175347	13358	47380	557	2439	239080
2007	178165	13779	59400	363	2940	254647
2008	189434	14983	126090	363	2940	219810

- वर्ष 2004 में रायपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम रायपुर में हो गया था । पुनः 2005 में रायपुर पुनः विकास प्राधिकरण अलग हो गया है ।

#- बिलासपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम बिलासपुर में हो गया है ।

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय छत्तीसगढ़

तालिका–8.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	3	4	5	6	7	8	9
बैक संख्या	07	06	06	06	06	06	06
शाखाएँ	211	198	198	198	198	198	198
सदस्य (हजार)	23	21	52	55.5	18440	20083	20010
अंश पूँजी(1) कुल	3691.26	4783.28	5201.10	5993.42	9968.17	8290.37	8492.46
(2) शासकीय	639.51	508.16	505.24	467.29	3333.13	799.14	768.43
अमानतें	120615.65	129337.53	141025.46	149694.46	159766.10	186593.36	178687.47
कार्यशील पूँजी	159497.56	150966.90	172365.20	184035.17	209180.69	252957.21	240832.13
ऋण वितरण (अ) कुल	40140.30	43925.34	55018.24	57854.84	83330.61	79891.90	17148.56
(ब) अल्पकालीन	30805.85	40577.96	49549.52	52186.33	62249.42	71394.13	60975.30
(स) मध्यकालीन	2896.33	2086.58	4742.61	5185.69	2743.62	8497.77	9173.26
ऋण बकाया							
(अ) कुल	76134.43	58089.43	66972.52	17608.13	81189.96	87938.90	80670.15
(ब) अल्पकालीन	21085.65	30906.86	39570.63	44941.20	62325.84	64279.32	57209.12
(स) मध्यकालीन	35205.13	24515.18	24903.04	24387.52	17958.62	23964.54	23461.03
कालातीत ऋण	13849.29	29290.31	29050.22	31605.24	41939.18	53937.66	50543.71
लाभ(अ) बैंक संख्या	01	01	06	06	05	05	04
(ब) राशि	655.17	9.17	775.58	1711.34	2827.01	3376.83	2824.72
हानि (अ) बैंक संख्या	06	05	–	–	01	01	02
(ब) राशि	2007.30	1948.92	–	–	707.35	156.38	144.43

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

टीप: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ बन्द होने के कारण बैंक की संख्या आलोच्य वर्ष में 06 हेा गई है ।

तालिका–8.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	1903	19.18	19.32	19.64	2099	2128	2109
अनुसूचित जाति	–,,–	327	302	296	303	301	329	340
अनुसूचित जन जाति	–,,–	620	592	549	613	638	643	639
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	1011	1021	1081	1126	1240	1249	1305
अनुसूचित जाति	–,,–	178	167	116	164	173	190	201
अनुसूचित जन जाति	–,,–	328	277	365	327	320	238	245
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	7790.00	8205.66	8313.42	8671.06	26224.85	24492.11	24071.23
कुल ऋण वितरण	–,,–	34484	27381	49941	87082	50397.13	46334.79	45343.97
(अ) अल्पकालीन	–,,–	26498	25403	42037	33899	45114.91	32085.10	32701.09
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	7985	1978	3904	1615	5282.22	14528.72	12642.88
कुल ऋण बकाया	–,,–	38366	43250	6770	52745	53968.97	55058.34	31021.80
(अ) अल्पकालीन	–,,–	20335	24434	42915	29027	31237.37	30785.54	25231.20
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	16179	18816	23614	18431	22631.60	23999.35	5790.60
कालातीत ऋण	–,,–	17188	25122	25113	26883	24813.94	284206.05	263104.03

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका–8.3

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2008–09
1	2	3
1	बैकों की संख्या	12.00
2	शाखाओं की संख्या	84.00
3	सदस्य (हजार)	177320.00
4	अंश पूँजी (1) कुल	17040.00
	(2) शासन	341.71
5	अमानतें	1451.21
6	कार्यशील पूँजी	30302.52
7	ऋण वितरण (अ) कुल	10442.71
	(ब) अल्पकालीन	अनुपलब्ध
	(स) मध्यकालीन	अनुपलब्ध
8	(द) दीर्घकालीन	10442.71
	ऋण बकाया	
	(अ) कुल	8331.62
	(ब) अल्पकालीन	अनुपलब्ध
	(स) मध्यकालीन	अनुपलब्ध
	(द) दीर्घकालीन	8331.62
9	कालातीत ऋण	4194.93
10	लाभ (अ) बैंक संख्या	5
	(ब) राशि	161.11
11	हानि (अ) बैंक संख्या	7
	(ब) राशि	301.10

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका–9.1

प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1998–1999	1046	5602	2070	36.95
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.10
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005	1331	15454	9101	58.89
2005–2006	1334	22053	12684	57.52
2006–2007	1067	24428	12949	53.00
2007–2008	1117	30967	16190	52.28
2008–2009	1189	39437	21018	53-30
2009–2010(सि.)	1502	40598	24002	40.88

स्त्रोत –भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई,